हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

16 मार्च, 1994

खण्ड 1, अंक 10

अधिकृत विवरण

विषय सूची

बुधवार, 16 मार्च, 1994

	पृष्ठ संख्या
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(10) 1
नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(10) 20
विभिन्न मामले उठाना	(10) 22
विशेषाधिकार प्रस्ताव पर अध्यक्ष महोदय द्वारा रूलिंग	(10) 23
विभिन्न मामले उठाना (पुनरारम्भ)	(10) 24
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव —	(10) 30
आईसोप्रोटोन नामक घटिया किस्म की दवाई सम्बन्धी वक्तव्य—	(10) 30
कृषि मन्त्री द्वारा उक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सम्बन्धी	
नियम 30 के अधीन प्रस्ताव	(10) 34
समितियों की रिपोर्टस प्रस्तुत करना —	
(i) कमेटी आन पब्लिक अंडरटेकिंग्ज की 36वीं तथा 37 वीं रिपोर्ट	(10) 34
(ii) कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंटस की 37वीं रिपोर्ट	(10) 35
(iii) कमेटी ऑन एस्टीमेट्स की 26वीं रिपोर्ट	(10) 35

मूल्य : 0.12

	पृष्ठ संख्या
संविधान (77वां संशोधन) विधेयक 1992 के अनुसमर्थन सम्बन्धी संकल्प	(10)35
विशेषाधिकार भंग का प्रश्न — राज्यपाल के पोते द्वारा नकल सम्बन्धी मुख्य मन्त्री द्वारा दिए गए वक्तव्य बारे श्री कर्ण सिंह दलाल के विरुद्ध	(10) 37
वाक आउट	(10) 42
विशेषाधिकार भंग का प्रश्न — राज्यपाल के पोते द्वारा नकल सम्बन्धी मुख्य मन्त्री द्वारा दिए गए वक्तव्य बारे श्री कर्ण सिंह दलाल के विरुद्ध (पुनरारम्भ)	(10)42
बिल्ज़	
(i) दि हरियाणा एप्रोप्रिएशन (नं0 1) बिल, 1994	(10)43
(ii) दि हरियाणा एप्रोप्रिएशन (नं0 2) बिल, 1994	(10)45
बैठक का समय बढ़ाना	(10)76
बिल्ज़	
दि हरियाणा एप्रोप्रिएशन (नं0 2) बिल, 1994 (पुनरारम्भ)	(10) 76
(iii) दि मैडीकल कालेज रोहतक (कंडीशन्ज आफ सर्विस आफ टीचर्ज) अमैंडमैंट बिल, 1994	(10)81
(iv) दि हरियाणा जनरल सेल्ज टैक्स (अमैंडमैंट) बिल, 1994	
(v) दि पंजाब आयुर्वैदिक एण्ड यूनानी प्रैक्टिशनर्ज (हरियाणा अमैंडमैंट एण्ड वैलिडेशन) बिल, 1994	(10)83
बैठक का समय बढ़ाना	(10)87
बिल्ज़	
दि पंजाब आयुर्वैदिक एण्ड यूनानी प्रैक्टिशनर्ज (हरियाणा अमैंडमैंट एण्ड वैलिडेशन) बिल, 1994 (पुनरारम्भ)	(10) 87
(vi) दि फरीदाबाद काम्पलैक्स रैगुलेशन एण्ड डिवैल्पमैंट) अमैंडमैंट बिल, 1994	(10)87
बैठक का समय बढ़ाना	(10) 91
बिल्ज़	
(vii) दि हरियाणा मकैनिकल व्हीकल्ज (ब्रिज टौल्ज) अमैंडमैंट बिल, 1994	(10)91
(viii) दि हरियाणा टैक्स औन लग्जरीज बिल, 1994	(10) 92
विधान सभा के आमन्त्रण के पश्चात अध्यादेश जारी करने सम्बन्धी आबजर्वेशन	(10) 95
बैठक का समय बढ़ाना	(10) 96
बिल्ज़	
दि हरियाणा टैक्स औन लग्जरीज बिल 1994 (पुनरारम्भ)	(10) 96

ERRATA

TO

Haryana Vidhan Sabha Debates, Vol. 1, No. 10, dated the 16th March, 1994

Read	For	Page	Line
सिंचाई मंत्री	बिजली मंत्री	34	6
raise	riase	42	2
factual	fctual	42	29
clarified	calarified	42	37
palpable	palable	43	2
पैसा	पसा	46	6
बदकिस्मती	बदकिस्मत	56	2
हफ्ते	हपते	69	15
प्रार्थना	भर्थना	69	29
किसी	किसा	75	24
introduce the	introdue-thce	81	30, 31
दडिन्ग	बाडिन्ग	94	23

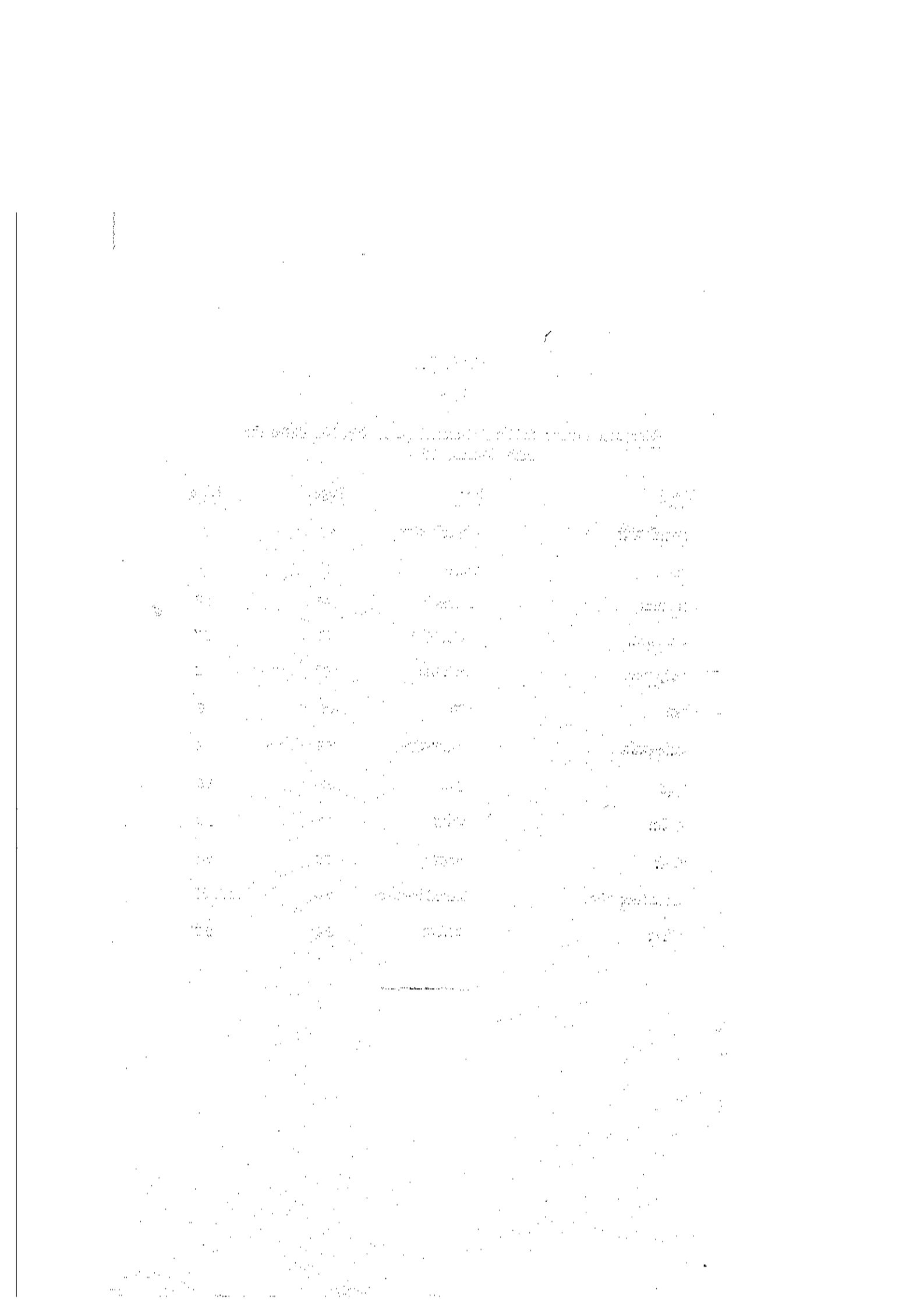

हरियाणा विधान सभा

बुधवार, 16 मार्च, 1994

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर–1, चण्डीगढ़ में प्रातः 9.30 बजे हुई । अध्यक्ष (चौधरी ईश्वर सिंह) ने अध्यक्षता की ।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष : मैम्बर साहेबान, अब सवाल होंगे।

Free Travelling Facility to Freedom Fighters

***659. Shri Ram Bhajan Aggarwal :** Will the Minister of State for Transport be pleased to state—

(a) whether the freedom fighters are not provided free travelling facility in Semi-Delux Buses of Haryana Roadways ; and

(b) if so, whether any representation has been received in this regard togetherwith the action taken thereon ?

परिवहन राज्य मंत्री (श्री बलबीर पाल शाह) :

(क) स्वतन्त्रता सेनानियों को पहले हरियाणा राज्य परिवहन की तथा सेमी-डिलैक्स बसों में यात्रा की सुविधा उपलब्ध नहीं थी परन्तु

(ख) अब सरकार ने 28–2–94 से स्वतन्त्रता सेनानियों को सेमी-डिलैक्स बसों में भी यात्रा करने की अनुमति दी है।

श्री राम भजन अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या स्वतन्त्रता सेनानियों को अपने साथ अटैंडैंट को भी फ्री ट्रैवल करने की सुविधा है ? इसके अलावा उनको और क्या क्या फैसिलिटीज दी जाती है ?

श्री बलबीर पाल शाह : स्पीकर साहब, उनको अटैंडैंट को साथ ले जाने की सुविधा नहीं है। जहां तक दूसरी फैसिलिटीज देने की बात है, वह वही है जो दूसरे यात्रियों को दी जाती हैं। यानी उनको बस में बिठा कर उनके डैस्टीनेशन तक पहुंचाना हमारा फर्ज है ।

प्रो० राम बिलास शर्मा : स्पीकर साहब, क्या परिवहन मन्त्री जी बताएंगे कि जो हमारे स्वतन्त्रता सेनानी हैं, वे लगभग 60 साल से ऊपर की आयु के हैं । सरकार ने यह अच्छा काम किया है कि उनको सेमी-डिलक्स बसों में सफर करने की सुविधा दी है। इतनी बड़ी उम्र होने के नाते उनको बस पर चढ़ने के लिये तथा उतरने के लिए सहायता की जरूरत पड़ती है। इसलिये उनके साथ एक आदमी हो जो उनको उठा और बैठा सके । क्या सरकार इस पर विचार करेगी ?

श्री बलबीर पाल शाह : स्पीकर साहब, उनकी तरफ से अभी तक इस बारे में हमारे पास कोई रिप्रजैंटेशन नहीं आई है। जब आएगी तो विचार कर लेंगे।

प्रो० राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय जब हम सदन में यह बात कह रहे हैं तो उनकी तरफ से रिप्रेजैंटेशन आने की क्या जरूरत है ? स्वतन्त्रता सेनानियों का इस देश की जनता पर बड़ा भारी ऋण है । उनके कारण ही आज हम इस सदन में हैं । जब आपने बाकी सब को सुविधा दे रखी है तो इनको क्यों नहीं देते ? जैसे मैंने पहले कहा कि इनकी उम्र 60 से ऊपर है तो मैं मुख्य मन्त्री जी से गुजारिश करूंगा कि इस बात पर विचार करके उनके साथ एक आदमी को फ्री ट्रैवल करने के लिये सुविधा देनी चाहिए ।

श्री बलबीर पाल शाह : स्पीकर साहब, मुझे खेद है कि पहले मेरे पास नोट फार पैड नहीं था इसलिए मैं सही सूचना नहीं दे सका था। उनके साथ उनकी वाइफ या अटैंडैंट को फ्री सफर करने की सुविधा है ।

श्री अमर सिंह : स्पीकर साहब, क्या मन्त्री जी बताएंगे कि स्टेट में टोटल नम्बर आफ फ्रीडम फाइटर्ज कितना है ? क्या सरकार उनको एयर कंडीशंड बसों में भी सफर करने के लिये अलाउ करेगी ?

श्री बलबीर पाल शाह : स्पीकर साहब, वैसे तो यह सप्लीमैंटरी मेन सवाल से संबंधित नहीं है लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं कि हमारे पास लगभग 4015 स्वतन्त्रता सेनानियों की रजिस्ट्रेशन है और उनका तकरीबन एक करोड़ रुपये का प्रतिभार रोडवेज पर पड़ता है ।

श्री पीर चन्द : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि हिसार से चण्डीगढ़ के लिये पहले डिलक्स बस चली, फिर बन्द कर दी। इसी तरह से सेमी-डिलक्स बस चली और फिर बन्द कर दी .....

श्री अध्यक्ष : यह सवाल इस प्रश्न से अराइज नहीं होता, पीर चन्द जी आप बैठिए । अगला प्रश्न ।

Upgradation of P.H.C. Baund Kalan

*667. **Prof. Chhattar Singh Chauhan** : Will the Minister for Health be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to up-grade the P.H.C. at Baund Kalan in District Bhiwani ; and

(b) if so, the time by which it is likely to be upgraded ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्रीमती शान्ति देवी राठी) :

(क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

प्रो० छत्तर सिंह चौहान : स्पीकर साहब, जब बहन करतार देवी हैल्थ मिनिस्टर थी तब भी मैंने उनसे यह सवाल पूछा था जब बहन करतार देवी 3 अप्रैल, 1993 को बींद कलां गांव में गई तो उस दिन बहन करतार देवी बींद कलां गांव के लोगों को यह आश्वासन दिला कर आई थी कि उस पी० एच० सी० को सी० एच० सी० बना दिया जाएगा । स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से बहन जी को याद दिलाना चाहता हूं कि वह पी० एच० सी० पैप्सू के टाईम का बना हुआ है । लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जो दादरी तहसील है, वह अलग ब्लॉक है, इसलिये न जाने उस पी० एच० सी० को मनूहेड़ा के साथ लगा दिया गया है, जहां पर आने जाने का कोई साधन नहीं है। बींद कलां गांव की आबादी 20 हजार की है और उसके आस पास भी बहुत गांव हैं । मैं मन्त्री महोदया से जानना चाहता हूं कि क्या मन्त्री जी बहन करतार देवी के दिए हुए वचन का ध्यान रखेंगी और उस पी० एच० सी० को सी० एच० सी० बनाएंगी ?

श्रीमती शांति देवी राठी : स्पीकर साहब, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहती हूं कि जो काम होने वाला होता है, उसको करने के लिये मैं 'हां' कर देती हूं और जो काम नहीं होने वाला है उसके लिये 'न' कर देती हूं । माननीय सदस्य जो भी ठीक काम ले कर मेरे पास आए, चाहे वह स्कूल अपग्रेडेशन की बात थी और चाहे कोई व्यक्तिगत काम की बात थी, चाहे कोई अन्य बात थी, मैंने कभी इनकी बात को मोड़ा नहीं । यदि कोई न होने वाली बात थी, तो उसको पूरा करने के बारे में कोई 'हां' नहीं भरी । बहन करतार देवी की स्थिति अलग है । मैं तो कभी बाहर फील्ड में भी पब्लिक के सामने गलत नहीं बोलती यह तो गरिमामय सदन है, इसलिये यहां पर गलत बोलने का सवाल ही पैदा नहीं होता । मन्त्री के पास कोई बीच का रास्ता नहीं होता। यदि काम करना हो तो उसके लिये 'हां' कर दो और यदि कोई काम नहीं हो सकता हो तो 'न' कर दो। मेरे पास

[श्रीमती शांति देवी राठी]

बीच का कोई रास्ता नहीं है। मैं तो किसी काम के बारे में विचाराधीन भी बहुत देर के बाद कहती हूं। माननीय सदस्य की यह बात ठीक है कि वह ब्लॉक अलग है। यह बात भी ठीक है कि वह पी0एच0सी0, सी0 एच0सी0 बनना चाहिए था लेकिन क्यों नहीं बन सका, उसके भी कारण हैं। उस वक्त के मुख्य मन्त्री ने न जाने क्या सोच कर बौंद कलां की अपेक्षा मनूहेड़ा को तरजीह दी। उस समय के मुख्य मन्त्री बनारसी दास गुप्ता ने यह आदेश कर दिए कि मनूहेड़ा में पी0एच0सी0बनाया जाए। दूसरा जो रीजन है वह यह है कि बौंद कला पी 0एच0सी0 की जगह केवल डेढ़ एकड़ है, जबकि एक पी0एच0सी0 के लिए कम से कम चार एकड़ जमीन चाहिए। यह बात भी ठीक है कि माननीय सदस्य का यह पूरा कर्तव्य बनता है कि जनता के प्रति उनको अपना दायित्व निभाने के लिये लड़ाई लड़े। उस सी0एच0सी0 के लिए जितनी जमीन चाहिए, वह पूरी नहीं है। उसके बाद धन की बात है। धन तो थोड़ा-थोड़ा करके दिया जा सकता है और उसको बनाया जा सकता है लेकिन जगह चार एकड़ होनी चाहिए। इसके अलावा, उस पी0एच0सी0 की बिल्डिंग मैप के अनुसार नहीं बनाई हुई, यह भी एक रीजन है। भविष्य में भी यह संभावना नहीं है कि उसको सी0एच0सी0 बनाया जा सकेगा।

श्रीमती चन्द्रावती : स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा मन्त्री महोदया से जानना चाहती हूं कि हरियाणा प्रदेश में जो पी0एच0सीज0 हैं या गांवों में दूसरे छोटे हैल्थ सैंटर्ज हैं, क्या उनमें डाक्टर्ज और दूसरा स्टाफ पूरा नहीं है, अगर पूरा नहीं है तो कब तक पूरा कर दिया जाएगा और क्या इस बारे में मन्त्री महोदया ने पता करवाया है कि कुल हैल्थ सैंटर्ज में पिछले दो साल से डाक्टर नहीं हैं।

Mr. Speaker : This question does not arise out of it.

श्रीमती चन्द्रावती : स्पीकर साहब, मन्त्री महोदया, जवाब देने के लिये तैयार हैं।

Mr. Speaker : No, this is irrelevant.

प्रो0 छत्तर सिंह चौहान : स्पीकर साहब, एक पी0एच0सी0 को सी0एच0सी0 बनाने के लिए क्या क्राईटेरिया है? बहन जी ने कहा कि उसके लिए कम से कम चार एकड़ जमीन चाहिए, हम इनको 6एकड़ जमीन देने के लिये तैयार हैं। अगर पीछे किसी मुख्य मन्त्री ने अप्रत्यक्ष रूप से वह गलती कर दी तो क्या आज भी उस गलती को दोहराया जाएगा? स्पीकर साहब, मैं मुख्य मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि भिवानी जिले के साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है? चाहे सिंचाई के पानी का मामला हो, चाहे नहर का मामला हो और चाहे स्कूलों को अपग्रेड करने का मामला हो और चाहे पी0एच0सी0 को सी0एच0सी0 बनाने

का मामला हो, सभी कामों में भेदभाव किया जा रहा है। उस पी0 एच0 सी0 की पैप्सू के समय 1954 में बिल्डिंग बनाई हुई है। मैं मन्त्री महोदया से प्रार्थना करता हूं कि यदि हम पंचायत की तरफ से इन द्वारा रखी गई शर्तें पूरी करा दें तो क्या वहां पर ये अपना आश्वासन पूरा कर देंगी।

श्री अध्यक्ष : एक कम्युनिटी हैल्थ सैन्टर खोलने के लिये उसके आसपास 4 पी0 एच0 सीज0 होनी चाहिए।

प्रो0 छत्तर सिंह चौहान : यह तो सरकार का काम है। अगर पी0 एच0 सी0 नहीं हैं, तो खोल दें।

श्रीमती शांति देवी राठी : स्पीकर साहब, वहां पर 4 नहीं, पहले ही पांच पी0 एच0 सीज0 हैं। इन्होंने आलोचना करनी है तो स्वस्थ आलोचना करें, हमें कोई एतराज नहीं है। ऐसे ही कहना कि वहां पर कोई काम नहीं हो रहा, गलत बात है। मैं बताना चाहूंगी कि भिवानी जिले में अन्य जिलों की अपेक्षा सबसे ज्यादा स्वास्थ्य केन्द्र हैं। वहां पर डिस्पैन्सरी, स्वास्थ्य केन्द्र, अस्पताल बहुत अधिक हैं। हमें जो जगह चाहिए जहां पर यह बनवाना चाहते हैं, वह ऐसी चाहिए जिससे हमें पी0 एच0 सी0 वाली जगह भी मिल जाए। मैं यह भी बताना चाहती हूं कि एक पी0 एच0 सी0 खोलने के लिये 175 लाख रुपये लगते हैं, यह कोई सरल काम नहीं है। वहां पर पहले ही अधिक सुविधाएं हैं तो फिर भी ये चिन्ता क्यों करते हैं, यह मेरी समझ में नहीं आता ?

प्रो0 छत्तर सिंह चौहान : यदि आपको ज्यादा नजर आती हैं तो तोड़ दो। क्या आप बताएंगी कि जब से यह सरकार आई है वहां पर कोई भी डिस्पेंसरी, हस्पताल आदि भिवानी जिले में खोला गया है ?

(इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

चौधरी बलवंत सिंह मायना : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदया के नोटिस में लाना चाहता हूं कि जितने भी स्वास्थ्य केन्द्र मेरे हल्के में या मेरे हल्के के अलावा दूसरे विधायकों के हल्के में खुले हुए हैं, उनमें से काफी स्वास्थ्य केन्द्रों की बहुत खस्ता हालत है। मेरे हल्के दसहिया में जो डिस्पेंसरी खुली हुई है, उसमें कोई भी अधिकारी नहीं है। उसके अन्दर आज पुलिस की चौकी खुली हुई है। इसी प्रकार से बलियाना की भी बहुत खस्ता हालत है। वहां पर डंगर-पशु आदि घूमते रहते हैं। सांपला की बात मैं कहूं तो वहां पर भी न तो दवाईयां मिलती हैं और न ही किसी की पट्टी तक करने का इंतजाम है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इन की तरफ सरकार ध्यान देगी ?

श्रीमती शांति देवी राठी : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने बताया कि वहां पर डिस्पेंसरी की बजाय पुलिस चौकी खुली हुई है। इस बारे में आप लिख कर दें ताकि मैं पता करवा सकूं कि सच्चाई क्या है। इसके अलावा, मैं खुद मौके पर जा कर भी देख लूंगी। अगर ऐसी बात है तो आपके साथ पूरा न्याय किया जायेगा। दूसरी बात कही गयी कि बहुत सी बिल्डिंगों की बहुत जर्जर हालत है, तो उस बारे आप लिख कर दे दें ताकि उनकी मुरम्मत करने का इंतजाम करवाया जा सके।

Welfare Schemes for Child Labour

*681. **Shri Jai Parkash :** Will the Minister of State for Labour & Employment be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to formulate any scheme for the Welfare of Child Labour in the State; if so, the details thereof ?

श्रम तथा रोजगार राज्य मन्त्री (चौधरी कृष्ण मूर्ति हुड्डा) : जी नहीं।

श्री जय प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने अपने जवाब में "जी नहीं" कहा है। क्या सारे हरियाणा में चैरीटेबल कहीं भी नहीं है ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या इन्होंने सारे हरियाणा का सर्वे करवाया है कि ऐसी कितनी संस्थाएं हैं जहां चैरीटेबल है ? अगर जवाब इनका 'हां' में है तो कृपया बताने का कष्ट करें कि ऐसी कितनी संस्थाएं हैं जो चैरीटेबल का काम करती हैं ?

चौधरी कृष्ण मूर्ति हुड्डा : स्पीकर सर, चाईल्ड लेबर की समस्या केवल हरियाणा की ही नहीं है बल्कि विश्वव्यापी समस्या है। जो सवाल माननीय जय प्रकाश जी ने पूछा है, इसके बारे में मैं इन्हें बताना चाहता हूं कि 2–3 महीने पहले हमने 216 संस्थाओं का सर्वे करवाया था, इसमें 213 संस्थाएं ऐसी पाई गई जो चाईल्ड लेबर का काम करती हैं और चाईल्ड लेबरर्ज 116 के करीब मिले।

श्री जय प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी ने अपने जवाब में बताया है कि 213 संस्थाओं को इन्होंने आईडैंटिफाई किया है जिनमें चाईल्ड लेबरर्ज काम करते हैं। इस सम्बन्ध में मैं यह जानना चाहूंगा कि इनमें कितने चाईल्ड लेबरर्ज फैक्टरीज में, कितने होटलों में, कितने दुकानों पर, कितने ढाबों में काम करते हुए मिले हैं, क्या ये बताने का कष्ट करेंगे ?

चौधरी कृष्ण मूर्ति हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, हरियाणा की किसी भी फैक्टरी में कोई चाईल्ड लेबर काम नहीं कर रही है, जो चाईल्ड लेबर काम करते हुए पाए गए हैं, वे दुकानों और ढाबों में काम करते पाए गए हैं।

श्री जय प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे अलग अलग बताने का कष्ट करें कि कितने बच्चे दुकानों पर काम कर रहे हैं और कितने होटलों या ढाबों में काम कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : इस का जवाब तो बहुत लम्बा हो जाएगा।

चौधरी कृष्ण मूर्ति हुड्डा: स्पीकर सर, फरीदाबाद में हमने 55 ऐस्टेब्लिशमैंटस चैक करवाई थी, इनमें से करीब 63 बच्चे मिले। अम्बाला में हमने करीब 33 संस्थाएं चैक करवाई और इनमें 15 बच्चे मिले। करनाल में हमने करीब 9 चैकिंग्ज की और इनमें 9 बच्चे मिले। (विघ्न) ये बच्चे दुकानों में या ढाबों पर काम करते पाए गए।

श्री वीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, माननीय मन्त्री जी ने अभी बताया है कि सर्वे में 116 चाईल्ड लेबरर्ज मिले हैं। जय प्रकाश गुप्ता जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है कि क्या हरियाणा में चाईल्ड लेबर वैल्फेयर के लिये कोई स्कीम है गवर्नमैंट के अण्डर कंसिडिरेशन है, तो मन्त्री जी ने जवाब दिया, 'जी नहीं'। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि चाईल्ड लेबर की बहबूदी और बेहतरी के लिये और बच्चों को लेबर से बचाने के लिये क्या कोई योजना बनाने पर वे गौर करेंगे ? अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से भी रिक्वैस्ट करूंगा कि 50 साल से ज्यादा आजाद हुए हमें हो गए हैं, लेकिन इस प्रकार की कोई स्कीम अन्डर कंसीडरेशन नहीं है। मैं मुख्य मन्त्री जी से गुजारिश करूंगा कि चाईल्ड लेबर वैल्फेयर के लिये हरियाणा सरकार विचार करेगी, ऐसा आश्वासन वे हाउस में दें।

Mr. Speaker : This has already been provided in the directive principals of State Policy. (Interruptions)

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल) : अध्यक्ष महोदय, आप भी इस बारे में अच्छी तरह से जानते हैं कि "बाल विकास" और "बाल कल्याण" की योजनाएं हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं। हमारी सरकार की यह पालिसी रही है कि शुरू से ही बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाए। 6 साल से 11 साल की उम्र के बच्चों को हमने स्कूलों में अनिवार्य दाखिला देने का फैसला भी किया हुआ हुआ है। 14 साल तक का बच्चा कानूनी तौर पर लेबर वर्क नहीं कर सकता। 14 साल की उम्र के बाद में वह ऐसा काम कर सकता है जो सरल हो ताकि इस सरल काम के साथ वह अपनी पढ़ाई को भी जारी रख सके और अपनी कुछ आजीविका भी कमा सके। अध्यक्ष महोदय, 14 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए नौकरी करने की मनाही है।

श्री राजेन्द्र सिंह बिसला : अध्यक्ष महोदय, भाई जय प्रकाश जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। यह एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि 90 फीसदी ढाबे होटल और दुकानों पर 14—15 साल से कम उम्र के बच्चे नौकरियां करते हैं, मुख्य मन्त्री जी ने सदन में आश्वासन भी दिया है लेकिन जो बहुत बड़ी सच्चाई है, उसको नकारा नहीं जा सकता कि ऐसे बच्चे गरीब परिवारों से होते हैं। इसमें हरिजन परिवारों और बैकवर्ड क्लासिज के बच्चों का बड़ा भारी शोषण होता है। जो 18 साल के बच्चे हैं, वे आठ घंटे काम करते हैं। ढाबों में तो सुबह 5 बजे से रात के 12—12 बजे तक काम करते हैं। यह एक कलंक की बात है। क्या मन्त्री जी एक कमेटी बनाकर उन बच्चों के वेलफेयर के लिए काम करेंगे ? अभी तक मन्त्री जी ने इस बारे में कोई आश्वासन नहीं दिया है। क्या मन्त्री जी अपने विभाग की तरफ से प्रदेश में बच्चों के वैलफेयर के लिये अच्छी सी स्कीम तैयार करेंगे ?

चौधरी कृष्ण मूर्ति हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, कोई बच्चा जो ढाबों में और दुकानों में काम करता है, वह ऐक्ट के अनुसार 3 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकता और इस के बाद उसको रैस्ट करना होता है। अध्यक्ष महोदय, पानीपत से कारपैट वगैरह एक्सपोर्ट होते हैं और इन्हें अमरीकन वगैरह खरीदते हैं। जब उन्हें पता चला कि वहां पर बच्चे कारपैट बनाते हैं तो उन्होंने कहा कि हम वहां से कोई भी कारपैट नहीं खरीदेंगे, जहां पर बच्चे काम करते हों। अमरीकनज की एक टीम ने आकर देखा और आज किसी भी फैक्टरी में बच्चे काम नहीं करते हैं।

चौधरी बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी ने कहा है कि ऐसी कोई भी स्कीम फारमुलेट नहीं की गई है जिसमें बच्चों के वैल्फेयर का काम किया जा सके। दूसरी तरफ मुख्य मन्त्री जी ने कहा है कि ऐसी बहुत सी स्कीमें हैं तो मैं मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो मुख्य मन्त्री जी ने कहा है, वह ठीक है या जो मन्त्री जी ने अपने जवाब में लिखा है, वह ठीक है ? अगर मुख्य मन्त्री जी का जवाब ठीक है तो क्या ये अपने जवाब को ठीक करेंगे ? दूसरे इन्होंने कहा है कि हमने चैक करवाया है। तो क्या मन्त्री जी के पास उसकी सर्वे रिपोर्ट है कि इतने बच्चे रिकोगनाईजड संस्थाओं में हैं, और इतने नान-रिकोगनाईजड संस्थाओं में हैं ? अध्यक्ष महोदय, आज बच्चे दुकानों और ढाबों में ही नहीं हैं बल्कि ट्रकों में जो कलीनर वगैरह का काम करते हैं, वे सब छोटे बच्चे ही हैं। इसके साथ ही जो कार/जीप ठीक करने की लेबर है, उसमें भी छोटे बच्चे हैं। वे सब 14 साल से छोटे हैं, इसी तरह से और भी कई संस्थाएं हैं, जहां पर छोटे-छोटे बच्चे हैं।

श्री अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछें।

चौधरी बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी यह बतायें कि क्या इनके पास उस सर्वे की कोई रिपोर्ट है जिसमें यह लिखा हो कि इतने टोटल बच्चों की लेबर है ? क्या इनके पास इसका स्पैसीफिक नम्बर है ? दूसरे, क्या इन्होंने इस चाईल्ड लेबर की टैंडेन्सी को खत्म करने के लिए कोई कदम उठाया है ?

चौधरी कृष्ण मूर्ति हुड्डा : स्पीकर सर, मैं नम्बर तो पहले ही दे चुका हूं कि 216 एस्टेबिलिशमैंटस में हमने चैक करवाया है ।

Ch. Birender Singh : I object, I have not asked it. I have asked whether any survey was conducted. Please tell me the number.

चौधरी कृष्ण मूर्ति हुड्डा : स्पीकर सर, सर्वे तो हमने करवाया है । शिमला में गवर्नमैंट आफ इण्डिया का जो ब्यूरो है, उसको हमने लिखा है । उन्होंने भी कहा है कि जो आई0 एल0 ओ0 है, उससे भी हमने कहलवाया है कि वह भी यह सर्वे करवाएंगे ।

Mr. Speaker : It is a sample checking not the whole survey.

Ch. Birender Singh : Sir, sample checking is something else. I would like to know whether the State Labour Department has conducted any survey ? Where they have gone to conduct the survey ?

चौधरी कृष्ण मूर्ति हुड्डा : स्पीकर सर, पूरा सर्वे करवाने में बहुत टाईम लगेगा। हमने गवर्नमैंट आफ इण्डिया के लेबर ब्यूरो को लिखा है । (विघ्न) आप सुनने की कृपा तो करें । स्पीकर सर, दूसरे इन्होंने कहा कि बच्चे भैंस को पानी पिलाते हैं। अगर गांव में कोई अपनी भैंस को पानी पिलाता है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है।

Mr. Speaker : Do you propose to conduct any survey ?

चौधरी कृष्ण मूर्ति हुड्डा : स्पीकर सर, हमने जिन मैनेजमैंटस का सर्वे करवाया है, उसमें से 11 मैनेजमैंटस का तो चालान किया है और बाकी का भी चालान करने जा रहे हैं । स्पीकर सर, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि यह एक बड़ी भारी समस्या है । अगर हम किसी का चालान कर देते हैं तो उसके मां-बाप हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि हमारे घर में कोई भी कमाने वाला नहीं है । हमारे ये भाई भी यही कह देते हैं कि आपने चालान क्यों कर दिया । यही लोग चालान न करने के लिए मना कर देते हैं । इस तरह से अगर हम कोई कार्यवाही करना भी चाहते हैं तो चाहते हुए भी नहीं कर पाते । स्पीकर सर, इसके साथ ही हमारी सामाजिक और आर्थिक दृष्टि भी ऐसी है कि कई बार बच्चों को काम करने की मजबूरी हो ही जाती है । (विघ्न)

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने बिल्कुल ठीक ही जवाब दिया है, मगर इनके समझने में फर्क है। मंत्री जी ने कहा है कि 216 संस्थाओं का सर्वे करवाया गया है और इनमें से 113 संस्थाओं में 116 बच्चे काम करते हुए पाये गये हैं तथा जिनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्यवाही की गयी है। इसके साथ ही जिन ढाबों में 14 या 17 वर्ष से कम आयु के बच्चे काम करते हुए पाये गये हैं, उनके खिलाफ भी कार्यवाही की गयी है। अध्यक्ष महोदय, जहां तक इनके सर्वे कराने का ताल्लुक है, बाकायदा सारी स्टेट में सर्वे करवाने के आदेश दिये गये हैं और कहा गया है कि अगर 14 या 18 साल से कम उम्र के बच्चे ऐसी संस्थाओं में काम करते हैं और अगर वहां पर कानून की उल्लंघना की कोई बात होती है, तो उनके खिलाफ कार्यवाही भी हम करेंगे। लेकिन इनका यह कहना है कि गांवों में हरिजनों या किसानों के बच्चे काम करते हैं। ये बच्चे चाहे ब्राह्मण के हों, बिश्नोई के हों, जाट के हों, या हरिजनों के हों, अध्यक्ष महोदय, हर बच्चा गांव में अपने घर में कुछ न कुछ काम तो करता ही है, चाहे वह खेत में पशु चराने का काम हो, चाहे रोटी पानी ले जाने का काम हो। इन सब के लिए वह खेत में तो जाता ही है इसलिए हम इन पर कैसे प्रतिबन्ध लगा सकते हैं ? इन कामों के लिए कोई प्रतिबन्ध नहीं लग सकता। (विघ्न)

Post Graduate Classes

*672. **Shri Karan Singh Dalal :** Will the Minister for Education be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to start post graduate classes in G.G.D.S.D. College, Palwal from next academic session ?

शिक्षा मंत्री (श्री फूल चन्द मुलाना) : इस समय गोस्वामी गणेश दत्त सनातन धर्म महाविद्यालय पलवल में एम0ए0 की कक्षाएं शुरू करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर सर, हमारे सारे जिले फरीदाबाद में एक ही गवर्नमैंट कालेज है। पलवल शहर जिला फरीदाबाद के बीच में पड़ने वाला शहर है और आबादी के हिसाब से भी पलवल शहर हथीन, होडल, हसनपुर और बल्लभगढ़ से बड़ा है। स्पीकर सर, जब मुख्य मन्त्री जी ने वहां से चुनाव लड़ा था तो इन्होंने अपने हर चुनावी वायदों में यह जिक्र किया था कि मैं जी0जी0डी0एस0डी0 कालेज को पोस्ट ग्रेजुएट कालेज चलवाऊंगा। (विघ्न) जब ये मुख्य मन्त्री बने, तब पलवल कॉलेज में इनको

10.00 बजे | बुलाया गया। पूरे कालेज के समक्ष मुख्यमन्त्री जी ने आश्वासन दिया था कि इस सैशन से नहीं तो अगले सैशन से पलवल के कालेज में ये क्लासिज चलाई

जाएंगी । मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि पलवल की इतनी बड़ी जनसंख्या को देखते हुए, वहां के बच्चों के भविष्य को देखते हुए, क्या पलवल में इस सैशन से नहीं तो अगले सैशन से ऐसी क्लासिज चलाने का कोई प्रोविजन कर रहे हैं ?

श्री फूल चन्द मुलाना : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि इन क्लासिज का जिसकी ये चर्चा कर रहे हैं, विभाग ने इस संस्था को लिखा था कि क्या आप नयी नीति के अनुसार सारा खर्चा वहन करने को तैयार हैं ? कालेज ने उत्तर दिया कि यह खर्च हम स्वयं वहन नहीं कर सकते । विभाग ने यह निर्णय लिया है कि जहां नयी क्लासिज लगानी हों तो कालेज या उस संस्था को स्वयं यह खर्च वहन करना पड़ेगा । मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देना चाहूंगा कि यदि वे शर्तें के मुताबिक अपने खर्च पर क्लासिज खोलना चाहें, तो हम मंजूरी दे देंगे ।

तारांकित प्रश्न संख्या 697

यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य चौधरी भरथ सिंह सदन में उपस्थित नहीं थे ।

Disconnection of Power Supply

***851. Prof. Sampat Singh :** Will the Minister for power be pleased to state—

(a) whether it is a fact that National Thermal Power Corporation has disconnected the power supply to the Haryana State during the year 1993-94; if so, the number of days the supply of power remained disconnected togetherwith the reasons therefor; and

(b) whether any amount of N.T.P.C., N.H.P.C., Coal India Ltd., and Indian Railways is due towards the Haryana State Electricity Board at present; if so, the details therefor ?

Power Minister (Shri A. C. Chaudhary) :

(a) Yes, Sir, The National Thermal Power Corporation disconnected the power supply to the Haryana state during the period from 26th November, 1993 (13.17 hrs). to 5th December, 1993 (22.50 hrs.) by opening the 400 KV Dadri (UP)-Panipat line from Dadri end. During this period, the power supply to the State from N.T.P.C.

[Shri A. C. Chaudhary]

was restricted to the extent of its overdrawls from the system. The State was, however, permitted all along to draw its allocated share from the Central Projects.

(b) H.S.E.B. has to pay the following amounts as on 1-2-1994 to the Centrral Corporations :—

	Rs. in crores
1. Coal India	22.42
2. Railways	110.88
3. N.T.P.C.	167.50
4. N.H.P.C.	77.41

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर सर, अभी मंत्री जी ने तकरीबन 378 करोड़ 21 लाख रुपए के एरियर्ज बताए हैं। मैं जानना चाहता हूं कि आप जो नौदर्न रीजन ग्रिड से बिजली लेते हैं, ऐलोकेटिड बिजली लेते हैं वो आपको किस रेट पर मिलती है और जो ओवरड्रावल करते हैं वह आपको किस रेट पर मिलती है और कितना ओवर-ड्रावल आपने इस साल लिया है ? जो एरियर्ज एन0टी0पी0सी0 और एन0एच0 पी0सी0 के बने हैं, ये सारी पावर हम ग्रिड से लेते हैं, ग्रिड में जाती है, उसके बाद उनकी बिलिंग होती है, उनकी पेमेन्ट करते हैं। आप ऐलोकेटिड बिजली ले रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा कि ओवरड्रावल का कारण क्या है और सारे एरियर्ज क्या ओवर-ड्रावल की वजह से तो नहीं हैं ?

श्री ए० सी० चौधरी : स्पीकर सर, ओवरड्रावल तो है और उसका कारण भी यह है कि हमारी अपनी जनरेशन बहुत कम है। इसके साथ-साथ ओवरड्रावल इस-लिए है कि स्टेट ने एक पौलिसी इशू माना है कि एग्रीकलचर को टौप प्रायोरिटी दें। पूरी रिक्वायरमैंट मीट करने के लिए जितनी भी हम अपने साधनों से और वहां से ले सके हैं बिजली लेकर दी है। जहां तक रेट का ताल्लुक है, उसमें बेसिकली रेट्स वही करते हैं। जो हमारी लिमिट है, जो शेयर है, या कोटा कह लें, उसकी लिमिट के रेट अलग हैं और एक्सैसिव ड्रावल के रेट अलग हैं। जिसे हम डिसप्यूट करते हैं, जिसके कारण से उनके और हमारे फिगर्ज नहीं मिल रहे हैं, वह इस कारण से है कि वे नये पावर हाउस की नयी ब्योरी के हिसाब से हमारे रेट वर्क आउट करते हैं। जैसे मान लिया पुराने किसी पावर हाउस की लाईफ 10 साल है तो दस साल वाली जितनी मशीनरी की बुक वैल्यू की डैप्रीशिएशन और बाकी फिक्सड कैपिटल असैट्स थीं, वो कम आने पर उसका सिर्फ इन्ट्रैस्ट रह जाता है। जबकि नयी यूनिट का इन्वैस्टमैंट 3.3 हजार करोड़ रुपये है उसको स्पलिट अप करके उसका इन्ट्रस्ट भी चार्ज करते हैं, जिसके कारण वो ऐडीशनल हमें देना पड़ता है।

प्रो0 सम्पत सिंह : आप ऐवरेज रेट बता दें ?

श्री ए0सी0 चौधरी : स्पीकर साहब, जहां तक एन0टी0पी0सी0 का ताल्लुक है, इस वक्त हमें डेढ़ रुपये से दो रुपये के बीच में उनको रेट देना पड़ रहा है । रेट्स आगे जाकर वैरी करते हैं । जैसे मैंने कहा है कि हमें इस वक्त डेढ़ रुपये से लेकर दो रुपये के बीच का रेट देना पड़ रहा है । ओवर ड्रावल हमारी इस वक्त मिनिमम 40 लाख यूनिट्स से लेकर 60 लाख यूनिट्स पर डे के बीच में हो रही है । इसके रेट्स डेढ़ रुपये से दो रुपये के बीच में आते हैं । इससे ज्यादा कुछ हम कमिट नहीं कर सकते । कमिट इसलिये नहीं कर सकते क्योंकि हमें वह तो यह कहते हैं कि आपने तीन सौ करोड़ से कुछ ज्यादा देना है लेकिन हमारे हिसाब से 127 करोड़ के करीब बनता है । इसका कारण यह है कि इसमें वह सरचार्ज भी चार्ज करते हैं । हम उसको नहीं मान रहे हैं । इसके अलावा जो टैरिफ है, उसके बारे में भी डिसप्यूट है क्योंकि वे आर्बीट्रेरी तौर पर रेट तय कर रहे हैं, हम उसको नहीं मान रहे हैं । हम अपने हिसाब से उनको पेमैंट कर रहे हैं ।

प्रो0 सम्पत सिंह : ओवरड्रावल और एलोकेटिड बिजली के रेट्स में जो फर्क है, वह तो बता दें । यह बताने में क्या हर्ज है ।

श्री ए0सी0 चौधरी : जैसे मैंने बताया है, जितनी भी ओवर ड्रायल हम करते हैं, वह उसको नये प्लांट की कास्ट को इवैल्यूएट करके फिक्सड कैपिटल के ऊपर जो इन्ट्रैस्ट बनता है, वह सब कुछ ऐड करते हैं । हम इस फार्मूले को मान नहीं रहे हैं । हम केवल 1.70 रुपये पर यूनिट का रेट एक्सैप्ट कर रहे हैं ।

प्रो0 सम्पत सिंह : ओवरड्रावल और ऐलोकेटिड बिजली के रेट्स में अन्तर क्या है और यह कितने-कितने हैं । यह हमें बता दें । आप उन रेट्स को ऐक्सैप्ट करते हैं या नहीं, यह तो अलग बात है । आप दोनों के रेट्स में जो अन्तर है, वह तो बता दें ।

श्री ए0सी0 चौधरी : हमने उनको दो रुपये और दो रुपये 40 पसे के हिसाब से पेमैंट प्रैफर की है लेकिन जो हमें दादरी से ओवरड्रावल दी है, उसका रेट हमने एक रुपया 70 पैसा दिया है । टोटल एनर्जी का पैसा हम एक रुपया 35 पैसे के हिसाब से देते हैं ।

प्रो0 सम्पत सिंह : स्पीकर साहब, मंत्री जी को पता है कि ओवरड्रावल की गई बिजली का भाव साढ़े तीन रुपये से चार रुपये तक चला जाता है जबकि इसके अलग-अलग जनरेशन और रिसोर्सिज हैं । कई बार हमें एटौमिक एनर्जी स्टेशन से बिजली दी जाती है, वह हमें चार-पांच रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से पड़ती है । मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि इस ओवरड्रावल का, जो आप करते हैं, क्या

[प्रो0 सम्पत सिंह]

कारण है ? इसका कारण क्या यह तो नहीं कि एक तो आपके अपने सोर्सिज आफ एनर्जी न के बराबर हैं, दूसरे पानीपत थर्मल प्लांट में बड़ी इन-एफीशीयैंसी है । वहां पर लोग कुरप्शन करते हैं, आपके थर्मल प्लांट्स कम चलते हैं, कोयला भी आपको अच्छी क्वालटी का नहीं मिल रहा है । इसके अलावा दूसरे जो कारण हैं, वह आपको पता होंगे । क्या आप इन प्लांट्स की एफीशीयैंसी को बढ़ाकर ओवरड्रावल को कम नहीं कर सकते ? स्पीकर साहब, उन प्लांट्स की एफीशीयैंसी को बढ़ाकर, कुरप्शन को दूर करके और पूरी बिजली पैदा करके, क्या ये अपनी ओवरड्रावल को कम नहीं कर सकते तथा इस बारे में जो खामियां है, उनको दूर नहीं कर सकते हैं ? यह बिजली हमें 4--5 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से पड़ती है । दूसरी बात मैं एक और पूछना चाहता हूं । थर्मल प्लांट्स के पांच यूनिट्स पानीपत में हैं। कौन-कौन सा यूनिट किस-किस वजह से कितने-कितने दिन बन्द रहा है, क्या यह भी बतायेंगे ?

Mr. Speaker : This part of the supplementary does not relate to the main question. (Interruptions). It is not relevant, Prof. Sahab.

श्री ए0सी0 चौधरी : स्पीकर साहब, हमारे पांच यूनिट पानीपत में हैं, तीन फरीदाबाद में हैं और एक यमुनानगर में है । अब इंडीविजुअली यह बताना कि कौन सा यूनिट कितने दिन बन्द रहा, किस-किस वजह से बन्द रहा ? इस बारे में अगर यह रैगुलर सवाल भी पूछें तो भी बताना मुमकिन नहीं हो पायेगा । लेकिन जहां तक इनके दूसरे सवाल का ताल्लुक है, उस बारे में मैं यह बताना चाहता हूं कि इस वक्त हमारा जो थर्मल में पी0एल0एफ0 है, उसमें काफी सुधार हुआ है । हम जो एडीशनल जनरेट करेंगे वह कम्पैरेटिवली चीप पड़ेगी क्योंकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है और स्टाफ मौजूद है, इसलिए वह हमें चीप पड़ेगी । इस वक्त पानीपत में 1.87 रुपए प्रति यूनिट से ऊपर कौस्ट करती है और इसी तरह से फरीदाबाद में भी 1.87 रुपए से कुछ ज्यादा ऊपर पड़ती है । इस लिहाज से मैं नहीं समझता कि जब हमें 1.80 रुपए पर यूनिट देने पड़ रहे हैं उस हिसाब से कोई ज्यादा बचत होगी । यह बात ठीक है कि हम में आत्म निर्भरता बढ़ेगी और ओवर ड्रावल कम हो जाएगी और इस तरह से हमें अपनी प्रोडक्शन बढ़ाने का मौका मिलेगा ।

प्रो0 सम्पत सिंह : स्पीकर साहब, मैंने पूछा था कि ओवरड्रावल कितने की है ? दूसरी बात जिसको ये कंफ्यूज कर रहे हैं, वह है रेट्स के बारे में । यह कह रहे हैं कि नौदर्न ग्रिड से जो ये ओवरड्रावल कर रहे हैं, वह डेढ़ या दो रुपए पर यूनिट बता रहे हैं जबकि ओवरड्रावल तीन चार रुपए यूनिट है और ऐटोमिक ऐनर्जी का रेट तो पांच रुपए तक जाता है । पता नहीं ये कैसे ओवरड्रावल और नार्मल ड्रावल को बराबर कर रहे हैं ? स्पीकर साहब, ये कह रहे हैं कि हमारी जनरेशन का रेट

और जो हम ओवरड्रावल कर रहे हैं, उनके रेट में कोई खास फर्क नहीं है। ओवरड्रायल का तो दुगना और तिगुना रेट है। बिजली पूरी जनरेट न होना इनकी इनऐफीशैन्सी है लेकिन ये सारी बात ऐग्रीकलचर पर थोप रहे हैं। बिजली की ऐग्रीकलचर में तो ऐक्यूट शौर्टेज रही है। ऐग्रीकलचर को महीने में दो दिन बिजली नहीं मिल रही है। स्पीकर साहब, क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जो आपकी ओवरड्रावल है, वह कितनी है और दूसरा सवाल यह है कि आप सैल्फ कन्ट्राडिक्टरी क्यों है, क्योंकि आप यह कह रहे हैं कि ओवरड्रावल का रेट डेढ़ से दो रुपए है जबकि ऐक्चुअली चार पांच रुपए पर यूनिट ओवरड्रावल का रेट है ?

श्री ए0सी0 चौधरी : स्पीकर साहब, मेरे फाजिल दोस्त मेरे ख्याल से समझना नहीं चाहते हैं। ऐसा है कि हमारा आपस में एक ऐग्रीमैंट होता है कि इस रेट पर बिजली ली जाएगी। एन0टी0पी0सी0 जो नए यूनिट कमीशन करता है और जो बिजली उनसे जनरेट हो रही है, उनके बारे में कोई ऐग्रीमैंट नहीं है। आर्बीट्रेरिली वे चार्ज कर रहे हैं। इस वक्त जो हम ओवरड्रावल कर रहे हैं, वह ऐग्रीकलचर साईड की रिक्वायरमैंट पर निर्भर करता है। इस वक्त हम चालीस लाख से साठ लाख यूनिट ओवरड्रावल कर रहे हैं। जहां तक हमारी अपनी जनरेशन का ताल्लुक है, हमारी अपनी जनरेशन 1990-91 में 234.29 करोड़ यूनिट थी और 1992-93 में 345.28 करोड़ यूनिट थी। इससे आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि हमारी सरकार और बोर्ड कोई कमी नहीं छोड़ रहा है। स्पीकर साहब, मैं हाउस में यह कंफैस करता हूं कि अगर हमें अच्छा कोयला मिल जाए, जिसमें ऐश कंटैन्ट कम हो तो उससे हमारी जनरेशन और बढ़ेगी। बाई एण्ड लार्ज आज के दिन मैं यह कह सकता हूं कि जो सैन्ट्रल प्रोजैक्ट है, जैसे नौर्थ ग्रिड है, एन0टी0पी0सी0 है और आउट साइड से जहां से हम बिजली लेते हैं, उनकी जनरेशन कौस्ट में और हमारी जनरेशन कौस्ट में ज्यादा फर्क नहीं है। नए यूनिट्स के मामले में हमारा उनसे कोई ऐग्रीमैंट नहीं है। सैशन के बाद मीटिंग करके उनसे कलीयर करूंगा जिससे कि आगे किसी तरह का कोई डिस्प्यूट न रहे।

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल) : अध्यक्ष महोदय, चौधरी सम्पत सिंह ने जो प्रश्न किया, मन्त्री जी ने उसका ठीक जवाब दिया है लेकिन मैं थोड़ा सा और कलीयर कर देता हूं। अध्यक्ष महोदय, ओवरड्रावल इसलिए करनी पड़ती है कि हमारी स्टेट में उतनी बिजली जनरेट नहीं होती जितनी कि जरुरत है। अगर हम तीन करोड़ यूनिट बिजली पैदा करें, तब हम स्टेट की पूर्ति कर सकते हैं। आज जितनी बिजली हम स्टेट में पैदा करते हैं, वह एक करोड़ या पिचानवे लाख यूनिट या कभी एक करोड़ 05 लाख यूनिट है।

कितनी बिजली आप पैदा करते थे और कितनी हम पैदा कर रहे हैं। ओवरड्रावल इसलिये किया जाता है ताकि पानी बिजली किसानों को पूरी मात्रा में दी जा

[चौधरी भजन लाल]

सके और यह ओवर ड्राबल बड़ी मुश्किल से मिलती है। बिजली की डिमांड आज सभी स्टेटों की है। सभी जगहों पर लोग बिजली मांगते हैं। इसीलिये आज हमें अपने हिस्से की बिजली के लिये रिक्वैस्ट करनी पड़ती है और अपने हिस्से से ऊपर की जो फालतू बिजली होती है, उसको हम ओवर ड्राबल कहते हैं। हमारा एक महीने पांच दिन का 15 नवम्बर से 6 दिसम्बर तक, टोटल का जो हमारा शेयर बनता था, वह था 49 करोड़ 59 लाख 38 हजार यूनिट और हमने ड्रा कितना किया इन 35 दिनों में वह है 53 करोड़ 99 लाख 19 हजार यूनिट्स। मतलब कि हमने 4 करोड़ 39 लाख 81 हजार एक महीने और 5 दिनों में भारत सरकार से ज्यादा बिजली ली है जो हम पैदा करते हैं, वह 1 रुपया 29 पैसे पर यूनिट पड़ता है और जो हम अपना शेयर उनसे लेंगे तो हमें 1 रुपया 50 पैसे पड़ती है और जो ओवर ड्राबल करेंगे उसका रेट 1 रुपया 80 पैसे होगा। ऐवरेज जो बिजली पड़ती है, वह 1 रुपया 50 पैसे पर यूनिट हमें घर में पड़ती है और किसान को हम देते हैं, केवल 50 पैसा पर यूनिट के हिसाब से। एक रुपया पर यूनिट के हिसाब से बिजली बोर्ड सबसीडाईज करके देता है जिसकी वजह से बिजली बोर्ड घाटे में है।

प्रो0 राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, बिजली मन्त्री महोदय ने अपने उत्तर में यह बताया है कि उन्होंने कोल इंडिया को 22.42 करोड़ रुपये, रेलवेज को 110.88 करोड़ रुपये, एन0टी0पी0सी0 को 167.50 करोड़ रुपये और एन0एच0 पी0सी0 को 77.41 करोड़ रुपये की राशि 1-2-1994 तक दी हैं। इसलिये मैं ऊर्जा मन्त्री महोदय से आपके द्वारा यह जानना चाहता हूं कि इस सारी पेमैन्ट में जो देय था, वह कितना था ? और उसमें हर्जाना, जुर्माना या * * * के कारण कितनी राशि या फिर सरकार की लापरवाही के कारण अदा करनी पड़ी या फिर कोई पैनल्टी तो नहीं पड़ी, मैं सिर्फ इतना ही कैटेगरीकली इन से जानना चाहता हूं।

श्री ए0 सी0 चौधरी : स्पीकर सर, हम तो आदर सम्मान से सम्माननीय सदस्य कहकर के इनको पुकारते हैं और ये ऐसे शब्द कह कर अपनी लियाकत का परिचय देकर सदस्यों को अपने बारे में बता रहे हैं। स्पीकर साहब, मैं इस बहस में नहीं पड़ता, मैं तो इनकी लियाकत की बात कह रहा हूं। (शोर) इन्होंने अभी बोलते हुए * * * शब्द का इस्तेमाल किया है। (शोर)

श्री अध्यक्ष : यह शब्द कार्यवाही में से निकाल दिया जाए।

श्री ए0 सी0 चौधरी : स्पीकर सर, अगर मैं भी इनके बारे में कुछ कहूंगा तो यहां हाउस में मजाक सा बन जाएगा।

---

*Not recorded as ordered by the Chair.

प्रो० राम बिलास शर्मा : स्पीकर साहब, मैंने कैटेगरीवाईज इनसे पूछा था कि कहीं यह किसी की लापरवाही के कारण, हर्जाना, जुर्माना या पैनल्टी के कारण तो ऐसा नहीं हुआ है ? (शोर)

श्री ए० सी० चौधरी : स्पीकर साहब, इन्होंने साफ लफ्जों में * * * शब्द का प्रयोग किया है । (शोर) मैं वह बात नहीं कहना चाहूंगा जिससे बदमजगी पैदा हो लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि कई बार इन्हें देसी घी पचता नहीं है।

प्रो० राम बिलास शर्मा : स्पीकर सर, मैं कहना चाहता हूं ..... (शोर) अब ये कागज देख रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : राम बिलास जी, आप बैठिये ।

श्री ए०सी० चौधरी : अध्यक्ष महोदय, जहां तक किसी उत्तर में फिगर्ज देखने का सवाल है, उसके लिये तो मैं कागज देखूंगा ही । जहां तक जनरल नालिज का सवाल है, उसके लिये मैं अपने भाई को सादर आमन्त्रित करता हूं कि आप अपनी जनरल नालिज से मेरी जनरल नालिज अच्छी तरह से परख लें । उसमें इनकी ही पीठ लगेगी । जहां तक उधार का ताल्लुक है, उस बारे में मेरे भाई अगर गौर से पढ़ते तो उनको पता लग जाता । उसमें लिखा है कि "H.S.E.B. has to pay" means कि यह-यह पेमैंट करने की हमारे ऊपर लायबिलिटी है । कुछ पैसा हमने कोल इंडिया को दिया है । पैसा ठीक उनका कोयले का ही है । (शोर एवं व्यवधान) लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा और मैंने पहले भी अर्ज किया था कि इशू हमारे सामने है । पीछे भी एक क्वैश्चन के जवाब में मैंने बताया था कि कोयले में एश कन्टैन्टस बहुत ज्यादा आ रहे हैं । हम जिस क्वालिटी का कोयला मांगते हैं, वह हमें नहीं मिलता । इसलिए हम उनसे रिबेट लेने की कोशिश करेंगे । जहां तक एन०टी०पी०सी० के बिजली के बिलों का ताल्लुक है, उसमें उन्होंने कुछ सरचार्ज लगा दिया । उस बिल को हमने डिस्प्यूट की वजह से आराम से ले रखा है । पहले हम पिछला बकाया देना चाहते हैं । सरचार्ज के अलावा कोई भी जुर्माना या हर्जाना नहीं होता । अगर आप चाहें तो मैं सारा पढ़ कर सुना देता हूं । हमने जो एन०टी०पी०सी० की डिस्प्यूट की अमाउंट रखी है, वह है 107.35 करोड़ रुपए । ये सरचार्ज के पैसे हैं और यह हमारा उनके साथ डिस्प्यूट है । एक उन्होंने 1987–92 तक का टैरिफ लगाया है । चूंकि यह उन्होंने बाद में लगाया है, इसलिए हमने उसको एंटरटेन नहीं किया । इसी तरह से उन्होंने लो से हाई वोल्टेज के चार्जिज 7 करोड़ रुपए और ट्रांसमिशन चार्जिज 5.4 करोड़ रुपए लगा दिए । इसके अलावा थर्मल प्रोजैक्ट का टैरिफ बढ़ाया, वह 62 करोड़ रुपए है । इसी तरह से दो करोड़ रुपए, कोयले पर, मध्य प्रदेश का सैस लगा हुआ है । हम उनकी कोई भी एडीशनल डिमांड मानने के लिए तैयार नहीं । इसलिए हमने ये सारी पेमैंट्स रोक रखी हैं ।

*Not recorded as ordered by the Chair.

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, जिस दिन आज की सरकार ने चार्ज लिया था, उस वक्त 205.83 करोड़ रुपए देने बाकी थे। कौल इंडिया को 36.91 करोड़ रुपए, रेलवे को 57.62 करोड़ रुपए, एन0टी0पी0सी0 को 69.20 करोड़ रुपए और एन0एच0पी0सी0 को 47.10 करोड़ रुपए देने थे। इस तरह से इनका टोटल 205.83 करोड़ रुपए बनता है। यह उस समय की देनदारी है जब हमने चार्ज लिया था। उसके बाद कौल इंडिया का हमने कम किया। उनका 36.91 करोड़ रुपए से घट कर 22 करोड़ रह गया और बाकी जगह बढ़ा। टोटल 338.21 करोड़ रुपया हमने देना है जिसमें से 205.83 पहली गवर्नमैंट का है और 132.38 करोड़ रुपया अब की सरकार का है जो कि हमने देना है।

Repair of Road

*713. **Shri Krishan Lal :** Will the Minister for P.W.D. (B&R) be pleased to state whether the Government is aware of the fact that road from Khandra in District Panipat to Salwan in District Karnal is in damaged condition; if so, the time by which it is likely to be repaired ?

लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़कें) मंत्री (चौधरी आनन्द सिंह डांगी) : हां, श्रीमान जी। इस सड़क पर पैचिज तथा खड्डो की मुरम्मत कर दी गई है।

श्री कृष्ण लाल : स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे सवाल के जवाब में कहा है कि मरम्मत का काम कर दिया गया है। मैं 14 तारीख को गांव में गया था। गोली से सालवन तक आज भी उसी तरह से सड़क में खड्डे पड़े हुए हैं। मैं जानना चाहता हूं कि उसको कब तक ठीक कर दिया जाएगा ?

चौधरी आनन्द सिंह डांगी : अध्यक्ष महोदय, जिस सड़क के बारे में माननीय सदस्य ने सवाल पूछा था, वह लगभग 22 कि0मी0 लम्बी सड़क है। यह 1993 की बाढ़ के कारण बुरी तरह से खराब हो गई थी। हमने मरम्मत राशि में से इस सड़क के किनारों पर मिट्टी डलवा दी है और पैच वर्क पूरा करवा दिया है। इस पर टोटल खर्चा 6.70 लाख रुपए आना था लेकिन धन की कमी के कारण इस पर 1.46 लाख रुपए खर्च करके आवागमन के लिए ठीक करके दिया है।

श्री कृष्ण लाल : स्पीकर साहब, गोली से सालवन केवल तीन किलोमीटर का टुकड़ा है, उसको कब तक रिपेयर कर दिया जाएगा ?

चौधरी आनन्द सिंह डांगी : अध्यक्ष महोदय, ऐसे सवाल जवाब इसी सैशन में कई बार हो चुके हैं। आने वाले 6 महीनों में जो भी सड़क टूटी हुई है, उसको हम ठीक कर देंगे।

Re-Employment to the Retirees

*721. **Shri Satbir Singh Kadian :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether any Class-I Officers of Haryana Civil Secretariat has been given re-employment during the period from 1988 to 31st March, 1993 after their retirement from service ; and

(b) if so, the name and addresses of such officers alongwith the names of the post on which their appointment have been made ?

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल) :

(क) जी नहीं।

(ख) उपरोक्त (क) के दृष्टिगत प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

श्री सतबीर सिंह कादियान : स्पीकर साहब, मुख्य मन्त्री जी ने मेरे सवाल का जवाब 'नहीं' में दिया है। मैं आपके माध्यम से मुख्य मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि यदि इस तरह से क्लास वन अधिकारी रीएम्पलायड किए जायें और उनके बारे में कोई आडिट औब्जैक्शन हो तो उस पैसे का स्टेट एक्सचैकर पर बोझ पड़ेगा, उसको कौन बर्दाश्त करेगा ? यदि इस सरकार ने क्लास वन अधिकारी रीएम्पलायड कर रखे हैं तो क्या मुख्य मन्त्री जी उस खर्चे को स्वयं बर्दाश्त करने के लिये तैयार हैं ?

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पूछा है कि क्या 1988 से 31 मार्च 1993 तक की अवधि के दौरान कोई क्लास वन अधिकारी री-एम्प्लायड किया है। इस बारे में यह जवाब है कि इस दौरान में कोई क्लास वन अधिकारी री-एम्प्लायड नहीं किया गया।

Completion of Severage System of Gohana City

*705. **Shri Kitab Singh :** Will the Minister for Public Health be pleased to state the time by which the severage system of Gohana City is likely to be completed togetherwith the expenditure incurred thereon so far ?

जन स्वास्थ्य मन्त्री (श्री राम पाल सिंह कंवर) : जहां-जहां मल योजना के अधीन काम हो चुका है उसका स्थाई निपटान 31-3-94 को पूरा कर दिया जायेगा। इस योजना पर 38.31 लाख रुपये की अनुमानित राशि में से 31-1-94 तक 29.84 लाख रुपये खर्च हो चुके हैं।

श्री किताब सिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने मेरे सवाल का जो जवाब दिया है, वह ठीक ढंग से नहीं दिया है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि गोहाना शहर का मल योजना का काम कब शुरु हुआ था और कब तक पूरा हो जाएगा ? अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने कहा है कि अब तक उस योजना पर 29.84 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं और पिछले सैशन में 25 फरवरी, 1993 को मंत्री जी का यह जवाब था कि उस योजना पर 32 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि यह साल खत्म होने पर भी उस योजना पर पैसा कम क्यों खर्च हुआ ? मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि वह योजना कब तक पूरी हो जाएगी ?

श्री राम पाल सिंह कंवर : स्पीकर साहब, उस मल योजना का तकरीबन 40 परसैंट काम कम्पलीट हो चुका है और जो बाकी काम है, उसको अगले पांच साल में पूरा करने का हमारा विचार है; यदि धन उपलब्ध हुआ तो।

श्री किताब सिंह : अध्यक्ष महोदय, पिछले बजट सैशन में 25 फरवरी, 1993 को मंत्री जी ने यह जवाब दिया था कि उस योजना का 40 या 45 परसैंट काम कम्पलीट हो चुका है और उस पर 32 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। आज मंत्री जी कह रहे हैं कि उस योजना पर 29.84 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। यह पैसा कम कैसे हो गया ? उस योजना का काम कब शुरु हुआ था, उसका समय भी बताएं और वह काम कब तक पूरा हो जाएगा ?

श्री राम पाल सिंह कंवर : अध्यक्ष महोदय, मेरे पास जो आंकड़े हैं, उनके आधार पर बता रहा हूं कि 31-1-94 तक 29.84 लाख रुपये खर्च हो चुके हैं और उसके बाद अब तक भी कुछ पैसा और खर्च हुआ है। दूसरा सवाल इन्होंने यह पूछा कि कब तक पूरा कर दिया जायेगा। इस बारे में मैं इनको बताना चाहूंगा कि अगले पांच साल में वहां की सिवरेज का काम पूरा कर देंगे।

Mr. Speaker : Questions Hour is over.

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Laying of Sewerage System in the Villages

***747. Smt. Chandravati :** Will the Minister for Public Health be pleased to state whether there is any scheme under consideration of the Government to lay the sewerage system in the villages in the State; if so, the time by which the said scheme is likely to be implemented ?

जन स्वास्थ्य मन्त्री (श्री रामपाल सिंह कंवर) :

(क) नहीं, फिर भी सरकार इस समय वैज्ञानिक आधार पर बड़े गांवों में गन्दे पानी के निकासी की योजना बना रही है ।

(ख) वैज्ञानिक आधार पर ड्रेनेज का कार्य धन राशि की उपलब्धता अनुसार किया जाएगा और कोई निश्चित समय नहीं दिया जा सकता ।

Releasing of Electricity Connection for Tubewells

***764. Shri Zile Singh** : Will the Minister for Power be pleased to state the total number of electricity connections for tubewells released during the period from 1st January, 1991 todate ?

बिजली मंत्री (श्री ए0सी0 चौधरी) : राज्य में पहली जनवरी, 1991 से 31 जनवरी, 1994 तक कुल 43777 नये ट्यूबवैल कनैक्शन जारी किये गये ।

Amount Spent on Desilting of Canals

***844. Dr. Ram Parkash** : Will the Minister for Irrigation be pleased to state the Estimated Budget for desilting the canals during the year 1990-91, 1991-92, 1992-93 and 1993-94 together-with the yearwise amount spent thereon ?

सिंचाई मंत्री (चौधरी जगदीश नेहरा) : नहरों से गाद निकालने के कार्य के लिए विशेष रूप से पृथक कोई बजट अलाट नहीं किया जाता । सिंचाई विभाग में गाद निकालने के लिए वर्षवार खर्च का विवरण निम्न प्रकार से है :—

क्रम संख्या	वर्ष	खर्च (राशि लाखों में)
1.	1990–91	211.75
2.	1991–92	421.60
3.	1992–93	174.86
4.	1993–94	204.47

विभिन्न मामले उठाना

Dr. Ram Parkash : Speaker, Sir.....

Mr. Speaker : Dr. Sahib, please take your seat.

Dr. Ram Parkash : Speaker, Sir, * * * *

Mr. Speaker : Dr. Sahib, do not try to be more patriotic. You are speaking without my permission. Please take your seat.

Dr. Ram Parkash : Speaker, Sir, * * * * *

Mr. Speaker : Whatever he has said, should not be recorded. Dr. Sahib, please take your seat. I have not permitted you to speak.

डा० राम प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, मैंने तहरीके मुजाहिद्दीन किताब के बारे में * * * * * * * *

श्री अध्यक्ष : आप बगैर परमिशन के बोल रहे हैं, इसलिए कोई रिकार्ड न किया जाये ।

डा० राम प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, क्या हमें अपनी बात कहने का कोई अधिकार नहीं है ?

श्री अध्यक्ष : अभी आप बैठिये जब आपको बोलने की इजाजत ही नहीं दी तो आप फिर क्यों बोल रहे हैं ?

डा० राम प्रकाश : इस पुस्तक के बारे में जो मैं पूछ रहा हूं, उसके बारे में आप कुछ तो बताइए ।

श्री अध्यक्ष : अभी आप बैठिये । इस समय हम आपको कुछ नहीं बताएंगे ।

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर साहब, हम आपसे मदद चाहेंगे । हम बिल्कुल निसहाय हो चुके हैं हमें आपकी प्रोटैक्शन की आवश्यकता है । अध्यक्ष महोदय, एस० वाई० एल० के बारे में पहले मुख्य मन्त्री ने ब्यान दिया कि 19 तारीख को मीटिंग है, कल कहा कि 25 तारीख को है। अब उसी संबंध में बेंअत सिंह जी का ब्यान है कि ऐसी कोई मीटिंग नहीं हो रही । इस प्रकार जो ये रोज असत्य बोल रहे हैं, उस बारे में आप हमारी मदद करें ।

श्री ए० सी० चौधरी : अध्यक्ष महोदय, यह हरियाणा विधान सभा की मीटिंग है । यदि कोई दूसरी स्टेट का चीफ मिनिस्टर कोई स्टेटमैंट दे दे तो उसका इस हाउस की मीटिंग से कोई औचित्य नहीं है ।

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया ।

मुख्य मंत्री (चौ0 भजन लाल) : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले कहा था कि 19 तारीख को मीटिंग है । अब वह मीटिंग 19 की बजाये 25 तारीख को हो गई है मैंने कल भारत सरकार की चिट्ठी का हवाला दिया था । वह चिट्ठी इस वक्त मेरे पास नहीं है, अगर चाहो तो उसको मंगवा कर बाद में आपको दिखा दूंगा । यह मीटिंग जो 19 को होनी थी, अब 25 की रखी गई है । मैंने इस बारे में बेअंत सिंह जी से भी बातचीत की तो उन्होंने मुझे बताया कि मैंने ऐसी कोई चिट्ठी नहीं देखी । उन्होंने कहा कि यदि आपके पास चिट्ठी आई है तो मेरे पास भी आई होगी । इस बारे में मेरा सभी से अनुरोध है कि इस मामले को ज्यादा न उलझाओ क्योंकि इस में स्टेट के इन्ट्रैस्ट का सवाल है ।

प्रो0 राम बिलास शर्मा : स्पीकर साहब, माननीय मुख्य मन्त्री जी ने बड़ा अच्छा किया कि 25 तारीख को होने वाली मीटिंग के बारे में यहां हाउस में बता दिया । अध्यक्ष महोदय, एस0 वाई0 एल0 के मुद्दे पर उनको हमारी तरफ से पूरी स्पोर्ट है । इस मीटिंग में वे पूरी हिम्मत और मजबूती के साथ हरियाणा के हितों के बारे में स्टैंड लें, हम उनके साथ हैं । (विघ्न) स्पीकर साहब, एस0 वाई0 एल0 और अबोहर फाजिल्का के बारे में हम उनके साथ हैं । स्पीकर सर, मैंने कालिंग अटैंशन मोशन भी आपको दिया है । उस काल अटैंशन मोशन का क्या हुआ ? (विघ्न) यह कालिंग अटैंशन मोशन पशुओं में महामारी फैलने के बारे में है । (विघ्न) जोहड़ों का गन्दा पानी पी कर पशु बीमार हो रहे हैं । (विघ्न) यह बहुत ही जरूरी मसला है । (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : राम बिलास जी, आपने यह कालिंग अटैंशन मोशन आज 10.03 बजे दिया है । यह विचाराधीन है । आप अभी बैठिए । (विघ्न)

प्रो0 राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैंने पिछली दफा भी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया था .....(विघ्न)

श्री अध्यक्ष : आप अभी बैठिए ।

विशेषाधिकार प्रस्ताव पर अध्यक्ष महोदय द्वारा रूलिंग

Mr. Speaker : Hon'ble Members, yesterday I assured the House to give my ruling on the privilege motion given notice of by Shri Karan Singh Dalal. Now, I am giving my ruling.

Hon'ble Members, I am to inform the House that a Member is bound to make always a correct statement on the floor of the House. As you are aware, as per parliamentary conventions,

[Mr. Speaker]

whenever a matter is raised on the floor of the House and the reply thereto is made by the Minister, the factual version given by the Minister in the matter is accepted to be correct. Shri Karan Singh Dalal, M.L.A., has given notice of privilege motion dated 15th March, 1994 and also the issue was raised by him on the floor of the House during the zero hour on 15th March, 1994. This issue was also raised by him on 8th March, 1994. The Hon'ble Leader of the House refuted the factual position on the subject matter and gave a true factual position in the August House on 8th as well as on 15th March, 1994.

I have carefully gone through the proceedings of the House on the subject and in view of the factual statement made by the Hon'ble Chief Minister on the subject under consideration, the factual contents of the privilege motion of Shri Karan Singh Dalal are without any basis. Hence, I hold the motion out of order and refuse my consent to raise the matter in the House. I am also to observe that the implication of the aforesaid statement which obviously does not form part of the privilege motion has not only touched the prestige of the August House but seems to have been aimed at maligning the honour and dignity of the Leader of the House which occupies the pivotal position in the parliamentary set-up. This type of irresponsible conduct of the Hon'ble Member reveals the potential of his representativeness which in all forceful words can be pronounced as alarming degradation.

विभिन्न मामले उठाना (पुनरारम्भ)

सिंचाई मंत्री (चौधरी जगदीश नेहरा) : स्पीकर सर, मैंने इस बारे में आपको प्रिविलेज मोशन का नोटिस दिया था कि किस ढंग से श्री कर्ण सिंह दलाल को पूरी तरह से 8 तारीख को आदरणीय मुख्य मन्त्री जी ने बता दिया था और पूरी तरह से यह उन्होंने कह दिया था कि यह बात सत्य नहीं है । अध्यक्ष महोदय, उसके बाद काफी कागजात ला कर इन्होंने आपको दिखाए और फिर इस बात को सदन में उठाया तथा गवर्नर साहब के कण्डक्ट को डिस्कस करने की कोशिश की जो इस असैम्बली के परव्यू में नहीं आता । अध्यक्ष महोदय, इसी संदर्भ में मैंने प्रिविलेज मोशन का नोटिस दिया था, उसका क्या हुआ ?

Mr. Speaker : It is under consideration.

चौधरी बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, पिछले हफ्ते सदन में सिख गुरुओं के खिलाफ पाकिस्तान में छपी 'तहरीके मुजाहिददीन' पुस्तक का जब जिक्र किया था, तो उस समय सारे सदन ने चाहा था कि एकमत से प्रस्ताव पारित करके, उस किताब के भारत में बिकने और लाईब्रेरियों में रखने पर पाबन्दी लगाई जाए तो लीडर आफ

दि हाउस ने कहा था कि यह मामला एक्सटर्नल अफेयर्ज मिनिस्टरी से सम्बन्धित है, इसलिए दिल्ली से सम्पर्क स्थापित करके वे जवाब देंगे । अध्यक्ष महोदय, उस दिन हमें पता नहीं था कि इस किताब में क्या लिखा है, क्योंकि वह किताब किसी के पास नहीं थी । आज मैं वह किताब ले कर आया हूं । इस किताब के पेज 46 से ले कर पेज 99 तक हमारे आदरणीय गुरु पुरुषों, जिन्हें हमारे समाज ने प्रभु से कम नहीं माना , उन के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया है । इस किताब में 5वें, 9वें और 10वें गुरु और इसके अलावा, महाराजा रणजीत सिंह के बारे में जिन अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया है, वह बहुत ही निन्दनीय है । तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आज जबकि हम तथ्यों के साथ हाउस में बोल रहे हैं, इस बारे में सारे सदन को एक मत से इस किताब के विरुद्ध भारत सरकार को एक प्रस्ताव भेजना चाहिए ताकि किताब बैन हो सके ।

डा0 राम प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, "तहरीके मुजाहिद्दीन" नाम की किताब सादिक हुसैन ने लिखी है और यह पाकिस्तान में प्रकाशित हुई है । इस किताब में इतिहास को तोड़ मोड़ कर प्रस्तुत किया गया है ? हम इसको किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे । इस किताब में गुरु अर्जुन देव जी के बारे में जो अभद्र भाषा में कहा गया है और बहुत सी निन्दनीय बातें बाकी गुरुओं के बारे में कही हैं, उन्हें मैं सदन में पढ़ नहीं सकता । इसमें पृष्ठ 50, 51, 52 और 53 आदि पर बहुत कुछ लिखा गया है । हमारे सिख गुरु धार्मिक श्रद्धा के प्रतीक हैं । उनके प्रति बहुत ही भद्दे शब्द इस्तेमाल किए गए हैं । मैं इस किताब को सदन की टेबल पर रखता हूं और चाहूंगा कि यह सदन एक मत से इस किताब के खिलाफ प्रस्ताव पारित करें । आज भारत से बाहर बैठे हुए किसी व्यक्ति ने यह किताब लिखी है ? कल को कोई और लिखेगा । इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि यह सदन इसके विरुद्ध प्रस्ताव पारित करे क्योंकि यह बहुत ही निन्दनीय वाक्या है ।

श्रीमती चन्द्रावती : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायन्ट आफ आर्डर है । चौधरी बीरेन्द्र सिंह ने और डा0 राम प्रकाश ने जो विवरण दिया है और जो राय दी है, मैं समझती हूं कि उसमें भारत सरकार से पूछने की कोई जरूरत नहीं है । हम सब को मिलकर इस हाउस में इस किताब के विरुद्ध और उसके लेखक के विरुद्ध एक प्रस्ताव पास करना चाहिए । (विघ्न) उस किताब को जब्त करना चाहिए । मैं तो यह कहती हूं कि इसके विरुद्ध एक निन्दनीय प्रस्ताव पास करना चाहिए । इसमें हमारे गुरुओं के प्रति, जिन्होंने इस देश की महान सेवा की है, उनके बारे में बहुत ही निन्दनीय बातें कही गई हैं । इसलिये मैं एक बार फिर आपसे कहूंगी कि इस किताब के और लेखक के विरुद्ध एक निन्दनीय प्रस्ताव पास करना चाहिए ।

सरदार जसविन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह किताब जिसका नाम "तहरीके मुजाहिद्दीन" है और जिसका लेखक सादिक हुसैन है, उसने अपनी किताब में बहुत

[सरदार जसविन्द्र सिंह]

ही निन्दनीय बातें कहीं हैं जिनको पढ़कर हमें बहुत ही दुख हुआ है । स्पीकर सर, इस किताब में जो कुछ लेखक ने लिखा है, वह बहुत ही निन्दनीय है और इसके बारे में भारत सरकार को लिखा जाना चाहिये । आपने भी उस दिन यह कहा था कि अभी तक यह किताब किसी ने पढ़ी नहीं है, पढ़कर ही कोई विचार किया जाएगा । उस दिन लीडर आफ दि हाउस ने भी यह कहा था लेकिन स्पीकर साहब, अब वह किताब आ गयी है । स्पीकर सर, आपको पता है कि जिस वक्त हिन्दू धर्म व हिन्दू संस्कृति बिल्कुल खतरे में थी, उस वक्त कुछ ब्राह्मण चलकर आनन्दपुर में गुरु तेग बहादुर जी के पास आए थे और तब गुरु तेग बहादुर जी ने उनसे कहा था कि इस काम को तो कोई महान गुरु या महान आदमी ही कर सकता है । जब तक कोई महान आदमी इस काम को नहीं करता, तब तक हिन्दू धर्म या संस्कृति को बचाना बड़ा मुश्किल है । उस समय गुरु गोबिन्द सिंह जी ने यह बात कही थी कि इस काम के लिए आपसे बढ़ कर कोई ज्ञानी नहीं हो सकता । स्पीकर सर, उस वक्त गुरु तेग बहादुर जी को गिरफ्तार नहीं किया गया था बल्कि वे स्वंय चलकर गए थे और अपनी शहीदी दी थी, केवल हिन्दू धर्म और हिन्दू संस्कृति को बचाने के लिए । इसलिए आज हमारा भी फर्ज बनता है कि यह हाउस सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास करके भारत सरकार को लिखे कि इस किताब पर पाबन्दी लगायी जाये और पाकिस्तान सरकार को भी इस किताब पर पाबन्दी लगाने के लिए लिखा जाए तथा इस लेखक के खिलाफ भी कार्यवाही की जाए ।

चौधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इस किताब के बारे में सदन की एक ही राय है, कोई भी आदमी इससे डिफर नहीं करता कि एक प्रस्ताव पास करके भारत सरकार को भेजा जाए । मैं समझता हूं कि हरियाणा के अन्दर इसको इमोजिएटली प्रौस्क्राईब कर देना चाहिए, किताब पर पाबन्दी लगाकर, लेखक के खिलाफ क्रिमनल केस रजिस्टर करना चाहिये और पाकिस्तान से रूल आफ ऐक्सट्रेडिशन के तहत, हमें उसको मुलजिम बनाकर यहां पर लाकर ट्रायल करनी चाहिए ।

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर सर, अभी जिस किताब का जिक्र किया गया है, मैं मुख्य मन्त्री जी से अपील करूंगा कि उन्हें पार्टी पोलिटिक्स से और ग्रुपइज्म से ऊपर उठकर लोगों के जो सैन्टीमैंट्स हैं, उनकी इज्जत करनी चाहिए तथा एक प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास करके भारत सरकार को भेजना चाहिए । मुख्य मन्त्री जी पहले ही इस बात को मान चुके हैं कि वे इस बारे में गवर्नमैंट आफ इण्डिया से बात कर रहे हैं, अगले हफ्ते ही सदन को बतायेंगे । स्पीकर सर, अब वह हफ्ता आ चुका है । सर, पाकिस्तान की हमेशा से ही यह कोशिश रही है कि हमारे यहां की शान्ति को बिगाड़ा जाए, यहां के भाई चारे को बिगाड़ा जाए लेकिन स्पीकर सर, इस चीज को कोई भी आदमी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकता । हमारी स्टेट और

हमारा देश सैकुलर है । किसी धर्म पर किसी ने जब कभी कोई चोट की है, दूसरे धर्म के लोगों ने, हमेशा सैकुलर होकर, साम्प्रदायिकता की बात से ऊपर उठकर, उन लोगों को लैसन दिया है, सबक दिया है, जो देश की शांति को बिगाड़ना चाहते हैं । उनको बता दिया कि यहां पर सारे धर्म बराबर हैं और वे किसी भी धर्म के गुरु के अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकते । गुरु तेग बहादुर जी केवल सिखों के ही गुरु नहीं थे, बल्कि सारे देश के गुरु थे । उन्होंने विश्व को एक ज्वाला दी है, रोशनी दी है । स्पीकर सर, इस तरह से पाकिस्तान अपनी शैतानी से और आगे बढ़ता ही रहेगा । वह एक पड़ौसी देश होने के नाते से ज्यादा ही शैतानी करता है । चाहे वह जम्मू कश्मीर हो, चाहे पंजाब हो, या अन्य स्टेट्स हों, इसने हमेशा ही अशांति फैलाने की कोशिश की है । जिसकी वजह से हमारे करोड़ों रुपये खर्च हुए हैं । पाकिस्तान ने हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कई बार कोशिश की है । जब उसकी हथियारों से बात नहीं बनी तो लिट्रेचर के माध्यम से लोगों में नफरत पैदा करना चाहता है । हमें उसकी इस कोशिश को हर हालत में कंडैम करना चाहिए । स्पीकर सर, कांग्रेस के एम0 एल0 ए0 श्री बीरेन्द्र सिंह जी, जो कांग्रेस के प्रैजीडैन्ट भी रहे हैं, और डा0 राम प्रकाश जी ने तथा हाउस की सीनियर-मोस्ट मैम्बर श्रीमती चन्द्रावती जो आजकल कांग्रेस पार्टी में ही हैं, ने भी इस किताब के बारे में कहा है । इसके अलावा, दूसरी पार्टियों के लोगों ने भी इसके बारे में कहा है । इसलिये स्पीकर सर, मुख्य मन्त्री जी को इसमें कोई अड़चन महसुस नहीं करनी चाहिए, कोई प्रैस्टिज इशू नहीं बनाना चाहिए । इसलिये मेरा कहना यह है कि मुख्य मन्त्री जी को स्वयं यह कहना चाहिए कि मैं एक रैजोल्यूशन इस बारे में लेकर आता हूं और आप सभी को इसका समर्थन करना चाहिए । हम सभी उस रैजोल्यूशन का समर्थन करें तथा इस किताब की और इस के लेखक की निन्दा करके रैजोल्यूशन भारत सरकार को भेजें । मैं तो यह कहता हूं कि उस किताब के लेखक के खिलाफ बाकायदा क्रिमीनल प्रोसिडिंग्ज शुरु की जानी चहिए ।

मोहम्मद असलम खां : स्पीकर साहब, जैसी कि सभी लोगों ने, लीडर आफ दि हाउस से अपील की है, मैं भी अपील करूंगा कि अगर इस मामले में सैन्ट्रल गवर्नमैन्ट की ओर से कोई अड़चन नहीं है, तो हम चाहते हैं कि बिल्कुल इसकी निन्दा की जाए । जितनी निन्दा की जाए, उतनी कम है । सदन इस प्रस्ताव को जरूर लाए । कुरान शरीफ में भी लिखा है कि एक मजहब दूसरे मजहब का मजाक न उड़ाए, जो मजहब दूसरे के मजहब की कद्र नहीं करता, वह खुद अपने मजहब की कद्र नहीं कर सकता ।

चौधरी अजमत खां : स्पीकर सर, मैं समझता हूं कि इस बाबत सैन्ट्रल गवर्नमैंट से पूछने वाली बात नहीं है । इस तरह की पुस्तक हमारी लाइब्रेरी में क्यों पहुंचे ? हमें यह हक हासिल है कि हमारे हरियाणा के अन्दर जो किताबें बिकती हैं, उनको रोक सकते हैं । उन पर पाबन्दी लगा सकते हैं । इस तरह की किताब छपती पाकिस्तान

[चौधरी अजमत खां]

में है और जज्बात यहां मजरूह होते हैं । इस किस्म की कोई भी किताब, किसी भी कम्यूनिटी के खिलाफ जब कोई लिखता है तो देश प्रदेश में झगड़े-फसाद पैदा होते हैं जिससे एक-दूसरे के ताल्लुकात बिगड़ते हैं । इस मामले में जितनी जल्दी पाबन्दी लगाई जाए, उतना ही अच्छा है । लीडर आफ दि हाउस को खुद एक प्रस्ताव लाना चाहिए । इसके लिए सैन्ट्रल गवर्नमैंट से पूछा जाए, मैं समझता हूं कि यह कोई जरूरी नहीं है । वे हमारे यहां की लाइब्रेरी में ये किताबें जबरदस्ती रखवाने से तो रहे । इस किस्म की किताबों से, एक धर्म के उन गुरुओं का, जिनका हम आदर करते हैं, उनका अनादर होता है और मानने वाले के जज्बात को ठेस पहुंचती है । इससे एक कम्युनिटी के लोगों को भड़कने का मौका मिलता है, इसलिये जितनी जल्दी हो जाए, इसके खिलाफ प्रस्ताव पास होना चाहिए ।

श्री ए० सी० चौधरी : स्पीकर साहब, 'तहरीके मुजाहिद्दीन' किताब एक जलील और मजबूं इंसानियत की देन है जो हमारे कौमों में तफरका डालती है । धर्म और धर्म गुरु, किसी व्यक्ति, किसी जाति, किसी कौम के न होकर सिर्फ इंसानियत के रक्षक होते हैं । यह सही है कि इससे ज्यादा जलील हरकत कोई नहीं कर सकता । पाकिस्तान ने अपनी शरारती हरकतों से बाज न आते हुए यह किताब छपवाई । इसका राईटर कई साल पहले मर चुका है । यह बात पाकिस्तान के अखबारों ने, जो लाहौर से आते हैं, लिखी है । अब इस मामले में यह बात और सीरियस हो जाती है कि वे कौन हैं जो हमारे धर्म का अपमान करके धर्म के अन्दर हमें बांटने की कोशिश कर रहा है ? हमारा मजाक उड़ाना चाहता है, दूसरे की निगाहों में गिराना चाहते हैं । पहले तो हरियाणा में फौरी तौर पर इस पर पाबन्दी लगा दी जाए, बाकी जितना भी ऐक्शन है, वह बाद में देख लेंगे । मरे हुए आदमी की कब्र तो खोद नहीं सकते, अगर उसकी भी इजाजत होती तो शायद उसकी कब्र खोदकर जूते मारते, तो भी कहीं कम होता । उसने न सिर्फ हमारे धर्म का अपमान किया है, बल्कि हमारे गुरुओं और पूर्वजों का, जिन्होंने अपना सब कुछ खोकर देश को एक नयी राह दी है, अपमान किया है । मैं आपसे विनती करूंगा कि यह मांग हम सबकी तरफ से होनी चाहिए कि यह किताब इस मुल्क में पाबन्द हो ।

श्री अमीर चन्द मक्कड़ : स्पीकर साहब, मैं भी यही निवेदन करूंगा कि इस किताब पर पाबन्दी लगनी चाहिए । हमारे गुरुओं का जितना भी काम रहा है, इस पंजाब की धरती पर रहा है । हमारे लोगों में ही गुरुओं का ज्यादा विश्वास है, हम सुबह शाम उनका नाम लेते हैं । इस पुस्तक में जैसे शब्द लिखे हैं, वे अपने ही पैगम्बर, किसी भी गुरु, किसी भी धार्मिक इन्सान, किसी भी समाज सुधारक या गुरु के बारे में कहे जायें, उचित नहीं है । मैं समझता हूं इससे अपने ही धर्म का नुक्सान होता है । अतः मैं इस बारे में यह कहना चाहता हूं कि एक प्रस्ताव अवश्य

ही पास किया जाना चाहिये । इस के अलावा मैंने एक काल अटैंशन मोशन भी दिया है । .....

श्री अध्यक्ष : नहीं नहीं । आप बैठिये ।

प्रो० राम बिलास शर्मा : स्पीकर साहब, सारे सदन की भावना इस बारे में एक है, जो बताया गया है, चौधरी असलम खां और भाई अजमत खां ने, वह ठीक ही कहा है, वह इस सदन की भावना के अनुरूप है । हम इस बारे में अपना आदर प्रकट करते हैं । यह मसला पाकिस्तान की गुप्तचर एजेंसी जो आई० एस० आई० है, उस के द्वारा खड़ा किया जा रहा है । आप जानते हैं कि भारत के उत्तरी भाग में अफरा-तफरी फैलाने के लिये यह एजेंसी बहुत सक्रियता से काम कर रही है । यह किताब किसी सादिक अली ने लिखी है । इसका प्रचार और प्रसार बड़े व्यापक पैमाने पर हो रहा है। इस किताब के जरिये हिन्दू-सिख, दोनों भाइयों को लड़ाने का काम, यह आई० एस० आई० संस्था करवाने का प्रयत्न कर रही है । मेरा कहना यह है कि इस बारे में केवल निन्दा प्रस्ताव पास करना ही काफी नहीं होगा । यहां पर बहुत से भाई सिख-गुरुओं का आदर व मान-सम्मान करने वाले रहते हैं । वे हमारे भी महापुरुष हैं, हमारे देवता हैं । यह जो साजिश हो रही है, इसके प्रचार प्रसार के खिलाफ हरियाणा के मुख्य मन्त्री को एफ० आई० आर० दर्ज करानी चाहिये और भारत सरकार के माध्यम से कोशिश करके, ट्रायल के लिये इसके लेखक-प्रकाशक को यहां बुलवा कर उन पर मुकद्दमा चलाया जाना चाहिये । मेरा अन्त में यही कहना है कि इस बारे में एक प्रस्ताव पास करने के साथ-साथ एक एफ० आई० आर० भी उनके खिलाफ दर्ज करायी जानी चाहिये । धन्यवाद ।

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल) : अध्यक्ष महोदय, जाहिर है कि माननीय सदस्यों ने अपने जो सैंटीमैंट्स प्रकट किये हैं, वह सही हैं और मैं अपने आपको इसमें जोड़ता हूं और इसका समर्थन करता हूं । हमने देखा है कि धार्मिक गुरु किसी भी वर्ग के या जाति के हो, महापुरुष या देवता सभी लोगों के होते हैं, इसलिये इसको जितने कड़े शब्दों में कंडेम किया जाये, मैं समझता हूं उतना ही थोड़ा है । इसके अलावा, यह किताब मेहरबानी करके इनसे ले लें । हम इस बारे में एक प्रस्ताव कल लायेंगे । उस प्रस्ताव की भाषा क्या हो, यह भी देख लेंगे । इस बारे में हम किसी एक-आध दूसरे महानुभाव से बात भी कर लेंगे । जहां तक हम इस बात को कंडैम कर सकते हैं, या जो भी जायज बात कर सकते हैं, वह हम देख लेंगे कि क्या करना है । हम यह भी देख लेंगे कि इसमें क्या सही है, क्या सही नहीं है । इस बारे में प्रस्ताव की लैंग्वेज क्या होनी चाहिये, यह सारी बातें सोचकर कल ही हम इस विषय पर प्रस्ताव खुद लायेंगे । (व्यवधान व शोर) मैंने तो पहले ही कहा है कि यह बड़ी गलत बात है जो इसमें कही गयी है । किसी भी धर्म के गुरु के बारे में ऐसी बातें लिखी जायें, यह कोई ठीक बात नहीं है ।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव–

आईसोप्रोटोन नामक घटिया किस्म की दवाई सम्बन्धी

Mr. Speaker : Hon'ble members, I have received a Calling Attention Notice No. 23 given notice of by Dr. Ram Parkash regarding inferior quality of medicine named Issoproton. I have admitted it. Dr. Ram Parkash may read his notice and Minister concerned may make a statement thereafter.

डा० राम प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, मैं इस महान सदन का ध्यान एक अत्यावश्यक लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि आईसोप्रोटोन नामक 11.00 बजे | खरपतवारनाशक दवाई गेहूं में (50 प्रतिशत का 800 ग्राम प्रति एकड़ तथा 75 प्रतिशत का 400 ग्राम प्रति एकड़) एक बार डालते थे परन्तु इस बार यह दवाई दो बार डालने से भी मण्डूसी नष्ट नहीं हुई । इससे किसानों को वित्तीय हानि हुई है । इससे गेहूं के उत्पादन पर भी कुप्रभाव पड़ेगा । या तो यह दवाई घटिया थी या खरपतवार पर इसका प्रभाव समय के साथ कम हो गया है ।

अतः मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में सदन में एक वक्तव्य दे ।

वक्तव्य–

कृषि मंत्री द्वारा उक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सम्बन्धी

Mr. Speaker : I will request the Agriculture Minister to make a statement.

Agriculture Minister (Shri Harpal Singh) : Speaker Sir, The State Govt. makes strenuous efforts to enhance the production and productivity of foodgrains in general and wheat in particular being the major crop of the State. There was record production of 70.83 lakh M.T. of wheat during the year 1992-93 as compared to 10.59 lakh M.T. in 1966-67. It is expected that there will be a bumper wheat crop in Haryana this year.

With a view to ensuring the quality, Issoproton weedicide was supplied to the farmers through Govt. Agencies/Corporations/ Cooperative Institutions like Haryana Agro Industries Corporation, Haryana Seed Development Corporation, Haryana State Cooperative Supply and Marketing Federation, Haryana State Cooperative Apex Bank Ltd., Haryana Land Reclamation and Development Corporation, IFFCO and KRIBHCO. The preference was given to stock the material which was manufactured by HAIC and Hafed

and the rest was arranged from the private companies of repute which were on rate contract, through Govt. Agencies/Corporation/ Cooperative Institutions. Before stocking the material, the samples were drawn and got tested from the Govt. Laboratory at Karnal and only the material of good quality was stocked at sale points. 119 samples of Issoproton were drawn in the State during the season. All the samples of the material supplied by Govt. were found upto the prescribed standard and only 3 samples drawn from private dealers were found sub-standard and action is being taken against them under the Insecticides Act. Thus the material supplied by the Govt. to the farmers was of good quality.

The recommended dose of Issoporton is 800 gms per acre in 50 per cent formulation and 500 gms per acre in 75 per cent formulation and not 400 gms as stated by the Hon'ble member. This dose of weedicide should be dissolved in 280 litres of water and sprayed with flood jet/flat fan nozzle after 30-35 days of sowing and after 3-4 days of 1st irrigation. The presence of proper soil moisture at the time of spray ensures the destruction of weeds.

The Agriculture department has also consulted the Haryana Agriculture University, Hisar, in order to ensure the effectiveness of Issopotron in wheat fields. Scientists of Haryana Agriculture University and officers or the Agriculture Department have jointly surveyed several villages and after their intensive investigation it has been observed that straw burning has been found to reduce the efficency of Issoporton to the tune of 15-20 per cent. Many farmers just broadcast the weedicide mixed with sand or urea or apply with the 1st irrigation. This also reduces the effectiveness of the weedicide. The officers of the Agriculture department have been spreading the message about proper use of the weedicide through extension and pamphlets/posters.

The scientists have also reported that a few biotypes of phlaris minor (Mandusi or gulli danda) particularly in the areas in Karnal, Kurukshetra, Safidon, Tohna have developed resistance to Issoproton over the years. The dose requirement of these biotypes have been increased 3-4 times as compared to sensitive biotypes. It has also been observed that Issoporton has been comparatively less effective in those farms where it has been used continuously for more than 10 years without any break. Thus the presumption of Hon'ble member that its effect has lessen on the weed with the passage of time is correct. After observing this phenomenon of resistance on phlaris minor, the scientists of HAU, Hisar had started research work on other suitable alternative weedicides. Some of the weedicides have shown good results in trials and would be available for use at farmers' fields in near future.

Thus State Govt. is quite alive to the situation and the Issoproton supplied to the farmers was of good quality. All possible efforts have been made to combat this problem. As a result wheat production has been increasing in Haryana continuously.

डा० राम प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, यदि कृषि विश्वविद्यालय हिसार ने गेहूं के खरपतवार को नष्ट करने के लिये कुछ और विकल्प खोजना प्रारम्भ किया है तो इसका अर्थ यह है कि हमें समय रहते इस बात का एहसास था कि अब आईसो-प्रोटोन उतना प्रभावशाली नहीं, जितना पहले था। मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से जानना चाहता हूं जैसा कि पहले दो मिकदार थे कि इतने परसैन्ट हो तो इतनी दवाई डाली जाए। वैसे ही किसानों को जब हमने सरकारी केन्द्रों से या सहकारी संस्थानों के माध्यम से इसका वितरण करना था तो हाई परसैन्टेज वाली दवाई देने पर क्यों विचार नहीं किया गया ? जो विकल्प तैयार किया है, अगर वह इससे बेहतर है तो वह कब तक किसानों को मुहैया किया जा सकेगा ? क्या अगली फसल के वक्त भी उन्हें इसी दवाई पर निर्भर रहना पड़ेगा या दूसरी वैकल्पिक दवाईयां उन्हें दे दी जाएंगी ?

दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि एक बार से ज्यादा दवाई डालनी पड़ी है। यह सहकारी संस्थाओं से किसानों ने ली है। इस बार किसान को दवाई जो बार-बार लेनी पड़ी, उसकी कीमत क्या उसे वापिस करने के बारे में सरकार विचार करेगी ?

श्री हरपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, आनरेबल मैम्बर ने दो-तीन सवाल इकट्ठे ही कर दिये। पहली बात उन्होंने ऐग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार के बारे में कही कि कोई रिसर्च हो रही है कि नहीं। इसका मैंने पहले ही कहा है कि एच० ए० यू० में रिसर्च हो रही है और उन्होंने कुछ मैडीसन्ज वीड को मारने के लिये तैयार की हैं। लेकिन वे ट्रायल में हैं, जब तक उनकी यूटिलिटी कंन्फर्म न हो जाए या उनकी इफैक्टिवनैस के बारे में पता न लग जाए, तब तक वह दवाई हम फार्मर्ज को रिलीज नहीं कर सकते। हमने उनको यह डायरैक्शंज भी दी हैं कि इसकी तेजी से रिसर्च करके जल्दी ही कोई आल्टरनेटिव वीडीसाईड प्रोवाईड करें।

इससे आगे उन्होंने यह बात कही कि फार्मर्ज को इस बार बड़ा नुक्सान हुआ। इसमें कोई शक नहीं है कि इस बार फार्मर्ज ने बहुत ज्यादा सोईंग की थी और इसके लिये बहुत डिमांड भी थी, इसलिए हमें पहले से डेढ़ गुणा ज्यादा वीडीसाईड सप्लाई करना पड़ा। मैं तो यह कहूंगा कि एग्रीकल्चर के अफसरों ने बहुत ही अच्छा काम किया है कि उन्होंने फर्टीलाईजर भी ज्यादा सप्लाई किया और वीडीसाईड भी ज्यादा सप्लाई किया और साथ-साथ फार्मर्ज को क्वालिटी सीड भी सप्लाई किया। इस तरह से अगर लार्ज स्केल पर सोईंग हो तो कहीं न कहीं कुछ कमी, किसानों के इस्तेमाल करने में रह ही जाती है। जैसे एक दिन मेरे पास कुछ किसान बैठे थे। उनमें दो एक किसानों ने यह कहा कि वीडीसाईड इफैक्टिव नहीं थी और पास बैठे दूसरे दो चार किसान सुनते रहे और चुप रहे। मैंने उन से पूछा कि आप चुप क्यों हैं, आप बताओ। तुम्हारे खेत में इसका असर कैसा रहा, क्योंकि किसान सभी इसको

इस्तेमाल करते हैं ? वे कहने लगे कि हमने भी इस्तेमाल किया है, हमारे रिजल्ट तो ठीक हैं । मंडूसी जो थी, वह बिल्कुल साफ हो गई है । इसके डालने से, जिसको हम गुल्ली डंडा कहते हैं, वह बिल्कुल साफ हो गया है । तो इसका फर्क यही था कि कहीं न कहीं इस्तेमाल करने में जरूर कोई गल्ती हुई है । इसके लिये हमने एक पम्फलैट भी शाया किया है । उसको किसानों में बंटवाया भी और यूनिवर्सिटी वालों से कंसल्ट किया जो ऐडवाईस उन्होंने दी, वह हमने सब किसानों को दी है, पोस्टर्ज के द्वारा दी है कि आप इसको किस तरीके से यूज करना चाहिये । आपने देखा होगा कि इस साल मंडूसी की शिकायत पिछले साल से बहुत कम है । आप किसी भी जगह जाएं या फिर कहीं जी० टी० रोड़ पर जाते होंगे तो आपको यह कहीं-कहीं पर नजर आएगी । इसका कारण यह है कि यह बात ठीक हो सकती है कि दवाई की इफैक्टिवनैस समय के साथ साथ, हो सकता है न रही हो लेकिन इसका जो इस्तेमाल करने का तरीका है, उसमें किसान कई बार गलती कर लेते हैं जिसके कारण ऐसी बात हो जाती है । मैं डाक्टर राम प्रकाश जी को अर्ज करता हूं कि इसके लिये सरकार बहुत ही चिन्तित है । बहुत सालों से हम एक ही वीडीसाईड इस्तेमाल कर रहे हैं । लगातार कई सालों तक इसके इस्तेमाल करने से इफैक्टिवनैस में फर्क पड़ता है । इसके लिये हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वर्क कर रही है, रिसर्च कर रही है और जल्दी ही हम किसानों को नई वीडीसाईड देंगे, जिससे यह बीमारी बिल्कुल कट जाएगी ।

डा० राम प्रकाश : स्पीकर साहब, किसान इस दवाई को कई वर्षों से इस्तेमाल कर रहे हैं । इसका मतलब यह है कि किसान को इसके इस्तेमाल करने का तरीका पता है । आज चूंकि मन्त्री महोदय ने खुद माना है कि कई जिलों में इस दवाई का सही असर नहीं हो पाया । मैं उनसे जानना चाहूंगा कि क्या अगले वर्ष के लिए रिसर्च करके कोई डोज बनाने और उचित समय पर किसान तक यह दवाई पहुंचाने का सरकार आश्वासन देगी ? दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि अगर इस विषय में कोई रिसर्च हो रही है, तो उसका सुधार करके, कब तक आम लोगों के इस्तेमाल के लिए पहुंच जाएगी । इसी तरह से दूसरी फसलों में दवाइयों का प्रभाव कम हो रहा है, क्या उसकी ओर कृषि मन्त्रालय का ध्यान है ?

श्री हरपाल सिंह : स्पीकर साहब, हम दो डायरैक्शन में वर्क कर रहे हैं । एक तो इसका अल्टरनेटिव तैयार करने के लिए एच० ए० यू० के साइंटिस्टस रिसर्च कर रहे हैं । हम कोशिश कर रहे हैं कि किसानों को नई वीडीसाईड दे सकें । दूसरी तरफ यह भी कोशिश कर रहे हैं कि जिस एरिया में पैडी और व्हीट की रोटेशन है क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता यह बढ़ रही है । जहां पहले पैडी नहीं थी वहां भी लोगों ने लगानी शुरू कर दी है । उस रोटेशन में यह शिकायत ज्यादा है । हम कोशिश कर रहे हैं कि किसानों में किसी किस्म की डाइवर्सीफिकेशन आए और वे दूसरी किस्म की फसल पैदा करें । जिन लोगों ने सूरजमुखी का इस्तेमाल किया, उनको इस

[श्री हरपाल सिंह]

बात का पता है । यह राम प्रकाश जी के एरिया में ज्यादा होता है । एक बार सूरजमुखी लगाने के बाद खेत में मंडूसी का नाश हो जाता है । अगर किसान अपनी फसल छोड़ कर बीज में कोई और फसल मिलाना चाहता है, तो उसे अपना पैटर्न चेंज करना पड़ेगा । हमारी कोशिश यह है कि किसान का पैटर्न भी चेंज हो और उसकी पैदावार भी बढ़े ।

बिजली मन्त्री (चौधरी जगदीश नेहरा) : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रिवलेज मोशन का नोटिस दिया था उसका क्या बना ।

श्री अध्यक्ष : वह शॉर्ट कसिडेशन है ।

नियम 30 के अधीन प्रस्ताव

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the Irrigation Minister will move the motion under Rule 30.

Irrigation Minister (Chaudhri Jagdish Nehra) : Sir, I beg to move—

> That Rule 30 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly be suspended and Government business be transacted on Thursday, the 17th March, 1994.

Mr. Speaker : Motion moved—

> That Rule 30 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly be suspended and Government business be transacted on Thursday, the 17th March, 1994.

Mr. Speaker : Question is—

> That Rule 30 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly be suspended and Government business be transacted on Thursday, the 17th March, 1994.

The motion was carried.

समितियों की रिपोर्टें प्रस्तुत करना

(i) कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्ज की 36वीं तथा 37वीं रिपोर्ट

Mr. Speaker : Now Shri Suraj Mal, Chairman, Committee on Public Undertakings will present the Thirty Sixth Report of the Committee on Public Undertakings for the year 1993-94 on the Report of the Comptroller and Auditor General of India for the

year 1987-88 (Commercial) and the Thirty Seventh Report of the Committee on Public Undertakings for the year 1993-94 on the Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year 1988-89 (Commercial).

Shri Suraj Mal (Chairman, Committee on Public Undertakings) : Sir, I beg to present the Thirty Sixth Report of the Committee on Public Undertakings for the year 1993-94 on the Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year 1987-88 (Commercial).

Sir, I also beg to present the Thirty Seventh Report of the Committee on Public Undertakings for the year 1993-94 on the Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year 1988-89 (Commercial).

(ii) कमेटी ऑन पब्लिक अकाऊंटस की 37वीं रिपोर्ट

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now Shri Rajinder Singh Bisla, Chairman, Committee on Public Accounts will present the Thirty Seventh Report of the Committee on Public Accounts for the year 1993-94, on the Appropriation Accounts/Finance Accounts of the Haryana Government for the year 1988-89.

Shri Rajinder Singh Bisla (Chairman, Committee on Public Accounts) : Sir, I beg to present the Thirty Seventh Report of the Committee on Public Accounts for the year 1993-94, on the Appropriation Accounts/Finance Accounts of the Haryana Government for the year 1988-89.

(iii) कमेटी ऑन एस्टीमेट्स की 26वीं रिपोर्ट

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now Ch. Verender Singh, Chairman, Committee on Estimates, will present the Twenty Sixth Report of the Committee on Estimates for the year 1993-94.

Ch. Verender Singh (Chairman, Committee on Estimates) : Sir, I beg to present the Twenty Sixth Report of the Committee on Estimates for the year 1993-94.

संविधान (77वां संशोधन) विधेयक, 1992 के अनुसमर्थन संबंधी संकल्प

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the Chief Minister will move a resolution.

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि—

यह सदन भारत के संविधान के उस संशोधन का अनुसमर्थन करता है जो उसके अनुच्छेद 368 के खण्ड (2) के परन्तुक के खण्ड (ख) की व्याप्ति में आता

[चौधरी भजन लाल]

है तथा संसद के सदनों द्वारा पारित रूप में संविधान (सतहत्तरवां संशोधन) विधेयक, 1992 द्वारा किया जाना प्रस्तावित है ।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में सदन को थोड़ी जानकारी दे देता हूं कि यह क्या मुद्दा है और इसका क्या मकसद है, उसके बाद इस पर कोई ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं रहेगी । संविधान की धारा 323 (बी) के अनुसार उपयुक्त लैजिसलेचर, इस धारा में दिए गए विषयों पर विवादों को निपटाने के लिए ट्रिब्यूनल्ज बना सकते हैं । धारा 323 (बी) (2) में किराया नियंत्रण (रैंट कंट्रोल) का विषय शामिल नहीं है । भारत में सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट में बहुत से केस किराए के बारे में विवादों में पड़े हुए हैं जिनका कई वर्षों तक निर्णय नहीं हो पाता जिससे मालिक मकान एवं किराएदार दोनों को ही बहुत असुविधा का सामना करना पड़ता है । मार्च, 1992 में मुख्य मंत्रियों की कांफ्रैंस द्वारा रैंट ट्रीब्यूनल बनाए जाने का समर्थन किया गया था । आर्थिक एवं प्रशासनिक सुधारों के बारे में स्थापित झा-आयोग ने भी इसका समर्थन किया था । रैंट ट्रीब्यूनल बनाने से हाई कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट पर से भारी बोझ हटाया जा सकेगा तथा सिविल सूटों और अपीलों में कमी आने के कारण मुकदमों का शीघ्र निपटान भी हो सकेगा । संविधान में प्रस्तावित 77वें संशोधन बिल द्वारा धारा 323 (बी) (2) में इस प्रकार के ट्रीब्यूनल स्थापित करने के लिए उचित प्रावधान किया जा रहा है । इसे लोक सभा एवं राज्य सभा ने पहले ही पारित कर दिया है । राष्ट्रपति का अनुमोदन प्राप्त करने से पहले संविधान के अनुसार 50 प्रतिशत राज्य सरकारों का भी समर्थन होना जरूरी है । यह रैजोल्यूशन हरियाणा विधान सभा में इस मंतव्य के लिए लाया जा रहा है कि इसे हरियाणा राज्य का समर्थन दिया जा सके । यह संशोधन केवल एक एनेबलिंग प्रोविजन ही संविधान में डाला जा रहा है परन्तु रैंट ट्रीब्यूनल स्थापित करने के लिए उपयुक्त लैजिस्लेचर द्वारा अलग से कानून भी पास करना होगा ।

Mr. Speaker : Motion moved—

That this House ratifies the amendment to the Constitution of India falling within the purview of clause (b) of the proviso to clause (2) of article 368 thereof, proposed to be made by the Constitution (Seventy-seventh Amendment) Bill, 1992, as passed by the Houses of Parliament.

Mr. Speaker : Question is—

That this House ratifies the amendment to theConstitution of India falling with in the purview of clause (b) of the proviso to clause (2) of article 368 thereof, proposed to be made by the Constitution (Seventy-seventh Amendment) Bill, 1992, as passed by the Houses of Parliament.

The motion was carried.

विशेषाधिकार भंग का प्रश्न

राज्यपाल के पोते द्वारा नकल सम्बन्धी मुख्य मन्त्री द्वारा दिए गए वक्तव्य बारे श्री कर्ण सिंह दलाल के विरुद्ध

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I have received a notice of breach of privilege from Shri Jagdish Nehra, Minister for Parliamentary Affairs regarding levelling false and baseless allegations against the Leader of the House by Shri Karan Singh Dalal, M.L.A. by making a motion based on palpable falsehood, deliberately and knowingly with an ulterior motive when the factual position was clarified by the Hon'ble Chief Minister on the floor of the House on 15th March, 1994.

I give my consent to the raising of this question of privilege and hold that the matter proposed to be discussed is in order and I now ask Shri Jagdish Nehra to rise and ask for leave to raise the question of breach of privilege.

चौधरी जगदीश नेहरा : स्पीकर साहब, इसकी बैक ग्राउंड के बारे में मैंने पहले भी अर्ज किया कि 8 तारीख को अखबार में एक खबर आई कि धनिक लाल मण्डल का पोता नकल करते हुए पाया गया । उस पर यहां पर सदन में बड़ी भारी चर्चा हुई । उस बारे में सी0 एम0 साहब ने 8 तारीख को स्पेसिफिक और कैटेगरिकली कहा कि यह बात बिलकुल असत्य है । सी0 एम0 साहब ने बताया कि धनिकलाल मण्डल का कोई पोता फरीदाबाद में नहीं पढ़ता और गवर्नर साहब का इस मामले से कोई संबंध नहीं है । उसके बाद 15 तारीख को कर्ण सिंह दलाल जो इस हाउस के सदस्य हैं, ने एक प्रिविलेज मोशन लीडर आफ दी हाउस के अगेन्स्ट दिया । इन्होंने स्टेटमेंट दी कि यह धनिक लाल मण्डल का ही पोता है और मैंने भाग दौड़ करके सारे डाकुमेंट्स और रिकार्ड इकट्ठा किया है और इन्होंने एक एफिडेविट भी लगाया और एक फोटो भी दिखाया कि यह गवर्नर साहब के पोते हैं और मुख्य मन्त्री ने जो कहा, वह बिल्कुल गल्त है । कर्ण सिंह दलाल, ने लीडर आफ दी हाउस के खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाने की जो बात की, उसी के अगेंस्ट मेरा श्री कर्ण सिंह दलाल के खिलाफ यह प्रिविलेज मोशन है । मैं चाहता हूं कि इसे कन्सीडर करके कर्ण सिंह दलाल के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही की जाये ।

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल) : अध्यक्ष महोदय, 8 तारीख को एक अखबार में खबर आई । उस खबर के आधार पर कर्ण सिंह दलाल ने जो इस हाउस के सदस्य हैं, बहुत बावेला मचाया कि राज्यपाल महोदय का पोता नकल करते हुए पकड़ा गया । यह अखबार मैंने भी पढ़ा था और मैंने भी सोचा कि यह मामला जरूर हाउस में उठेगा । इसलिये राज्यपाल महोदय से पूछ कर सदन में मैंने सारी बात बताई कि यह बिल्कुल बेबुनियाद और असत्य बात है, राज्यपाल महोदय का कोई पोता फरीदाबाद में नहीं पढ़ता । अध्यक्ष महोदय, यह सदन है और आप मुझे लीडर आफ दि

[चौधरी भजन लाल]

हाउस भी कहते हैं, मैं स्टेट का मुख्य मन्त्री हूं, सबसे बड़ी पार्टी जो इस प्रदेश में राज चला रही है, उसका हैड हाउस के अन्दर एक बात कह रहा है तो क्या वह गल्त बात होगी ? उसकी बात पर ये लोग विश्वास न करें ? अध्यक्ष महोदय, यह हाउस है । इसमें हाउस की गरिमा का भी सवाल है । हाउस की गरिमा का ही नहीं, हाउस के सभी मैम्बर्ज की गरिमा का सवाल है । अध्यक्ष महोदय, यदि कोई मैम्बर, या पार्टी का लीडर और लीडर आफ दि अपोजीशन भी अगर कोई बात जिम्मेदारी से कहता है तो हमें उसको मानना पड़ता है और मानना भी चाहिए । मैंने एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कही थी लेकिन ये कहते हैं कि यह गल्त बात है । कल फिर इन्होंने किस तरह गवर्नर साहब का जिक्र किया और फोटो लगा कर कहा कि साहब, यह उनके पोते का फोटो है । स्पीकर साहब, उनके पोते का कोई फोटो नहीं । ऐफिडेविट और पता नहीं इन्होंने क्या कुछ किया और कहा कि भजन लाल ने हाउस को मिसलीड किया है । इनके खिलाफ प्रिविलेज मोशन आना चाहिए । मैंने उस वक्त चैलेंज किया था कि अगर मैंने गल्त कहा है तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं । मैं अपनी बात पर अभी भी कायम हूं । अध्यक्ष महोदय, मैंने फिर वैरिफाई किया गवर्नर साहब से और जो उन्होंने मुझे बताया, वह मैं आपको बताना चाहता हूं । उनके दो बेटे हैं, जिनमें से एक का नाम भारत भूषण सन आफ श्री धनिक लाल मण्डल और दूसरे का नाम अशोक कुमार मण्डल है । उन्होंने मुझे बताया कि मेरा एक पोता छोटा बच्चा है जो राई में पढ़ता है और दूसरा पोता भी नहीं बल्कि दोहता है, वरुण कुमार जो चण्डीगढ़ में पढ़ता है । उनका कोई पोता फरीदाबाद में नहीं पढ़ता । मैंने बहुत जिम्मेदारी के साथ कहा था , उसके बावजूद भी ये बार-बार कहते रहे । मैंने गवर्नर साहब से इस बात की तसदीक की और डिप्टी कमिश्नर की जिम्मेदारी लगाई । उनसे मुझे फैक्स मिला है, मैं वह फैक्स यहां हाउस में पढ़ कर सुना देता हूं उसकी तरफ से बयान है "मैं यह सूचित करना चाहता हूं कि जो नकल करने का मेरे बारे में आरोप लगाया गया है, वह मुझे बदनाम करने के लिये किया जा रहा है, मैंने कोई नकल नहीं की । लड़का कहता है कि मैं श्री हरकेवल मण्डल का लड़का हूं और मेरे दादा का नाम श्री जोगेश्वर मण्डल है । जोगेश्वर मण्डल का स्वर्गवास हुए भी काफी समय हो गया है । वे उस समय स्वर्गवास हो गए थे, जब मेरे पिता जी छोटे थे । मेरे दादा का नाम धनिक लाल मण्डल नहीं है । मैं यह भी कहना चाहूंगा कि मैंने शिडयूल्ड कास्ट होने का वजीफा जरूर लिया है, पर मैंने फार्म पर केवल हस्ताक्षर किए थे और कोई हस्ताक्षर न तो मैंने किये और न मेरे पिता ने किए । मेरे पिता ने दाखिले फार्म पर हस्ताक्षर किये हैं और यह देखा जा सकता है । दूसरे फार्म पर मेरे पिता के हस्ताक्षर नहीं हैं । मेरे घर का पता मैंने इसलिये एफ–5/62 दिया था क्योंकि वहां पर रहने वाला आदमी मेरे भाई को जानता था इसलिये फरीदाबाद का एड्रैस दिया था ।" अध्यक्ष महोदय, फरीदाबाद ऐसा शहर है, जिस में 6 लाख की कुल आबादी है और आधे से ज्यादा लोग बाहर

के रहते हैं। बहुत से मजदूर बिहार, यू० पी० और साउथ के हैं। कोई भी आदमी अपने नाम के साथ मण्डल लगा सकता है। मण्डल किसी जाति का नाम नहीं है। जैसे शास्त्री कोई भी पढ़ सकता है। शास्त्री पढ़ा ब्राह्मण भी हो सकता है, पंजाबी भी हो सकता है, जाट भी हो सकता है, बिश्नोई भी हो सकता है, गुज्जर या हरिजन कोई भी हो सकता है। आदमपुर में छः भजन लाल हैं। भजन लाल का नाम लिखने से क्या भजन लाल चीफ मिनिस्टर हो गया ? अध्यक्ष महोदय, किस तरह से हाउस की गरिमा को कम किया गया है, इसलिये मेरा यह निवेदन है कि अभी भी मैं अपनी बात पर इस्तीफा देने के लिए कायम हूं। प्रिविलेज कमेटी इनके खिलाफ ऐक्शन ले। आप मेहरबानी करके यह सारा मामला प्रिविलेज कमेटी को सौंप दें।

Mr. Speaker : Is there any objection to the leave being granted to refer this matter to the Privileges Committee. (Noises & Interruptions).

श्री बीरेन्द्र सिंह (नारनौंद) : अध्यक्ष महोदय, गवर्नर साहब के पोते का मामला कई बार हाउस में आ चुका है। स्पीकर साहब, इस बारे में कल बहुत ही उत्तेजना हो गई थी। कर्ण सिंह दलाल मुख्य मंत्री जी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन ले आए और मुख्य मन्त्री जी ने फैक्चुअल पोजीशन यहां पर हाउस में बताई। इस मामले में जो डिस्प्यूट था, उसको ले कर इन्होंने मुख्य मन्त्री जी से इस्तीफे की मांग की और मुख्य मन्त्री जी ने आफर किया कि इस मामले पर एक कमेटी बना दी जाए। मुख्य मंत्री जी ने जो बात कही है और फैक्चुअल पोजीशन ब्यान की है, वह इस बात का सबूत है। इसके साथ ही मुख्य मंत्री जी ने बहुत ही मजबूती से कहा है कि कमेटी का गठन कर लिया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह कहता हूं कि अगर मंत्री या मुख्य मंत्री कोई बात कह दे तो वह सही माननी चाहिए। अगर उनकी बात न मान कर यह हाउस कमेटियों का गठन करने लगे तो इस हाउस का काम कैसे चलेगा ? मैं तो कहता हूं कि अगर कल को यह पूछा जाए कि फलानी सड़क यहां से वहां तक कितनी बनी हुई है, और मिनिस्टर कह कि चार किलोमीटर है, तो उस बात को मान लेना चाहिए। यह नहीं कि दूसरा मम्बर यह कहे कि यह सड़क दो किलोमीटर है और इसको सही देखने के लिए कमेटी का गठन कर दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, जो बात मंत्री या मुख्य मंत्री ने कह दी है, वह मान लेनी चाहिए, यही हाउस की प्रथा है। चाहे पार्लियामैंट हो, राज्यसभा हो या विधान सभा हो, जो भी लीडर आफ दी हाउस जवाब दें वह मान लेना चाहिए। इस हाउस को अगर चलाना है तो इस तरह नहीं करना चाहिए कि छोटी सी बात को लेकर कमेटी का गठन कर दिया जाए। यहां पर कहा गया कि लड़के के बाप का नाम हरि किशन है तो मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि हरिकिशन नाम नहीं है। तो बात यहीं पर समाप्त हो जानी चाहिए थी।

प्रो० सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव जगदीश नेहरा जी लाए, उस पर मुख्य मंत्री जी ने ब्यान दिया कि पांच मेम्बरों की कमेटी बिठाई जाए। अभी बीरेन्द्र सिंह

[प्रो० सम्पत सिंह]

जी ने कहा कि छोटी-छोटी बातों पर कमेटी नहीं बैठानी चाहिए, यह बात इन्होंने ठीक ही कही है और मैं इनसे सहमत हूं। अगर हमें कोई बात अच्छी नहीं लगती या हमारी बात नहीं मानी जाती तो हम एज ए प्रोटैस्ट वाक आऊट कर जाते हैं। लेकिन कल तो कर्ण सिंह दलाल विशेषाधिकार प्रस्ताव लाए थे .....

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, हमें आज भी मन्जूर है कि कर्ण सिंह दलाल इस्तीफा दें और इधर मैं देता हूं। जो भी इस हाऊस का फैसला होगा, वह हमें मन्जूर है।

प्रो० सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय, अब विशेषाधिकार प्रस्ताव नेहरा जी लाए हैं और कल कर्ण सिंह दलाल जी लाए थे (विघ्न) स्पीकर साहब, कल कहा गया था कि कमेटी का गठन कर लिया जाए। अब कल मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही थी, वह दावे के साथ कही थी लेकिन इनके पास आज और भी फैक्ट्स आ गए हैं। डिप्टी कमीशनर की लैटर आ गई है जो कल इनके पास नहीं थी। इसी तरह से कर्ण सिंह दलाल के पास भी हो सकता है और फैक्ट्स हों, वे और भी तथ्य इकट्ठे करके लाए हों। मैं तो यह कहता हूं कि यह जो दोनों प्रस्ताव आए हैं, इन दोनों प्रस्तावों को आप प्रिवलेज कमेटी के अन्दर डालें, न कि एक प्रस्ताव को ही, क्योंकि यह दोनों मैटर इन्टर-लिंक्ड हैं। अगर यह मैटर डीलिंक्ड है, तो आप दोनों ही प्रस्तावों को कमेटी में न डालें और अगर इसको मानते हैं तो दोनों ही प्रस्तावों को मानें। एक प्रस्ताव को न मानें या फिर दोनों ही प्रस्तावों को रद्द कर दें। यही मेरी आपसे गुजारिश है।

प्रो० राम विलास शर्मा: स्पीकर सर, मैं तो कल सदन में नहीं था लेकिन मुझे पता चला कि एक प्रिविलेज मोशन तो कर्ण सिंह दलाल लाए थे और एक प्रिविलेज मोशन पार्लियामैंटरी मिनिस्टर लाए हैं। स्पीकर सर, यह मसला महामहिम राज्यपाल से जुड़ा हुआ है। इस मसले पर सदन में सुझाव देने की परम्परा नहीं रही है। अगर राज्यपाल महोदय से जुड़ी हुई कोई बात है, तो वह इस हाऊस की ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आती कि इस पर कोई चर्चा करें। इसलिए मेरी कर्ण सिंह दलाल और श्री जगदीश नेहरा जी से भी यही गुजारिश है कि यह मसला राज्यपाल महोदय से जुड़ा हुआ है इसलिए आप दोनों ही अपने-अपने प्रिवलेज मोशन विदड्रा कर लें तथा अपने प्रिवलेज मोशन न लाए। जहां तक कमेटी बनाने की बात है, अगर उसको भी आप चाहें, तो रहने दें।

श्री मनी राम (एलनाबाद-अनुसूचित जाति): अध्यक्ष महोदय, मुझे आपसे यह कहना है कि जहां तक नाम की बात है, मेरा नाम तो आपको मालूम ही है और मेरे फादर का नाम श्री केसरा राम है। इसी प्रकार मेरे ही गांव में एक और आदमी है जिसका नाम मनी राम है और उसके बाप का नाम भी केसरा राम ही है तथा उसकी

उम्र भी 45 साल ही है तो क्या वह एम0एल0ए0 हो गया ? अध्यक्ष महोदय, कई बार नाम भी मिल जाते हैं, बाप के नाम भी मिल जाते हैं और गांव के नाम भी मिल जाते हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि वह वही आदमी हो जाता है। जहां तक कर्ण सिंह दलाल के प्रिविलेज मोशन की बात है, मैं कहना चाहूंगा कि इस वक्त इस सीट पर कुदरत की कृपा से और जनता की मर्जी से जो इंसान बैठा है, वह केवल राजनीति में ही पी0एच0डी0 नहीं है, बल्कि वे एक सलीके के, मैनर्ज के, ऐटीकेट्स के भी पी0एच0डी0 हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं यही कहना चाहूंगा कि आदरणीय मुख्य मंत्री जी अगर किसी को इंकार भी करते हैं तो उसको महसूस नहीं होता कि मुख्य मंत्री जी उसको इंकार कर रहे हैं। इनके इंकार करने में भी मिठास होती है। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि जो दलाल साहब और नेहरा साहब ने अपने प्रिविलेज मोशन दिए हैं, तो आप इनका फैसला अभी कर दें। अध्यक्ष महोदय यह बड़ा अजीब सा लगता है कि जिन बातों का कोई तथ्य नहीं होता, उन बातों को लीडर ऑफ दी हाऊस के विरुद्ध ये लाते हैं। बस, मुझे यही बात कहनी है।

प्रो0 छत्तर सिंह चौहान : स्पीकर सर, मोशन की बात चल रही है, यह मामला महामहिम राज्यपाल महोदय से जुड़ा हुआ है। इस हाऊस की यह स्वस्थ्य परम्परा रही है कि जो भी विषय गवर्नर साहब से जुड़ा हो, वह यहां पर चर्चा का विषय नहीं बनना चाहिए। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो दोनों तरफ से प्रिविलेज मोशन आए हैं, तो यह कोई अच्छी बात नहीं है। इन्होंने भी ऐलीगेशन लगाए और उन्होंने भी ऐलीगेशन लगाए। (विघ्न) आपकी समझ से यह बात बाहर की है, इसलिए आप न बोलें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि प्रस्ताव दोनों तरफ से वापस ले लें, यह कोई अच्छी परम्परा नहीं है। **For the functioning of the Parliamentary democracy** अगर ऐसा होगा तो एक अच्छी बात रहेगी।

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल) : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने हाउस को मिसलीड किया है, गवर्नर साहब को बदनाम करने की बात की है। कल अपनी स्पीच में इन्होंने कहा कि मैंने राज्यपाल महोदय की नजरों में अपनी छवि बनाने के लिए सदन के समक्ष ऐसी स्टेटमैंट दी है, इनकी यह बात गलत है। मैंने जो कहा है, उसको चैलेन्ज कर रहे हैं कि गलत है। अध्यक्ष महोदय, यह मैटर प्रिविलेज कमेटी को दीजिए, चाहे स्पैशल कमेटी बना दीजिए या इसी कमेटी को मैटर दे दीजिए। बार-बार ये एक बात को दोहराएं क्या वह ठीक है ? 8 तारीख को चर्चा हो गई थी और 15 तारीख को फिर मैटर उठाया। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। बिल्कुल बेबुनियाद और बैसलैस बात है। राज्यपाल महोदय के बारे में इन्होंने जो बातें की हैं, इससे बुरी और क्या बात हो सकती है ? इसलिये यह मामला कमेटी को जाना चाहिए।

वाक-आउट

Irrigation Minister Ch. Jagdish Nehra : Sir, I beg to seek the leave of the House to riase the question of breach of privilege against Shri Karan Singh Dalal, M.L.A. for levelling false and baseless allegations against the Leader of the House by making a motion based on palpable falsehood deliberately and knowingly with an ulterior motive when the factual position was clarified by the Hon'ble Chief Minister on the floor of the House.

Mr. Spekaer : Have the Hon'ble Members the leave of the House to riase the question of breach of privilege ?

Voices : Yes.

Mr. Speaker : The leave is granted.

Prof. Sampat Singh : As a protest, we walk out.

(At this stage all the members of opposition Benches (Janta Party, H.V.P. & B.J.P), present in the House staged a walk out.)

विशेषाधिकार भंग का प्रश्न (पुनरारम्भ)

राज्यपाल के पोते द्वारा नकल सम्बन्धी मुख्य मंत्री द्वारा दिए वक्तव्य बारे श्री कर्ण सिंह दलाल के विरुद्ध

Mr. Speaker : Now Parliamentary Affairs Minister, Shri Jagdish Nehra, may please move his motion to refer the matter to the Committee of Privileges.

Irrigation and Parliamentary Affairs Minister (Ch. Jagdish Nehra) : Sir, I beg to move—

That the matter in regard to levelling false and baseless allegations against the Leader of the House by making a motion based on palpable falsehood deliberately and knowingly with an ulterior motive when the fctual position was clarified by the Hon'ble Chief Minister on the floor of the House, by Shri Karan Singh Dalal, M.L.A., be referred to the Committee of Privileges for examination and report upto the first sitting of the next session.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the matter in regard to levelling false and baseless allegations against the Leader of the House by making a motion based on palpable falsehood deliberately and knowingly with an ulterior motive when the factual position was calarified by the Honb'le Chief Minister on the floor of the House, by Shri Karan Singh Dalal, M.L.A. be referred to the Committee of Privilezes for examination and report upto the first sitting of the next session.

Mr. Speaker : Question is—

That the matter in regard to levelling false and baseless allegations against the Leader of the House by making a motion based on palable falsehood deliberately and knowingly with an ulterior motive when the factual position was clarified by the Hon ble Chief Minister on the floor of the House, by Shri Karan Singh Dalal, M.L.A., be referred to the Committee of Privileges for examination and report upto the first sitting of the next session.

The motion was carried.

बिल्ज़

(i) दि हरियाणा एप्रोप्रिएशन (नं0 1) बिल, 1994

Mr. Speaker : Now the Finance Minister will introduce the Haryana Appropriation (No. 1) Bill, 1994 and also move the motion for its consideration.

Finance Minister (Shri Mange Ram Gupta) : Sir, I beg to introduce the Haryana Appropriation (No. 1) Bill, 1994.

Sir, I also beg to move—

That the Haryana Appropriation (No. 1) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana Appropriation (No. 1) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana Approriation (No. 1) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Schedule

Mr. Speaker : Question is—

That the Schedule be the schedule of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That the Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That the Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Finance Minister will move that the Bill be passed.

Finance Minister (Shri Mange Ram Gupta) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(ii) दि हरियाणा एप्रोप्रिएशन (नं० 2) बिल, 1994

Mr. Speaker : Now, the Finance Minister will introduce the Haryana Appropriation (No. 2) Bill, 1994 and will also move the motion for its consideration.

Finance Minister (Shri Mange Ram Gupta) : Sir, I beg to introduce the Haryana Appropriation (No. 2) Bill, 1994.

I also move—

That the Haryana Appropriation (No. 2) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana Appropriation (No. 2) Bill be taken into consideration at once.

श्री कृष्ण लाल (असंध -अनुसूचित जाति) : स्पीकर सर, जो आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिये आपका धन्यवाद । आज प्रदेश की जनता इस बात से बड़ी चिन्तित है कि हरियाणा की कांग्रेस सरकार कब हमारा पीछा छोड़ेगी । क्योंकि आज प्रदेश का सभी वर्ग, किसान, मजदूर, दुकानदार, व्यापारी, कर्मचारी, इस सरकार से परेशान हैं। सबसे पहले तो किसान परेशान हैं। सबसे पहले इरीगेशन की जब बात आती है तो इस बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि इरीगेशन की वजह से किसान बहुत ज्यादा परेशान है । प्रदेश के अन्दर जो कैनालज हैं, उनकी डिसिलटिंग नहीं की जाती । प्रदेश के किसान इस वजह से बहुत ज्यादा परेशान हैं क्योंकि इससे उनका नुकसान हो रहा है, जो उसे सहन करना पड़ रहा है । मेरे हल्के के अन्दर एक माईनर निकलती है । हांसी ब्रांच जोशी माइनर । वह चौधरी देवी लाल ने 1982 में हमारे यहां पर पक्की बनवायी थी । वह पिछले कई सालों से सुचारू रूप से नहीं चल रही है । विशेषकर जब से चौधरी भजन लाल की सरकार दोबारा से आयी है, तब से लेकर आज तक वह माईनर ठीक नहीं चली है । (इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए ।) 1982 से लेकर, जब से यह माईनर पक्की बनी है, आज तक इस माईनर की सफाई पर एक भी पैसा खर्च नहीं किया गया है । किसान से आबयाने की उगाही लगातार की जा रही है लेकिन उस किसान को पानी बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है । 1982 से लेकर अब तक उस इलाके से लगातार उगाही की जा रही है लेकिन इस माईनर से किसानों को पूरा पानी देने का प्रबन्ध नहीं किया जा रहा है । एक बात और है । हमारे प्रदेश के अन्दर डीप ट्यूबवैल्ज लगाये गये हैं। जैसे अम्बाला, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत के इलाकों में जितनी भी नहरें गुजरती हैं, उनके साथ-साथ डीप ट्यूबवैल्ज लगाये गये हैं । यह एम० आई० टी० सी० ने लगाये हैं । इससे किसानों को बहुत नुकसान हो रहा है । उन ट्यूबवैल्ज लगने की वजह से वाटर लैवल इतना नीचे चला गया है कि किसानों को अपनी मोटरें 80-80 और 90-90 फुट नीचे रखनी पड़ी है । इसलिये मेरा सुझाव यह है कि यह डीप ट्यूबवैल्ज जो

[श्री कृष्ण लाल]

लगाये हुए हैं, इनको बन्द कर दिया जाए । इससे हमारे किसान भाइयों को बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है । इसी प्रकार से दुल्हेड़ा माईनर की जो कैपेसिटी है, वह 155 क्यूसिक्स फुट की थी । इसमें सिल्ट होने की वजह से उसकी कैपेसिटी केवल 55 से लेकर 80 क्यूसिक्स फुट की रह गयी है । यह तो एक रिकार्ड की बात है । आज उसमें केवल 40-50 क्यूसिक्स फुट पानी ही चलता है । इस प्रकार से जब पूरे प्रदेश में डीसिलटिंग के लिए बजट में पैसा रखा जाता है तो फिर उनकी डीसिलटिंग क्यों नहीं की जाती । वह पैसा कहां जाता है ? इस बारे में इंक्वायरी होनी चाहिए कि बजट में डीसिलटिंग के लिए पैसा रखा जाता है तो डीसिलटिंग क्यों नहीं की जाती ? डिप्टी स्पीकर साहब, इसी प्रकार से पब्लिक हैल्थ की बात है । सरकार दावा करती है कि पूरे प्रदेश के अन्दर हमने गांव-गांव में पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध कराई है । डिप्टी स्पीकर साहब, यह सरकार बिल्कुल गलत कहती है । मेरे हल्के के अन्दर कई गांव हैं जहां 1982 से आज तक जो वाटर वर्क्स के लिए टैंक बना रखे हैं लेकिन 1982 से आज तक वहां पर एक बूंद पानी भी नहीं गया । इसी प्रकार से एक बधाना गांव है, उस गांव में भी पानी नहीं गया । इसी तरह से डेराग्रामा है और पानीपत में नुखाला गांव है, जिसकी आबादी नौ हजार है । आज तक उस गांव को पानी से नहीं जोड़ा है । इसी प्रकार से पब्लिक हैल्थ में जितने वाटर वर्क्स हैं, जितने टैंक बनाए हैं, उनके अन्दर मैटीरियल घटिया लगाया गया है । जैसे मेरे हल्के के अन्दर आदियाना गांव है वहां पर जो वाटर टैंक बनाए गये हैं, उनमें जो रूफ हैं, वह नीचे झुक चुकी हैं क्योंकि उनके अन्दर जो पिल्लर लगाए गए हैं, उनके अन्दर सरिया कम लगाया गया है, यही कारण है कि जो वाटर टैंक हैं, उनकी रूफ झुक गई है । दूसरा जो अहम मुद्दा है, वह यह है कि पब्लिक हैल्थ के अन्दर जो वाटर सप्लाई की लाईन डाली जाती है, उनके बारे में एम० बी० बुक में चार और साढ़े चार फुट की गहराई दबाने के लिए रिकार्ड में ऐण्टरी करते हैं । लेकिन आप किसी भी लाईन की खुदवाई करवा कर देख लें, वह एक या डेढ़ फुट के करीब मिलेगी । वास्तविक रूप में एक या डेढ़ फुट के करीब डाली जाती है । मेरे हल्के में आदियाना से अटावला तक लाईन गई है । डिप्टी स्पीकर साहब, आज भी उसको चैक करवा लें, वहां पर एक फुट की गहराई पर पाईप लाईन दबी है, जिसके कारण ऊपर के दबाव से वह सभी लाईन टूटकर पानी ऊपर से निकल रहा है । इस तरह से सारी लाईन बन्द पड़ी है । डिप्टी स्पीकर साहब, यह अहम मुद्दा है और प्रदेश के अन्दर यह कांग्रेस की सरकार किसानों और मजदूरों को गुमराह कर रही है कि हमने गांव-गांव में पानी पहुंचा रखा है । पब्लिक हैल्थ में जो कर्मचारी हैं, जिस गांव के लिए कोई वाटर सप्लाई की योजना बनती है, उस स्कीम के लिए जो सीमेन्ट और सरिया मिलता है, उसको वे खुद खा जाते हैं । वहां पर कोई चैक करने नहीं जाता कि कितने परसैन्ट सीमेन्ट डाला गया है और कितना लोहा लगाया

गया है। इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। डिप्टी स्पीकर साहब, इस विभाग में सबसे ज्यादा धांधली है।

इसी प्रकार डिप्टी स्पीकर साहब, पावर की बात है। पावर की हमारे प्रदेश में इतनी बुरी हालत है कि कहा नहीं जा सकता। हमारे किसान भाइयों के जो चारा काटने के लिए टोके हैं, वे तीन-तीन दिन तक बन्द रहते हैं। आज प्रदेश के किसान को बिजली नहीं मिल रही है और जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनके बारे में सरकार की ओर से बयान आते हैं, पावर मिनिस्टर की ओर से बयान आते हैं कि किसानों को दो घंटे के लिए बिजली बन्द कर देंगे और उद्योगपतियों को और फैक्टरियों को बाईस घंटे बिजली देंगे। डिप्टी स्पीकर साहब, किसानों ने क्या कसूर किया है कि उनको इतनी कम बिजली मिलती है। हमारे किसान खेत में प्रोडक्शन करके देश का काम चलाते हैं। उनको तीन दिन में दो घंटे बिजली दी जाती है और उद्योगपतियों को बीस घंटे रोजाना बिजली दी जाती है। इस प्रकार का भेदभाव हमारी सरकार कर रही है। यह बिल्कुल गलत है। डिप्टी स्पीकर साहब, इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड में अगर कोई किसान अपना कनैक्शन लेने आए तो कनैक्शन ले नहीं सकता। चौधरी देवी लाल के शासन काल में किसान को ठीक प्रकार से कनैक्शन मिल जाता था। आज सरकार ने जो सैल्फ फाइनैन्स की स्कीम (पौलिसी) बनाई है उसके अन्दर अगर कोई किसान पांच हौर्स पावर की मोटर लगाना चाहता है जो फाइनैन्स स्कीम में कुनैक्शन लेना चाहता है, तो एक हजार रुपया प्रति हार्स पावर के हिसाब से पैसे भरने पड़ेंगे। मतलब यह है कि किसान को आज दो सौ रुपया प्रति हौर्स पावर के हिसाब से पैसे भरने पड़ेंगे और यदि किसान के पांच पोल लगते हैं तो तीन हजार प्रति स्पैन के हिसाब से पैसा भरना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि पांच हौर्स पावर की मोटर का कनैक्शन लेने पर तीस या पैंतीस हजार रुपया भरना पड़ेगा। डिप्टी स्पीकर साहब, किसान जिसके तीन साल में डीजल के रेट बढ़ चुके हैं, बिजली के रेट बढ़ चुके हैं, पानी के रेट बढ़ चुके हैं, खाद के रेट बढ़ चुके हैं और दवाओं के रेट बढ़ चुके हैं, लेकिन किसान के जिस के भाव उसी रेट पर खड़े हैं। डिप्टी स्पीकर साहब, किसान के पास पैसा कहां से आएगा। कांग्रेस सरकार ने जो पौलिसी बनाई है, वह बिल्कुल गलत है। चौधरी देवी लाल के शासनकाल में डोमैस्टिक सप्लाई के लिए यदि कोई हरिजन भाई या किसी और जाति का भाई कोई बिजली का कनैक्शन लेना चाहता था तो हरिजन के लिए बारह रुपया सिक्योरिटी थी और जनरल केटेगरी के लिए बत्तीस रुपया सिक्योरिटी थी। अब कांग्रेस की सरकार ने उसकी रेशो बढ़ाकर तीन सौ और पांच सौ कर दी है अगर कंज्यूमर अपने आप मीटर खरीदकर लगाए। डिप्टी स्पीकर साहब, आज हरियाणा बिजली बोर्ड को चूना किस प्रकार से लग रहा है, यह मैं बताना चाहता हूं। पानीपत थर्मल प्लांट में कुछ बड़ी-बड़ी कम्पनीज काम करती हैं। ये कम्पनीज हैं के0 जी0 खोसला और बी0 एच0 ई0 एल0 आदि। ये कम्पनीज कहीं खुद कोई काम नहीं करती। इनके जो सब-कान्ट्रैक्टर हैं, उनको ठेका

[श्री कृष्ण लाल]

देकर ये कम्पनीज काम करवाती हैं । इससे पानीपत थर्मल प्लांट को बड़ा भारी नुक्सान होता है । पिछले दिनों एक कम्पनी ने पांच लाख का ठेका लिया और छोटी कम्पनी को दो लाख देकर काम करवा लिया और जो बाकी पैसा था वह रजिस्टर्ड कम्पनी में चला गया । डिप्टी स्पीकर साहब, थर्मल प्लांट के अन्दर जो कोयला आता है वह बी0 या सी0 ग्रेड का आना चाहिए लेकिन आज डी0 एण्ड ई0 ग्रेड का कोयला आ रहा है । इसमें स्टोन ज्यादा होता है । इस प्रकार से हमारे पानीपत थर्मल प्लांट की जो प्रोडक्शन है, वह कम हो रही है और उसमें फ्यूल की और आयल की कंजम्पशन ज्यादा है क्योंकि कोयले की क्वालिटी घटिया है ।

उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से इंस्ट्रूमैंट्स और ऐयर प्रेशर जो हैं, उसका पर्मानैन्ट ठेका, जब से यह पानीपत का प्लांट बना है, के0 जी0 खोसला नाम की कंपनी को दे रखा है कि वह इसका आप्रेशन करे । जबकि हमारे थर्मल प्लांट में बड़े-बड़े इंजीनियर्ज बैठे हैं । हमारा पूरा थर्मल प्लांट इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड के पास है तो उस कम्पनी को इसका ठेका क्यों दे रखा है ? 1992-93 में यह कम्पनी बन्द हो गई थी और पानीपत से चली भी गई थी लेकिन आज फिर कंप्रेशर्ज का ठेका उसी कम्पनी को दे रखा है क्योंकि सरकार का और उसका आपस में ताल मेल हो सकता है या फिर वहां के इंजीनियर्ज से आपसी तालमेल हो सकता है । उनकी मंथली बांध रखी होगी । इस तरह से हरियाणा के बिजली बोर्ड को लाखों का चूना लगता है । जो बी0 एच0 एल0 कम्पनी है, वह थर्मल प्लांट में केवल सफेद हाथी बनकर ही रह गयी है । उपाध्यक्ष महोदय, पानीपत थर्मल प्लांट्स में जितनी भी कम्पनियां हैं, वह इसी प्रकार से काम करती हैं । इसलिये सरकार इस ओर ध्यान दे । पानीपत थर्मल प्लांट में जो इस प्रकार के घपले हो रहे हैं, उनको बन्द किया जाना चाहिये ।

इसके बाद अब मैं ऐजुकेशन के बारे में कुछ कहूंगा । ऐजुकेशन का बहुत बुरा हाल है । विधान सभा में हमारे बहुत से साथी केवल ऐजुकेशन के ऊपर ही बोले हैं । मैं भी इस बारे में कहना चाहूंगा कि जो स्कूलों की बिल्डिंगें गांव में हैं, उनके बारे में किसी को नहीं पता, चाहे वह अध्यापक है, चाहे वह आम जनता का नुमाइन्दा है, चाहे एम0 एल0 ए0 है, कि पी0 डब्ल्यू0 डी0 की लिस्ट में कितने स्कूलज हैं । कितने स्कूल गांव ने बनवाये हैं और कितने सरकार ने बनवाये हैं या कितने लोगों ने बनवाये हैं । यह भी पता नहीं कि आज उनकी रिपेयर कौन करता है ? डिप्टी स्पीकर साहब, आज प्रदेश के ए टू जैड जितने भी स्कूलज हैं, वे पी0 डब्ल्यू0 डी0 के चार्ट में नहीं हैं । आज से 20-21 साल पहले जो स्कूल उनके चार्ट में चढ़े थे, वे उसी स्थान पर खड़े हैं । इसलिये गांव के अन्दर जो स्कूलज हैं, वे खस्ता हालत में हैं । जब कभी बरसात होती है तो सारा पानी ऊपर से नीचे आता है । डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि प्रदेश के जितने भी स्कूलज हैं,

उनकी पी0 डब्ल्यू0 डी0 चार्ट के अनुसार गिनती होनी चाहिये और समय-समय पर मुरम्मत भी होनी चाहिये ।

इसी प्रकार से अब मैं ला एण्ड आर्डर की बात कहता हूं । मुख्यमन्त्री बनने से पहले चौधरी भजन लाल जी कहा करते थे कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो रात के 12 बजे भी अगर हमारी बहू-बेटियां जेवर डालकर बाहर निकलेंगी तो कोई उनकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकेगा लेकिन आज हालत क्या है हमारे एक मन्त्री कंवर राम पाल सिंह जी बैठे हैं । उनके अपने गांव उपलाना में एक हरिजन महिला के साथ बलात्कार किया गया । तो यह ला एण्ड आर्डर की बात किस नजरिये से ठीक कहेंगे ? इसी तरह से एक सरपंच मनी राम हैं, जिनका गांव यमुनानगर में पड़ता है, उनके ऊपर गांव की जमीन हड़पने का आरोप है और साथ में पंचायत के पैसे खाने का भी आरोप है । उसके पोते और उसके लड़के द्वारा 12 वर्ष की एक हरिजन महिला की लड़की को वहां से उठाकर ले जाने और उसके साथ बलात्कार करने का मामला भी हुआ है । डी0 सी0 ने रिपोर्ट उसकी डायरैक्टर पंचायत को भेज रखी है कि सरपंच को ससपैन्ड किया जाए । दिसम्बर 1993 का यह वाकया है । लेकिन डायरैक्टर पंचायत के शायद मन्त्री रिश्तेदार हैं, उनके दबाव में आकर उस सरपंच के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी । डिप्टी स्पीकर साहब, जो सरकार हरिजनों के लिये आंसू बहाती थी, आज उन्हीं हरिजनों की महिलाओं के साथ इनके राज में बलात्कार हो रहा है । यह कितने शर्म की बात है ? इनको कोई पूछने वाला नहीं है (घण्टी) । इसी तरह से पंचायत डायरैक्टर श्री डी0 डी0 कालिया और पंचायत विभाग एक किताब छपवा रहे हैं जिसका नाम है : 'रिश्ते सागर पार के' । यह किताब छप चुकी है और बिक भी रही है लेकिन डिप्टी स्पीकर साहब, जो रायल्टी का 25 परसैन्ट पैसा सरकार को आता था, वह भी नहीं आ रहा है । इस ओर सरकार ध्यान दे । तो इस प्रकार से डायरैक्टर पंचायत और डिप्टी डायरैक्टर पंचायत के कार्यालय में विकास के क्या 12.00 बजे कार्य होंगे ? इसी तरह से फारैस्ट विभाग के बारे में मैं कहना चाहता हूं । बिलासपुर के अन्दर सहकारी समिति का एक जंगल था । वहां पर 2500 वृक्ष काटने का ठेका दिया गया था लेकिन उसकी बजाए ठेकेदार ने 25 हजार वृक्ष काट लिए । डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा सदन के नेता को कहना चाहता हूं कि इसकी पूरी इन्क्वायरी होनी चाहिए और दोषी के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए । अगर बाड़ ही खेत को खाएगी तो कैसे काम चलेगा ? इसी तरह से एक्साईज एण्ड टैक्सेशन की बात है । वहां पर जो इन्स्पैक्टर्ज हैं, वे सुबह के समय घर से निकल कर दुकानदारों के पास जाते हैं । यह हमारे सामने की बात है । वे उनसे मन्थली लेकर आते हैं और शाम को उनकी जिप्सी मन्त्री जी के घर जाती है । (विघ्न) मैंने उनको मतलोडा मंडी में खुद जिप्सी में घूमते देखा है । इस पर अंकुश

[श्री कृष्ण लाल]

लगाया जाए । एक्साईज एंड टैक्सेशन विभाग में जितने घपले हो रहे हैं, उन पर अंकुश लगना चाहिए । (घंटी)

प्रो० सम्पत सिंह : डिप्टी स्पीकर साहब, मन्त्री जी के घर जाने वाली बात पर हमारे साथी बैठे-बैठे एतराज कर रहे थे । जो इन्स्पैक्टर है, वह विभाग के मन्त्री को, शाम को यह रिपोर्ट तो देगा ही कि आज कितनी कलैक्शन हुई है । (हंसी)

चौधरी अजमत खां : डिप्टी स्पीकर साहब, सम्पत सिंह जी ने अपने तजरबे की बात बताई है क्योंकि इनको पता है कि कलैक्शन कैसे की जाती है । ये अपने तजरबे की बात बता रहे थे ।

श्रीकृष्ण लाल : उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश में किसी भी विभाग में रोस्टर सिस्टम लागू नहीं किया गया । मैं चाहता हूं कि सभी विभागों में रोस्टर सिस्टम लागू होना चाहिए ताकि हरिजनों को परमोशन मिल सके । अभी हमारे साथी अमर सिंह जी चर्चा कर रहे थे कि आज कांग्रेस की सरकार ने रिजर्वेशन का पूरा ध्यान नहीं रखा है । मैं सदन में बताना चाहता हूं कि एच०पी०एस०सी० को एच०सी०एस० की जो लिस्ट भेजी गई है, उसमें एक भी हरिजन लड़के का नाम नहीं है । अगर हरिजनों को इस प्रकार से छोड़ा जाएगा तो आने वाले समय में, वे आपको बता देंगे कि जिस तरह से पहले आप लुभावने नारे दे कर उनकी वोटें प्राप्त कर लेते थे, अब वे आपकी बातों में नहीं आएंगे । कांग्रेस की सरकार जब से पावर में आई है, तब से इस सरकार ने लोगों को नहीं बख्शा है । कैथल के डी०एस०पी० ने * * * * * को इसलिए पीट दिया कि उसने उससे वहां के बस स्टैंड पर यह पूछ लिया कि आप लोगों को क्यों पीट रहे हो । इसी तरह से करनाल में * * * * * को पुलिस ने हथकड़ी लगा कर शहर में घुमाया था । इसी तरह से एक * * * नाम का आदमी, रोहतक से एक साप्ताहिक पत्र निकालता है, उसको भी पुलिस ने पीटा । हिसार में जन सत्ता के संवाददाता * * * * * को हरियाणा के एक मंत्री श्री जोगेन्द्र सिंह द्वारा जान से मारने की धमकियां दी गई क्यों कि उस संवाददाता ने मंत्री द्वारा किराड़ा गांव की शामलात भूमि पर नाजायज कब्जा करने की कोशिश का भाण्डा फोड़ा था । (शोर)

सिंचाई मंत्री (चौधरी जगदीश नेहरा) : डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है । यह कोई प्रोसीजर नहीं है कि माननीय सदस्य बार-बार ऐसे आदमियों का नाम ले रहे हैं जो अपने आप को हाउस में डिफेंड नहीं कर सकते । हर बात में किसी न किसी का नाम ले रहे हैं, इस तरह से नाम रिकार्ड में नहीं आने चाहिएं ।

श्री उपाध्यक्ष : नाम रिकार्ड न किये जाएं ।

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया ।

श्री कृष्ण लाल : इसी तरह से डिप्टी स्पीकर साहब, चण्डीगढ़ के संवाददाता * * * * और उसके सहायक संवाददाता * * * * पर जान लेवा हमला कराया गया क्योंकि इन दोनों ने मुख्य मंत्री के हितों के खिलाफ लेख लिखे थे। इसी तरह से फतेहाबाद में * * * के स्थानीय समाचार पत्र के रजिस्ट्रेशन को एस0 डी0 एम0 फतेहाबाद द्वारा रद्द कर दिया गया क्योंकि उसके लेख सरकार को चुभते थे।

श्री उपाध्यक्ष : कृष्ण लाल जी, आप तो एप्रोप्रिएशन बिल पर न बोल करके कहीं के कहीं पहुंच गए हैं। अब आप बैठ जाएं।

सरदार जतविन्द्र सिंह (पेहवा) : डिप्टी स्पीकर साहब, मैं हरियाणा एप्रोप्रिएशन बिल नम्बर दो पर अपने विचार प्रकट करने के लिए खड़ा हुआ हूं। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान कानून व्यवस्था की तरफ दिलाना चाहूंगा। आज हरियाणा प्रदेश के अन्दर कानून व्यवस्था का बहुत बुरा हाल है। जब 1991 में ये मुख्य मंत्री बने थे, उस दिन इन्होंने यह दावा किया था कि आने वाले समय में हरियाणा प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत ठीक कर देंगे लेकिन उस दिन से ले कर आज तक कानून व्यवस्था बिगड़ती चली गई। आज हरियाणा प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत ही बदतर है। डिप्टी स्पीकर साहब, मेरे पेहवा इलाके में वर्ष 1993 में चार मर्डर हुए जिनका आज तक कोई अता पता नहीं है। उनको कौन लोग मारने वाले थे, आज तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। जो चार मर्डर हुए, उनकी तारीख इस प्रकार है। एक 4-8-1993 को, एक 10-6-1993 को, एक 3-6-1993 को और एक 2-7-1993 को हुआ। डिप्टी स्पीकर साहब, गुमथला गढ़ू गांव की एक बनिया जाति की औरत थी, जिसके अपनी कोई औलाद भी नहीं थी, उसको भी मार दिया गया। उस औरत को कौन मारने वाले थे आज तक उनका कोई अता-पता नहीं है। वे आज तक ट्रेस नहीं हुए हैं। डिप्टी स्पीकर साहब, इसी तरह से एक सातवीं क्लास में पढ़ने वाली बच्ची थी, जिसका नाम रंजना रानी डॉटर ऑफ श्री अर्जुन दास है, वह लड़की 27-9-1993 से अपने घर से लापता है। उसके बारे में आज तक कोई अता पता नहीं है। आज हरियाणा प्रान्त में कानून व्यवस्था का बहुत बुरा हाल है। डिप्टी स्पीकर साहब, यदि मैं किसी का नाम लूंगा तो नेहरा साहब कहेंगे कि हां उस में किसी का नाम नहीं लिया जाना चाहिए। आजकल रिश्वत लेने के बारे में इतना बुरा हाल है कि वैसा आज तक मेरे क्षेत्र में देखने में नहीं आया। रिश्वत के बारे में जब भी वहां के एस0 पी0 से शिकायत करते हैं, तो उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगती। इसी तरह से डिप्टी स्पीकर साहब, मैंने एक सब-इन्सपैक्टर को

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

[सरदार जसविन्द्र सिंह]

कम्पलैंट की और मेरे कम से कम 25 चक्कर लगाने के बाद, उसको पेहोवा से बदला गया लेकिन कुछ दिन के बाद फिर उसको पेहोवा में एस0एच0 ओ0 लगा दिया । उसको एस0एच0 ओ0 लगाने के बाद फिर लोग वहां के एस0 पी0 से मिले तो फिर उसको वहां से हटा कर अब पेहोवा में सी0 आई0ए0 का इन्चार्ज लगाया हुआ है। डिप्टी स्पीकर साहब, इस बारे में मेरा कहना यही है कि जब बार-बार उसको बदल कर वहीं पर जनता को लूटने के लिए लगा दिया जाता है तो फिर उसको वहां से बदलने की क्या जरूरत है ?

डिप्टी स्पीकर साहब, अब मैं एक्साईज एण्ड टैक्सेशन विभाग के बारे में कुछ सुझाव दूंगा । सरकार ने पेहोवा और कुरुक्षेत्र को ड्राई एरिया घोषित किया हुआ है । इस बारे में मेरा कहना है कि ये नाम मात्र के ड्राई एरिया हैं । वहां पर साथ लगते गांवों में शराब के ठेके खोले हुए हैं । इस बारे में मेरा सुझाव है कि जब सरकार ने इनको ड्राई एरिया घोषित किया है तो इस पर ठीक तरह से अमल करते हुए साथ वाले जो गांव हैं, उनमें भी शराब के ठेके नहीं होने चाहिए, तभी सही मायनों में ये एरिया ड्राई एरिया हो सकते हैं ।

डिप्टी स्पीकर साहब, अब मैं सड़कों के बारे में बोलना चाहता हूं । मेरे हल्के में सड़कों की बहुत खस्ता हालत है । मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय के नोटिस में लाना चाहता हूं कि चीका से पेहोवा की सड़क की बड़ी खराब हालत है । इसी प्रकार से पेहोवा से कुरुक्षेत्र व बेगपुर से पबाला, जिसमें पुण्डरी का इलाका भी आता है, इस रोड़ की भी बहुत बुरी हालत है । डिप्टी स्पीकर साहब, इसी के साथ साथ मैं मंत्री महोदय के नोटिस में लाना चाहता हूं कि मेघ माजरा से जलबेड़ा रोड पर एक पुल बनना है । इसके पिल्लर तो काफी दिनों से खड़े हैं, लेकिन इस पर लैंटर नहीं डाला गया है । मैं चाहूंगा कि लोगों की दिक्कत को ध्यान में रखते हुए इस पुल का शीघ्र अति शीघ्र निर्माण पूरा किया जाये ।

डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से एक बात की ओर भी सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं । 29 दिसम्बर को सी0एम0 साहब पेहोवा में गए थे । वहां पर बाबा जमतार सिंह जी ने करोड़ों रुपये इकट्ठे करके कार-सेवा के माध्यम से पुल बनाया था, उसका उद्घाटन करने के लिए ये गए थे । वहां पर सी0एम0 साहब, उनको 25 लाख रुपये देने की अनाउंसमेंट करके आये थे । मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि अभी तक एक पैसा भी उनके पास नहीं पहुंचा है । कृपया इस पैसे को भी जल्दी से जल्दी भिजवाने का कष्ट करें । डांगी साहब भी वहां पर करहा साहब से अधोहा तक सड़क बनाने के बारे में घोषणा करके आये थे । इस संबंध में मैं मंत्री महोदय के नोटिस में लाना चाहता हूं कि इस सड़क पर सिर्फ मिट्टी ही डाली गई है और बाकी कोई काम नहीं हुआ । मैं चाहता हूं कि इस सड़क का निर्माण भी जल्दी से जल्दी कर दिया जाये ।

डिप्टी स्पीकर साहब, अब मैं अपने हल्के के स्कूलों की खस्ता हालत की तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। मेरी मांग है कि ठाना गांव में इस सरकार ने 10 जमा 2 का स्कूल बनाया था। उस स्कूल बिल्डिंग का बहुत बुरा हाल है। और यह काफी पुरानी है। मेरी मांग है कि इसकी बिल्डिंग को जल्दी से जल्दी रिपेयर किया जाये। इसी प्रकार से गुमथला स्कूल की बिल्डिंग को भी अनसेफ डिकलेयर किया हुआ है। मेरी मांग है कि इस स्कूल की बिल्डिंग को भी रिपेयर की आवश्यकता है। वहां पर जो प्राईमरी स्कूल है, वह पार्टीशन से पहले का है। इसकी बहुत खस्ता हालत है। मैं चाहूंगा कि इसकी रिपेयर की जाये। अब तक तो पंचायत ही अपने पैसे से उस की रिपेयर करवाती रही है।

इसी तरह से डिप्टी स्पीकर साहब, मैं इस हाउस का ध्यान एजुकेशन में स्कूलों की अपग्रेडेशन की तरफ दिलाना चाहूंगा। माननीय एजुकेशन मिनिस्टर श्री मुलाना जी ने कल कहा था कि प्राईमरी स्कूल से मिडल, मिडल स्कूल से हाई और हाई स्कूलों को 10 जमा 2 तक अपग्रेड किया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहूंगा कि गुहला से पिहोवा तक करीब 28-30 किलोमीटर का फासला है। इन शहरों को छोड़कर बीच के किसी भी गांव में 10 जमा 2 का स्कूल नहीं है। गुहला कांस्टीच्यूऐंसी का एक भागल गांव है, इसी प्रकार से मेरी कान्स्टीच्यूऐंसी में भाखला, इस्साक, करा साहब और दिवाना आदि 4-5 गांव हैं, जिनके 3 किलोमीटर के अन्दर कोई स्कूल नहीं है। पिहोवा और गुहला के बीच 10 जमा 2 का कोई स्कूल नहीं है। पिहोवा और गुहला के बीच दस जमा दो का कोई स्कूल लाजिमी होना चाहिए क्योंकि इससे बच्चों को दिक्कत होती है, खासकर लड़कियों को बहुत दिक्कत होती है और उन्हें पढ़ने के लिए पिहोवा जाना पड़ता है। इसके साथ ही उपाध्यक्ष महोदय, स्कूलों में स्टाफ की भी बहुत ही कमी है। वैसे तो सारे हरियाणा में ही स्कूलों में टीचरों की कमी है परन्तु हमारी कान्स्टीच्यूऐंसी के स्कूलों में स्टाफ की जो कमी है, उसको जल्दी से जल्दी दूर किया जाए ताकि बच्चे ठीक प्रकार से स्कूलों में पढ़ सकें।

डिप्टी स्पीकर साहब, पीलिया की बीमारी के बारे में मैंने एक क्वैश्चन भी दिया था और दूसरे भी माननीय सदस्यों ने पीलिया के बारे में जिक्र किया है। मेरे इलाके में भी पीलिया फैल रहा है इसलिए मैं आदरणीय मुख्य मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि जो सीवरेज सिस्टम है, उसको ठीक करवाया जाए (इण्टी) सीवरेज का पानी पीने के पानी में मिल रहा है और लोगों को गन्दा पानी पीना पड़ रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से मैं एक बात इरीगेशन मिनिस्टर-माननीय नेहरा साहब से कहूंगा। सरस्वती कैनाल के बारे में मैंने एक सवाल भी दिया था। पानी का कुछ हिस्सा इस कैनाल से पंजाब को भी जाता है। डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र पैडी का ऐरिया है और पैडी उगाने वाले किसानों को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। बहुत अच्छी पैडी इस डिस्ट्रिक्ट में पदा होती है और बहुत अच्छी क्वालिटी की बास-

[सरदार जसविन्द्र सिंह]

मती भी पैदा होती है । पैडी के लिए पहले तो बिजली की आवश्यकता होती है वह बिजली नहीं मिलती जिससे ट्यूबवैल नहीं चल पाते इसलिए मजबूर हो कर नहरी पानी नहर से भी लेना पड़ता है । सरस्वती नहर के बैंक्स कमज़ोर हैं और पंजाब में जब पानी दिया जाता है तो ज्यादा पानी आने के कारण उसके किनारे टूट जाते हैं, जिससे किसानों की फसल को बहुत नुकसान होता है । पिछले पैडी सीजन में बासमती की फसल तैयार खड़ी थी और बैंक टूट जाने के कारण 300-350 एकड़ में जीरी का नुकसान हो गया था । अतः मैं इरीगेशन मिनिस्टर से प्रार्थना करूंगा कि जल्दी से जल्दी इस नहर को पक्का करने का प्रबन्ध करें । उपाध्यक्ष महोदय, पिछले सैशन में मैंने पिहोवा में टूरिज्म कम्पलैक्स का प्रावधान किये जाने के बारे में कहा था और इस बारे में सवाल भी पूछा था लेकिन इस टूरिज्म काम्पलैक्स को बनाने के लिए अभी तक कोई पैसा खर्च नहीं किया गया है । इस टूरिज्म काम्पलैक्स के लिए कोई पैसे का प्रावधान भी नहीं किया गया है इसलिए सरकार से मेरी प्रार्थना है कि इसको भी जल्दी से जल्दी पूरा करवाने की कृपा करें । (विघ्न) डिप्टी स्पीकर साहब, मैं एक-दो और बातें कह कर अपनी बात समाप्त कर दूंगा । हरियाणा प्रान्त की सरकार प्रान्त में भाईचारा कायम रखने के लिए पूरी तरह से सचेत है । 1984 के दंगों के बारे में मेरा एक क्वैश्चन भी था लेकिन उस दिन वह क्वैश्चन पूछा नहीं जा सका । ट्रेज़री बैंचिज़ की तरफ से भी इस बारे में काफी कुछ कहा गया है । यह बहुत ही अहम् मसला था, जिसकी तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए । जो लोग 1984 के दंगों से प्रभावित हुए थे, आज तक उनको कोई काम्पैंसेशन नहीं दिया गया । इसलिए सरकार से मेरी यह प्रार्थना है कि इन दंगों में प्रभावित लोगों को मुआविजा दिया जाए । डिप्टी स्पीकर साहब, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं तथा अपना स्थान लेता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : अब अजमत खां जी बोलेंगे । अजमत खां जी, आप अपनी बात को जल्दी खत्म करना और सिर्फ रैलेवैन्ट बात ही कहना ।

चौधरी अजमत खां (हथीन) : उपाध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद,, कम से कम मुझे बोलने का टाईम तो आपने दिया । उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहता हूं कि विधान सभा का सैशन बहुत ही कम समय के लिए होता है जिस कारण सभी सदस्यों को बोलने के लिए समय नहीं मिल पाता । विधान सभा सैशन का टाईम मैम्बरों के हिसाब से रखा जाए । हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और पंजाब की विधान सभाएं काफी देर तक चलती हैं । विधान सभा की कार्यवाही पर करीब डेढ़ लाख रुपया एक घण्टे में खर्च आता है । टोटल सारे साल में 70 घण्टे हमारी विधान सभा चलती है और एक मैम्बर को कितनी देर बोलने दिया जाता है, यह आप जानते ही हैं । आज कई मैम्बर अपने इलाके की बात नहीं कह सकते हैं रूलिंग पार्टी के मैम्बर तो अपने इलाके की बात ही नहीं कह सकते हैं । तो मरा

कहना यह है कि हाऊस ज्यादा समय तक चलना चाहिए ताकि हर आदमी अपनी और अपने हल्के की बात कह सके ।

इसी तरह से मैं जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कहना चाहूंगा इसमें हर भाई ने सरकार पर इल्जाम लगाए हैं । उपाध्यक्ष महोदय, आज न तो कोई चीफ मिनिस्टर, न ही कोई मिनिस्टर और न ही कोई एम0एल0ए0 चाहेगा कि उसके इलाके में बदअमनी रहे । आज टैलीविजन, रेडियो और सिनेमाघरों ने बच्चों के इख्लाक पर असर डाला है और उन्हें बदअखलाकी के दहाने पर ला कर खड़ा कर दिया है। आज लोगों के मौरल को कैसे ही बिगाड़ा जाए ? मेरे विरोधी भाई लोगों पर जुल्म की बात कहते हैं, हां, आज जो लोगों पर ज्यादती करते हैं, वे लोग किस ने भर्ती किए थे ? क्या अकेली इसी सरकार ने ही भर्ती किए थे ? क्या इन भाईयों ने और दूसरे भाईयों ने उनको नौकरी नहीं दी ? अगर ये ज्यादती करते हैं तो जिन लोगों ने उनको लगाया है, वे लोग उतने ही जिम्मेवार हैं जितनी कि यह सरकार है । मैं तो यह कहता हूं कि इसको रोका जाना चाहिए । मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि बी0जे0पी0 वालों ने कहा था कि पुलिस लोगों के साथ घुल मिल कर सेवा करे तो काफी प्रोब्लम दूर हो सकती है । ठीक है मगर जब पुलिस द्वारा कई बार लोगों पर जुल्म हो जाते हैं या वे लोग मिली-भगत करके जुल्म कराते हैं और फिर शोर करते हैं खुद पुलिस अफसरान और दूसरे बड़े अफसर मिलकर जालिम की सहायता करते हैं । गरीब पर जुल्म होता है जिस जुर्म पर गरीब को फांसी पर चढ़ा दिया जाता है उसी से जुल्म करने वाले पुलिस अफसरान को बचाया जाता है और जब कानून को जानने वाला आदमी कानून की धज्जियां उड़ा देता है, उससे कत्ल हो जाता है तो उसको बचाने के लिए कोशिश नहीं की जानी चाहिए । अगर कोई सिपाही भी जुल्म करता है तो उससे भी पूछा जाए । किसी भी ज्यादती की बात को छिपाने की कोशिश न की जाए । उसके लिए सरकार को खुले दिल से कहना चाहिए कि वह दोषी है यह गलती हुई है । इसके साथ ही अपोजीशन वालों को भी सरकार पर बामखाह गलत दोष नहीं लगाने चाहिए । जहां पर किसी ने जुल्म किया है, उसको उसी तरह से कानून के द्वारा सजा मिलनी चाहिए, जिस तरह से एक आम आदमी को मिलती है । उपाध्यक्ष महोदय, जब कोई जुल्म होता है और उस जुल्मी आदमी का साथ दिया जाता है और उसके जुल्म पर पर्दा डालने की कोशिश की जाती है, तब वह आदमी और दिलेर होता है जिस कारण जुल्म दिनों-दिन बढ़ते जाते हैं और सरकार की बदनामी होती है । इसके साथ ही अवाम में बड़े लोगों के प्रति घृणा पैदा होती है । उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आज तक जितने भी सवाल दिए हैं, चाहे वे तारांकित हों या अतारांकित, वह हमेशा पीछे ही लगाए जाते हैं । पता नहीं यह मेरी बदकिस्मत है या कुछ खास बात है ।

श्री उपाध्यक्ष : अज़मत खान जी, जो सवाल लगाए जाते हैं, वह किसी की मर्जी से नहीं लगाए जाते हैं । इसका एक प्रोसीजर होता है ।

चौधरी अजमत खां : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पहले ही कह चुका हूं कि यह मेरी बदकिस्मत है । मुझे जवाब तो मिल गये हैं लेकिन मैं चाहता हूं कि इस पर और बात हो जाती यदि उन पर कहने का, पूछने का, समय मिल जाता ।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं बिजली के बारे में कहना चाहता हूं । मुझे चार साल से पता है कि हौडल व नूंह में बीसियों लाख रुपए की बेईमानी हुई है । गबन हुआ है । इस बारे में महकमे को भी पता है । महकमा गबन करने वाली को कहता है कि तुम पैसे जमा करवाओ और तनख्वाह से जमा करवा दो । मैं यह कहता हूं कि इस आदमी ने जो गबन किया है क्या यह उसको ईनाम नहीं दिया जा रहा है ? उपाध्यक्ष महोदय उस आदमी ने अगर 20 लाख रुपए फिक्स-डिपाजिट में जमा करवा दिए, तो उसे दो तीन लाख रुपए साल में वैसे ही आमदनी हो जाएगी और वह पैसों को आहिस्ता-आहिस्ता जमा करवा देगा । इस तरह से तो उस आदमी को ईनाम दिया जा रहा है । उपाध्यक्ष महोदय, इसमें एक ही आदमी जिम्मेदार नहीं है । उसमें तो तीन साल तक आडिट ही नहीं हुआ है । मैं पूछता हूं कि क्यों नहीं हुआ ? जबकि कायदा यह है कि हर साल बिजली बोर्ड का आडिट हो जाना चाहिए । तीन साल तक आडिट न होने का मतलब तो यह है कि ऊपर से लेकर नीचे तक सभी इस बात को छिपाते रहे हैं । अगर उसमें आडिट हुआ है तो आडिटर ने क्या देखा था ? तीन-चार साल तक उस आदमी ने वहां पर हेरा-फेरी की है । कहीं पर रिकार्ड में की है, कहीं पर रसीदों में की है और कहीं पर जमा घटाने में हेराफेरी की है । उसने नए-नए गबन करने के तरीके इस्तेमाल किए हैं । मैंने बिजली बोर्ड के बारे में तीन जगहों के बारे में पूछा था गबन तो करोड़ों रुपए का हुआ है । असली रसीदों की जगह नकली रसीदें हैं । गलत रसीदों पर किसान पैसा जमा करा देता है । कई बार तो किसानों को पकड़ कर अन्दर कर दिया जाता है । अगर किसान पर पैसा बाकी है तो उस पर रैवेन्यू एक्ट के तहत कार्यवाही भी की जाती है । अगर वह एक रसीद पर अपना पैसा जमा कर बाता है और वह रसीद फर्जी है और वह रसीद गुम कर देता है तो वह तो कहीं का भी नहीं रहेगा । उपाध्यक्ष महोदय, आप देखेंगे कि किसानों के अगेन्स्ट इस तरह का करोड़ों रुपया पड़ा हुआ है । करोड़ों रुपया किसानों को नाजायज रूप से भुगतना पड़ रहा है । इसलिये मेरी आपसे अर्ज है कि ऐसे ओफिसर्ज के खिलाफ सख्ती से कार्यवाही की जाए ताकि ऐसा गबन और भ्रष्टाचार रुक सके ।

सर अब मैं गन लाईसैन्स के बारे में कुछ अर्ज करना चाहता हूं । इसमें पहली बात यह है कि सरकार ने पोलिसी बनायी है कि एक जिले में रहने वाले व्यक्ति को एक ही लाईसैंस दिया जाएगा । उपाध्यक्ष महोदय, एक आदमी की अगर दो जिलों में जमीन है तो वह कहां जाए ? अगर उसकी

दो जिलों में जमीन है और वह एक ही लाईसैंस रखता है तो वह दूसरे जिले में अपनी जमीन को देखने के लिये बन्दूक लेकर नहीं जा सकता डिप्टी स्पीकर साहब, मान लीजिए अगर सिकरावा से कोई बारात चलती है वह उटावड़ होकर मेरे हल्के से गुजरती है। यदि उसके पास बन्दूक या रिवाल्वर का लाईसैंस है तो उसका चालान हो जाएगा क्योंकि उटावड़ फरीदाबाद में है और सिकरावा गुड़गांव में है। वह बारात उधर से आ रही है। इसलिए मेरा कहना यह है कि कम से कम पूरे हरियाणा के लिये एक ही आर्म्ज लाईसैंसिंग पोलिसी रखी जाए। दूसरी बात यह है कि जब भी इसके लिये फीस भरी जाती है, उसके लिए पुलिस की हर बार तसदीक जरूरी होती है जिसके लिये लोगों को 6—6 महीने तक चक्कर काटना पड़ता है। जिसकी वजह से करप्शन को बढ़ावा मिलता है इसलिए मेरा सुझाव है कि जिस तरह से पहले फीस भरी जाती थी, उसी तरह से अब भी भरी जानी चाहिए। आप लाईसैंस लेने के लिये ज्यादा सख्ती कीजिए लेकिन फीस भरने के लिए सख्ती न कीजिए। लाईसैंस के लिए फीस भी कम है इसलिये इस फीस को भी बढ़ाया जाना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको आमदनी होगी। अब यह फीस 15 रुपये 2 रु0 या कहीं 50 पैसे प्रति लाईसैंस है, इसलिए आप इसको कम से कम 100 रुपये प्रति लाईसैंस करें ताकि पता लग सके कि किस के पास लाईसैंस है।

इसी तरह से मैं बिजली बोर्ड के बारे में कहना चाहूंगा। बिजली पहले भी थी और अब भी है लेकिन यह 17—1—94 से 27—1—94 तक काफी कम रही। डिप्टी स्पीकर साहब, जो बिजली बोर्ड में काम करने वाले आदमी हैं, जैसे ए0 एल0 एम0, है हमारे यहां पर एक ए0 एल0 एम0 45—45 साल के है, जिसकी वजह से वह बिजली के खम्भों पर नहीं चढ़ पाता। वह दूसरे लोगों की इंतजार करता है कि कोई आदमी आये और उसको खम्भे पर चढ़ाये, जबकि ए0 एल0 एम0 की ही यह ड्यूटी होती है कि वह बिजली के खम्भों पर चढ़कर बिजली को ठीक करे। लेकिन वह इसलिए इन खम्भों पर नहीं चढ़ सकता क्योंकि इस उम्र में कमजोर हो गया है इसलिये मेरा कहना यह है कि ए0 एल0 एम0 की रिटायरमैंट की उम्र 45 साल की होनी चाहिये। 45 साल के बाद उसको रिटायरमैंट दी जाए और उसके कहने के मुताबिक उसके अपने बच्चों को बिजली बोर्ड में लिया जाए। इनकी पैंशन भी और ज्यादा की जाए। ऐसा आदमी खम्भों पर तो चढ़ता नहीं है, बैठा देखता रहता है, काम कुछ है नहीं और तनख्वाह मुफ्त लेता है। डिप्टी स्पीकर साहब, बिजली ठीक कैसे होगी क्योंकि जब बूढ़े बूढ़े आदमी बिजली के खम्भों पर चढ़ेंगे तो एक ऐसी स्टेज आएगी कि जितनी बिजली आज मिल रही है, वह भी नहीं मिलेगी। बिजली बोर्ड के मुलाजिम की जौब ओरियैंटेड जौब होनी चाहिए और यह देखना चाहिए कि उसका रिजल्ट क्या कहता है एक ऐक्सियन और

[चौधरी अजमत खां]

एक एस0 डी0 ओ0 को ही इस बात के लिये जिम्मेदार बनाया जाना चाहिए कि अगर उसके इलाके में बिजली फेल हो गयी तो इसके लिये वही जिम्मेदार होगा। कितनी ट्रिपिंग हुई। कितनी बिजली फेल हुई, कहां से बिजली नहीं आयी, तो इन सब बातों के लिए थर्मल पावर के अन्दर जो रहते हैं, उनकी ही जिम्मेदारी फिक्स की जानी चाहिए। आदमी को जिस जगह पर लगाया जाए वहां पर उसका तजुर्बा तीन साल तक किया जाना चाहिए। तीन साल तक वह आदमी क्या करता है, क्या नहीं करता है, यह देखा जाना चाहिए। रही करप्शन रोकने की बात, करप्शन तो अपने आप ही रुक जायेगी, अगर आप लोगों को ज्यादा बिजली देने लगेंगे। इसके अलावा जो लोग रिश्वत देते हैं उनको भी आप पकड़े (बंटी)।

सर, मैं थोड़ी सी बात अपने हल्के के बारे में और कहूंगा। मैं अब सड़कों के बारे में कहना चाहता हूं। मैंने एक सड़क के बारे में 1982 से कहा हुआ है लेकिन वह सड़क आज तक नहीं बनी है। यह सड़क बहुत ही जरूरी है। लोगों को 15 किलोमीटर तक चक्कर काटकर हथीन के लिये आना पड़ता है क्योंकि हथीन में ही थाना और तहसील हैं। पोलिटिकल हालत के कारण कहीं पर तो सड़कें बन जाती हैं लेकिन कहीं पर नहीं बनती। सर, इसके साथ ही मैं पांच छः सड़कों के बारे में कहना चाहूंगा। ये सड़कें हैं सापड़ से फिरोजपुर राजपुर तक, सिहा से गुंजराना तक, उमेरला से मालूका तक, ढकलपुर से गुढ़ावली तक, लखना से उड़ीसर तक, सेवली से लूहाना तक और आढ़ी से अटौली तक हैं। डिप्टी स्पीकर साहब, ये सब सड़कें छोटी-छोटी हैं। पिछली बार भी सरकार ने वायदा किया था कि जहां जहां हाई स्कूल हैं, वहां पर उन सबको सड़कों से जोड़ देंगे इसलिये हम चाहते हैं कि जो वायदा सरकार ने किया था, उसको वह पूरा करें। मेरे इलाके के कम से कम हाई स्कूलों को तो सड़क से जोड़ दिया जाए। ये बहुत थोड़े हैं। मेरे पड़ौसी के हल्के के 2—3 स्कूल हैं, उनको भी सड़क से जोड़ दिया जाए।

इसके साथ ही मैं गुड़गांव और आगरा कैनाल के बारे में जरुर कहना चाहूंगा। आगरा कैनाल का इंतजाम अपने हाथ में नहीं लिया गया तो लोग पता नहीं क्या करेंगे? पंजाब के लोग हमारी नहर को नहीं आने देते। हम आपको यह बताएं कि हमारे इलाके से होकर पानी जाए, हमारी छाती से निकलकर जाए और हमारे खेत सूखे रहें, तो यह हमारे बर्दाश्त से बाहर की बात है। इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहूंगा कि उटावड़ डिस्ट्रीब्यूटरी सन 1970 में बनी थी। 1970 से अब तक मैंने बार बार कहा है कि उसका हैड नीचा है और टेल ऊंचा है। लिफ्ट इरीगेशन की जो स्कीम है इसमें आठ या बारह घंटे से अधिक बिजली नहीं चलती। 68 बुर्जी से आगे पानी नहीं

जाता । इसके लिये 8 फरवरी को सी0 एम0 साहब ने स्कीम मंजूर करने के बारे में कहा था । मैं चाहता हूं कि इसको जल्दी कम्पलीट किया जाए । इस पर डेढ़ करोड़ रुपये की लागत आएगी जिससे इस ब्लाक का काफी फायदा होगा । (घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : अजमत खां जी, वाइंड-अप कीजिए ।

श्री अजमत खां : अच्छा जी, उपाध्यक्ष महोदय, मैं पब्लिक हैल्थ के बारे में 2—3 बातें कहना चाहूंगा । मलोखड़ा और मालूका में पानी नहीं पहुंच सका है । वहां से लाईनें जोड़ रखी हैं । इसके साथ ही मैं यह भी अर्ज करूंगा कि उटावड़ डिस्ट्रीब्यूटरी के लिये वह स्कीम मंजूर कर दी जाए । पौल्यूशन के कारण हथीन में यह हालत है कि इंसान नर्क की जिंदगी बसर कर रहा है । यह सब एक फैक्टरी अशोका डिस्टलरी के कारण हो रहा है । फैक्टरी क्या है बदबू का भंडार है कोई भी मैम्बर या मंत्री साहिबान हथीन में एक रात भी सोकर दिखा दे, तो मैं मान लूंगा । मैं अर्ज करूंगा कि सिर्फ दरख्त लगाने से कुछ होने वाला नहीं है । सबसे पहले फैक्ट्रियों पर कंट्रोल होना चाहिए, इसके साथ साथ यह जो वाहन सड़क पर चल रहे हैं, धुंआ फैंक रहे हैं । उन पर भी कंट्रोल होना चाहिए । सड़क के किनारे पेड़ लगाने से पौल्यूशन तो कम होगा लेकिन यह जो सफेदे के पेड़ हैं, इससे 10—10 करम दोनों ओर किसानों के खेत में फसल नहीं हो पा रही है । पौल्यूशन खत्म करने के लिये जरूरी है कि सबसे पहले वाहनों पर और फैक्ट्रियों के धुंए पर कंट्रोल किया जाए । (घंटी) एजूकेशन के बारे में अर्ज करना चाहूंगा कि एजूकेशन का यह हाल है कि मेरे इलाके में प्रर्याप्त 10 जमा 2 स्कूल नहीं हैं, जिसकी वजह से जे0बी0टी0 में दाखिला नहीं मिल पाता । मैं चाहूंगा कि 5—5 किलोमीटर पर हर हालत में 10 जमा 2 स्कूल होने चाहिए । ये स्कूल एरिया के हिसाब से खोले जाएं । जहां पहले ज्यादा खुल चुके हैं, वहां कम खोले जाएं और जहां नहीं खुले हैं, वहां ज्यादा स्कूल खोले जाएं । इसी के साथ समय का ध्यान रखते हुए मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं । धन्यवाद ।

श्री अमीर चन्द मक्कड़ (हांसी): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद । मैं हरियाणा एप्रोप्रिएशन बिल (नं0 2) जो हाउस में रखा गया है, और इस में जो छह हजार छह सौ उनचास करोड़ सात लाख बीस हजार रुपये की डिमांड रखी गई है, उस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । सरकार का काम चलाने के लिए जरूरी है कि यह मंजूर की जाए । इसमें कुछ मदें हैं, जैसे होम की मद है, रोड एवं बिल्डिंग की है, इलैक्शन की है, मैडीकल की है, फूड एण्ड सप्लाई की है, तथा और मदें हैं, इनकी और हाउस का ध्यान दिलाना चाहता हूं । जैसे होम की मद है इसमें रखी गई

[श्री अमीर चन्द मक्कड़]

है, पुलिस के काम को चलाने के लिये इसमें पैसे की जरूरत है। फिर जैसे इलैक्शन के बारे में है। इस सरकार के आने के बाद हर इलैक्शन ठीक ढंग से कराए जा रहे हैं, चाहे पंचायत के इलैक्शन हों, चाहे म्यूनिसिपैलिटी के इलैक्शन हों, सभी ठीक ढंग से कराए जा रहे हैं। मैं इसकी सराहना करता हूं। मैं इतनी जरूरी बात कह रहा हूं और हमारे डांगी साहब बैठे हंस रहे हैं। मैं इनको यह बताना चाहता हूं कि कुछ मदें इसमें रखी गयी हैं, उनमें कुछ सुधार लाने के लिये हैं, मेरे यह सुझाव हैं एक सुझाव मेरा यह है कि जैसे इलैक्शन कमिशन ने यह आदेश दिया है कि हर वोटर की जेब में आईडैंटीटी कार्ड होना चाहिए ताकि कोई भी बोगस वोटर वोट न भुगता सके और कोई भी इस बारे में धींगा मुश्ती न कर सके। मैं यह कहना चाहूंगा कि हरियाणा सरकार जल्दी से जल्दी इस चीज को अपनाये और हर वोटर को शिनाख्ती कार्ड बनाकर दे ताकि किसी भी वोट पड़ने के समय बोगस वोटें न डाली जा सकें इसके साथ ही एक्साईज की मुताल्लिक मैं कुछ कहना चाहूंगा। जिस तरीके से इस बारे में पालिसी चल रही है और जिस तरीके से आजकल इस बारे में काम हो रहा है, उसमें सरकार की एक्साईज से आमदनी ज्यादा हो सकती है। अगर इसको ठीक तरीके से लिया जाये तो इससे आमदनी बढ़ सकती है। आपको पता है कि एक्साईज की काफी चोरी होती है। जहां पर यह पता चलता है कि कोई भी आदमी टैक्स की चोरी कर रहा है, वहां पर सख्ती से काम लिया जाना चाहिये ताकि यह जो चोरी करने वाले आदमी हैं, इनको कान हो सकें। इससे एक तो वह पब्लिक के पैसे की चोरी करते हैं और दूसरे इससे खजाने में पैसा कम आता है। इसलिये इस चोरी को रोका जाये। एक बात बिल्डिंगज एंड रोड्ज की बाबत भी कहना चाहूंगा। जब से हमारे यहां पर मौजूदा सरकार आयी है और जब से खास कर डांगी साहब इस विभाग के मन्त्री बने हैं, इस महकमे ने हरियाणा में रोड्ज बनाने के मामले में काफी सुधार किया है। मैं यह समझता हूं कि पहले के मुकाबले में काफी अग्रणी हम इस मामले में रहे हैं। हमारे यहां पर जितनी भी रोडज के बारे में बातें थीं, उनमें काफी सुधार हुआ है और सारे इलाकों में इस बारे में काफी कार्य किया गया है। डांगी साहब से मैं एक बात कहना चाहूंगा कि इन्होंने कई जगह पर तो रोड्ज की मुरम्मत कर दी है लेकिन कई जगहों पर इनकी मुरम्मत कर दी है। (हंसी) इस बारे में स्पष्ट तौर पर नहीं बताया कि इनका क्या किया है। मैं डांगी साहब से अपने हल्के के बारे में भी प्रार्थना करना चाहूंगा और यह कहूंगा कि वहां के लिये भी हरियाणा सरकार कुछ और काम करे। मेरे हल्के में एक खरखरा से अनाज मंडी की सड़क है, उसका बनना बहुत जरूरी है। किसान अपना माल जब मंडी में लेकर आता है, उसको बड़ी दिक्कत होती है। उसकी दिक्कत को दूर करने के लिये यह सड़क मंजूर हो चुकी है।

डांगी साहब वहां पर जाकर अनाउंसमैंट भी करके आये थे। उसका तीन किलोमीटर का टुकड़ा तो बन चुका है लेकिन 5 किलोमीटर का टुकड़ा अभी बनना बाकी रह रहा है। इसके अलावा एक सुलतान ढाणी से धमाना गांव की कच्ची सड़क है, उसका बनना भी बहुत जरूरी है। साथ ही एक ढानी राजू से अनाज मंडी तक की सड़क भी जरूरी है। इस तरह से यह तीन चार सड़कें ऐसी हैं जो बननी बहुत जरूरी हैं। जब दो-चार बूंद पड़ जाती हैं, तो इनके ऊपर साईकिल चलना तो दूर रहा, पैदल चलना भी मुश्किल पड़ जाता है। इसलिये मैं यह चाहूंगा कि इन डिमांडज के अन्दर इन सड़कों को भी जोड़ लिया जाये ताकि यहां पर भी सड़कें बन जायें। इसके साथ ही जहां तक मैडीकल एंड पब्लिक हैल्थ के बारे में बात है, मैं उस बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं। डिप्टी स्पीकर साहब, आप देखें, पीने का पानी हाउस के लिये एक चिन्ता का विषय बना हुआ है। इसलिये जहां तक पब्लिक हैल्थ विभाग का ताल्लुक है, पीने के पानी की डिमांड हमारी लगातार बढ़ती जा रही है। मैं इस बारे में इतना जरूर कहूंगा कि हरेक व्यक्ति के लिये स्वच्छ पीने का पानी देने के लिये हरियाणा सरकार ने एलान कर रखा है कि हर व्यक्ति को पीने के लिये स्वच्छ पानी मिलेगा। आज तक चाहे किसी की भी गलती रही हो, कई बार स्वच्छ पानी पीने के लिये नहीं मिल रहा है। हरियाणा की जनता को पीने के लिये स्वच्छ पानी पीने के लिये न मिलने के कारण जगह जगह पीलिये की बीमारी फैल रही है। इस का कारण महकमे की लापरवाही भी हो सकती है। जब यह काम पब्लिक हैल्थ के पास आ गया है तो उसे इस बारे में स्वच्छ पानी सप्लाई करने के लिये ठीक तरह से कार्य करना चाहिये। मैं यह गुजारिश करूंगा कि जो अफसरान गांव में या शहर में पीने का पानी ठीक नहीं दे पाते और इसके लिये जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये और उनको सजा मिलनी चाहिये। मैं यह बताना चाहता हूं कि पिछले दिनों जब दादरी में पीने के पानी के नमूने हैल्थ डिपार्टमैंट द्वारा लिये गये तो वह फेल हो गये। यह नमूने फेल नहीं होने चाहियें। इसी तरह से हांसी का भी नमूना लिया गया और वह नमूना भी फैल हो गया। हांसी में भी बीमारियां फैल रही हैं। इसके लिये जल्दी स्टैप्स लिये जायें ताकि लोगों को कुछ राहत मिल सके। डिप्टी स्पीकर साहब, महकमे की लापरवाही से ही बीमारी फैली है। जिस तरह से दूसरी चीजों के नमूने भरे जाते हैं और अगर उनमें मिलावट पाई जाती है तो उसमें मिलावट करने वाले को सजा दी जाती है, उसी तरह से जिस अफसर की लापरवाही से पानी लोगों को गन्दा सप्लाई हो उस अफसर को सजा मिलनी चाहिए। वह अफसर चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सजा उसको अवश्य मिलनी चाहिए। सरकार की तरफ से ऐसा इन्तजाम होना चाहिए कि लोगों को स्वच्छ पानी मिल सके। यह स्वच्छ पानी तभी मिलेगा जब कि अफसरों को सजा मिलेगी। आज सब जगह से शिकायत आ रही है कि

[श्री अमीर चन्द मक्कड़]

पीने का पानी खराब है। इसलिये मेरी सरकार से प्रार्थना है कि पानी की क्वालिटी में सुधार किया जाए। डिप्टी स्पीकर साहब, काफी हद तक सुधार हुआ है। दिन रात अफसर लगे हुए हैं लेकिन अगर ये अफसर पहले ही ध्यान देते तो यह बीमारी नहीं फैलती।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं फूड एण्ड सप्लाई के बारे में कहना चाहता हूं। यह ठीक है कि हरियाणा सरकार ने गांवों में और शहरों में सस्ते अनाज की दुकानें खोली हैं और वहां पर तेल और अनाज लोगों को मिलता है। डिप्टी स्पीकर साहब, जिस तरह से किसानों को उनके अनाज पर सबसिडी दी जाती है, उसी तरह से गांव के अन्दर जो गरीब लोग हैं, मजदूर हैं, उनको अनाज पर सबसिडी देकर सस्ता अनाज मुहैया कराना चाहिए। सब जानते हैं कि मजदूर सूखे अनाज पर गुजारा करता है। एक मजदूर आदमी अनाज ज्यादा खाता है। सरकार ने जो बीस किलो प्रति परिवार अनाज रखा है, इसको बढ़ाना चाहिए क्योंकि गांव में गरीब आदमी की और मजदूर की अनाज की खुराक ज्यादा है, इसलिये गरीब आदमी को सबसिडी देकर अनाज सस्ता दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अफसरों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि डिपोज पर जो अनाज जाता है, वह डिपो होल्डर मार्किट में न बेच दे। इस बारे में मेरी दो प्रार्थनाएं हैं कि एक तो अनाज की मात्रा ज्यादा बढ़ाई जाए और दूसरे सस्ता अनाज मुहैया कराया जाए। मिट्टी के तेल का जहां तक सवाल है, वह गांवों के अन्दर लोगों को पूरा नहीं मिलता। पैट्रोल पम्प वाले इसको डीजल और पैट्रोल में मिला देते हैं। मन्त्री जी ने बताया है कि इसमें रंग दिया जा रहा है जिससे कि पैट्रोल में न मिलाया जा सके। मेरी मन्त्री जी से प्रार्थना है कि इसकी तरफ ज्यादा ध्यान देकर इसमें रंग दिया जाए जिससे कि एडलट्रेशन न हो सके। उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं इरीगेशन के बारे में कहना चाहता हूं सरकार इस तरफ काफी ध्यान दे रही है। वर्ल्ड बैंक से पैसा लेकर नहरों को साफ किया जाएगा जिससे कि नहरों की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। इस समय नहरों की कैपेसिटी काफी कम है। कैपेसिटी कम होने के कारण टेल पर पानी नहीं पहुंचता। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि सुलतानपुर, मेंहदा और कुलाना गांवों को पानी देने के लिये टेल पर पानी पहुंचाया जाए। नहरों में सिल्ट होने के कारण पानी आधा आता है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे यहां अलखपुरा माइनर को बनाया जाए और डिप्पल माईनर की टेल बढ़ाई जाए ताकि लोगों को पानी पूरा मिल सके। यही मेरी प्रार्थना है।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं ऐग्रीकल्चर के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं। इसमें मार्किट कमेटियां भी आती हैं जिनके तहत अनाज मण्डी है, सब्जी मण्डी

है। इनकी जो लिंक रोड्ज हैं, वह इसलिये नहीं पूरी की जा सकीं क्योंकि सरकार ने बिजली बोर्ड को पैसा दे दिया, जिस कारण से यह काम अधूरा रह गया। चलो, कोई बात नहीं। किसान को हमने बिजली भी देनी है ताकि वे अपने ट्यूबवैल्ज को चलाकर अपने खेतों को पानी दे सकें। यह सड़कें पिछली बार मन्जूर की गई थीं, अतः सरकार इस काम को भी जल्दी पूरा करवाने का कष्ट करे। इन सड़कों को बनाने का शीघ्र ही प्रबन्ध किया जाना चाहिये ताकि किसानों को आने जाने में किसी प्रकार की दिक्कत न हो। इस लिये मेरी सरकार से रिक्वैस्ट है कि नये साल में तो कम से कम इन सड़कों को पूरा करवाया जाए।

इसी तरह से हांसी के अन्दर एक सब्जी मण्डी है उसमें सीवरेज का बुरा हाल है। सीवरेज बन्द पड़ा है, जिससे उस सारे इलाके में लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। वहां पर सुधार की आवश्यकता है। जो हांसी के अन्दर नई अनाज मण्डी मंजूर की हुई है, उसका काम शुरु करवाया जाए। काफी दिनों से यह प्रावधान चल रहा है, सरकार जल्दी ही उसको बनवाने का प्रयत्न करे। धन्यवाद।

श्री रामकुमार कटवाल (राजौंद): उपाध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे बोलने का समय दिया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं अब सब से पहले इस सरकार के कारनामों की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। गांव बागड़, खुर्द तहसील सफीदों जिला जींद के अन्दर पंचायत की जमीन, खसरा नम्बर 114 प्लाट है जिसमें गांव का कुंआं था, जिसमें जबरन बच्चन सिंह आर्य के आदमी ने नाजायज कब्जा कर रखा है, जिसका नाम राम विलास सपुत्र श्री प्यारे लाल है। वह इसी गांव का रहने वाला है और उसने इस कुएं की जगह पर, बच्चन सिंह जी के कहने पर पानी इनकी शह पर चिनाई लगाई हुई है और गांव के आदमी इसके लिये एस0 डी0 एम0 तक भी मिल लिये लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। यह आदमी कोर्ट से भी कई बार हार चुका है, फिर भी उसका इस जमीन पर कब्जा ज्यों का त्यों बना हुआ है पुलिस इन लोगों ने वहां पर बैठा रखी है। यह कितने शर्म की बात है। एस0 डी0 एम0 साहब ने इस केस में कुछ करने से इन्कार कर दिया है और अपनी लाचारी दिखाई है कि यह मेरे बस की बात नहीं है। वहां पर पूरी तरह से गांव की पंचायत के ऊपर दबाव है और गांव के सरपंच के ऊपर भी इस बात का दबाव डाल रखा है कि इसमें यदि सरपंच ने कोई उचित या अनुचित कार्यवाही की तो उसे ससपैन्ड कर दूंगा। इस तरह की धमकियां भी दी जा रही हैं। इसलिये सरकार इस ओर विशेष ध्यान दे (व्यवधान व शोर) उपाध्यक्ष महोदय, इस जमीन का खसरा नं 114 है जो कुएं की जमीन है मेरे पास हाई-कोर्ट की जजमैन्ट भी है, वह मैं पढ़ देता हूं –"फाईल पर आये सबूत और मौका

[श्री राम कुमार कटवाल]

का निरीक्षण के आधार पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अराजी मुतनाजा पर एक कुआं था, जिसको मौका निरीक्षण के थोड़े ही दिन पहले बन्द कर दिया गया है। अतः यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अराजी मुतनाजा पर उत्तरवादीगण का नाजायज कब्जा है और उसको बेदखल करने का आदेश दिया जाता है।" इत्यादि इत्यादि।

सिंचाई मन्त्री (चौधरी जगदीश नेहरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। (शोर)

श्री राम कुमार कटवाल : उपाध्यक्ष महोदय, इससे आगे मैं कहना चाहता हूं कि सन् 1967 में सफीदों एक ब्लाक बना था और वहां पर बचन सिंह आर्य के भाई ने बी0डी0 ओ0 ब्लाक की चार-दीवारी को तोड़कर वहां पर दुकानें निकाल ली हैं, जिनमें से एक इनके भतीजे के नाम है।

चौधरी जगदीश नेहरा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा यह कहना चाहूंगा कि माननीय सदस्य ऐप्रोप्रिएशन बिल पर ही बोलें। ऐसे ही इधर-उधर की बातें न करें कभी हाई कोर्ट का फैसला सुना दिया या फिर कहीं इधर-उधर की फिजूल बातें कह लीं। यह सारी बातें यहां हाउस में बदमजगी फैलाने के लिये कह रहे हैं। अगर वे इसी तरह से चलेंगे तो हमारे पास भी इन के लिये बहुत से कागज हैं, जिन्हें हम भी यहां हाउस में दिखा सकते हैं लेकिन मैं नहीं चाहता कि इस हाउस का कीमती समय ऐसी बातों में बरबाद हो। (शोर) ये पहले डिमांडज पर भी बोले हैं, बजट पर भी बोले हैं और अब ऐप्रोप्रिएशन बिल पर बोलते हुए दूसरी ओर चले गये हैं। आप इनको जरा समझायें ताकि ये ठीक विषय पर ही अपने विचार रखें। यूंही यहां पर बदमजगी न फैलाएं।

श्री राम कुमार कटवाल : डिप्टी स्पीकर साहब, मेरे हल्के में राम मेहर पुत्र मांगे राम से रिश्वत ली गई। रिश्वत लेने वाला सतबीर सिंह पुत्र ऋषि पाल है। उसने 35 हजार रुपए भनफूल सिंह बिशनोई के नाम से लिए। (शोर)

चौधरी जगदीश नेहरा : उपाध्यक्ष महोदय, आप हाउस की प्रोसीडिंगज को ठीक ढंग से चलवाएं।

श्री उपाध्यक्ष : नेहरा साहब, आप बैठिए। कटवाल साहब, आप जिन आदमियों का नाम हाउस में ले रहे हैं, वे हाउस में मौजूद नहीं है और वे अपने आप को डिफैंड नहीं कर सकते। इसलिए अगर आपने कुछ कहना है तो आप ऐप्रोप्रिएशन बिल के बारे में कहें।

श्री राम कुमार कटवाल : डिप्टी स्पीकर साहब, मैं कह रहा था कि सतबीर सिंह पुत्र ऋषि पाल ने मनफूल सिंह बिश्नोई के नाम से पैसे लिए । मेरे पास ऐफीडैविट है ।

चौधरी जगदीश नेहरा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि इस तरह से किसी पर एलीगेशन लगाने की कोई इजाजत नहीं होनी चाहिये । ऐसे तो मैं इनके खिलाफ दस आदमियों के एफीडैविट ला कर दे सकता हूं कि इन्होंने पैसे लिये हैं । इसलिये इस तरह की बात करने का कोई फायदा नहीं है । ये एप्रोप्रिएशन बिल पर ही बोलें । (व्यवधान का शोर) इनको तो बोलने का ही तरीका नहीं आता । आप देखें कि कैसे असभ्य शब्द बोल रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : राम कुमार जी आप बिल्कुल सभ्य तरीके से बोलें । आप अपनी बात कह कर खत्म करें । आपको जिस आदमी ने ऐफीडैविट दिया है आप उसके आधार पर कोर्ट में केस फाईल करें । यह तो असैम्बली है आप एप्रोप्रिएशन बिल पर बोल सकते हैं ।

समाज कल्याण राज्य मंत्री (कैप्टन अजय सिंह यादव) : डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है । माननीय सदस्य ने जो बात कही है, वह रिकार्ड पर नहीं आनी चाहिए । इन्होंने जो बात कही है, वह बेबुनियाद बात है । जिस तरीके से माननीय सदस्य * * * * * * * * * * . वह ठीक नहीं है । * * * * * इनको बोलने का तरीका भी नहीं आता है । (शोर)

श्री उपाध्यक्ष : किसी भी पर्सन के बारे में ऐसा न कहें । वह भी इस हाउस के माननीय सदस्य हैं । (शोर)

श्री धीरपाल सिंह : डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा आपसे निवेदन है कि कैप्टन साहब ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है, उनको हाउस की कार्यवाही से निकलवाया जाए । इसके अलावा मैं गुजारिश करूंगा कि नेहरा साहब ने कुछ चर्चा की । अच्छा होता यदि वे, जब कल डिमांडज पर चर्चा हो रही थी, तो ट्रेजरी बैंचिज के साथियों ने डिमांडज से हट कर जिन बातों की चर्चा की, उस समय ये उनको उन बातों को कहने से रोकते । यदि ये उस समय ट्रेजरी बैंचिज के साथियों को वे बातें कहने से रोकते तो इनका दूसरे साथियों पर सही तरीके से प्रभाव पड़ता । (शोर)

श्री उपाध्यक्ष : इससे सारा माहौल खराब हो जाता है, इसको अवायड करें ।

---

* चेयर के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

चौधरी जगदीश नेहरा : डिमांडज से हटकर ट्रेजरी बैंचिज के किसी भी माननीय सदस्य ने कोई बात नहीं कहीं है। (व्यवधान व शोर)

श्री धीर पाल सिंह : उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। बेशक आप हाउस की कल की कार्यवाही निकलवा कर देख लें। माननीय सदस्य ने श्री राम रतन के बारे में कुछ नहीं कहा था। एक लफ्ज भी उनके बारे में नहीं कहा था (व्यवधान व शोर)

श्री सतबीर सिंह कादियान : डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपकी इजाजत से एक बात कहूंगा कि कल श्री राम रतन जी बहुत अनाप-शनाप बोले थे उस समय चीफ मिनिस्टर साहब भी हंस रहे थे और पार्लियामैंट्री अफेयर्ज मिनिस्टर भी हंस रहे थे। किसी ने कहा कि रागनी, कौन सी रागनी ? नौ दो ग्यारह की ? डिप्टी स्पीकर साहब, मन्त्री जी का बोलना यदि असभ्य हो या यदि मन्त्री जी असभ्य बात करेंगे तो ये दूसरों को क्या शिक्षा देंगे ?

श्री राम कुमार कटवाल : डिप्टी स्पीकर साहब, अलेवा थाने में एक ऐसा एस0 एच0 ओ0 लगा रखा है जो 100–100 रुपये रिश्वत के लेता है। मैं उस एस0एच0 ओ0 का नाम नहीं लेता। उस एस0 एच0 ओ0 ने रेहड़ा गांव के रामकला से 100 रुपए रिश्वत ली है। एक बात मैं यह भी कहूंगा कि मुख्य मन्त्री जी मेरे हल्के में गए थे। मैंने इनका बहुत शुक्रिया अदा किया था लेकिन इसके साथ साथ मैं एक बात यह भी कहूंगा कि बिधाना बस अड्डे से झिमरी तक के 8 किलोमीटर सड़क के दोनों तरफ की जितनी भी कीकर खड़ी थी, उन सभी कीकरों को साफ करवा दिया गया और पता नहीं, वे कीकरें कहां पर चली गई। मेरे हल्के में बहुत बुरी तरह से बाढ़ आई, और उस बाढ़ में 44 गांव डूब गए। उनकी तरफ सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। इसी तरह से सडौल थूआ, कुचराणा कलां और कुचराणा खुर्द और पेगा जैसे कई गांवों में पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। इन गांवों के तालाबों में बिल्कुल भी पानी नहीं है। सरकार उन गांवों के लिए पानी का इन्तजाम करे। कुचाराणा गांव में तो आधा गिलास पीने का पानी नहीं है। डिप्टी स्पीकर साहब, राजींद हल्के के बहुत बहादुर लोग हैं। वे कान काट लेंगे इसलिये उनसे रिश्वत लेना छोड़ दें। इन शब्दों के साथ मेरे थोड़े कहे को ज्यादा समझ लें, मैं अपना स्थान लेता हूं। धन्यवाद। (इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए)

चौधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, डिमांडज पर छतर सिंह जी ने कट मोशन दिए थे, लेकिन उनको कल भी बोलने का मौका नहीं दिया गया 13.00 बजे | मैं चाहता हूं कि कम से कम आप इनको आज इस एप्रोप्रिएशन बिल पर तो बोलने का मौका दे दें। हर मैम्बर को बोलने का अधिकार है

इसलिये अगर आप उनको बोलने का टाईम नहीं देंगे तो यह उनके साथ ज्यादती होगी।

श्री अध्यक्ष : वह तो दूसरों के साथ कम्बाइन्ड हो गया।

चौधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, कट मोशन देने वाले हरेक मैम्बर को बोलने का अधिकार है। आप इनको इस पर बोलने का समय दे दें।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, छतर सिंह जी आप 5 मिनट में अपनी बात खत्म करें।

प्रो० छत्तर सिंह चौहान (मुंढाल खुर्द) : अध्यक्ष महोदय, पिछले साल आल इण्डिया प्रजाइडिंग आफिसर्स कान्फ्रैंस हुई थी। उस समय यह बात आई थी कि हाउस कम से कम साल में 90 दिन चलना चाहिए। इस बारे में मेरी आपसे प्रार्थना है कि यदि हाउस 90 दिन नहीं चलाना तो कम से कम हरेक मैम्बर को बोलने का मौका तो मिलना ही चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले डिमांड नं० 15 जो इरीगेशन से संबंधित है, उस पर अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। आज हमारे यहां पर पानी की समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। इन अढ़ाई सालों में जब से यह सरकार आई है, एस० वाई० एल० की खुदाई के बारे में कोई काम नहीं हुआ है। न तो नहरों की सफाई हुई है और न ही उनकी मुरम्मत हुई है। मैं आपके माध्यम से सरकार के नोटिस में लाना चाहता हूं कि दादरी फीडर की 1987 से लेकर आज तक सफाई नहीं हुई है। इसी प्रकार से जुई और लौहारु कैनाल की भी सफाई नहीं हुई है। दादरी फीडर में तो बहन करतार देवी का इलाका भी आता है और यह आनन्द सिंह डांगी जी के गांवों की जमीन में से होती हुई जा रही है। आज पानी के बारे में दक्षिण हरियाणा के साथ अन्याय यह सरकार क्यों कर रही है। इस बारे में मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि 18 अगस्त 1978 को एक फैसला हुआ था जिसमें भाखड़ा का 18 लाख एकड़ फुट पानी मिला which was meant for the arid areas of Haryana. वह पानी आज कहां जा रहा है ? आज जब ये घर के पानी का बंटवारा नहीं करवा रहे तो फिर पंजाब से क्या पानी ले पाएंगे और क्या राजस्थान से बात करेंगे ? इस बारे में मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जितना पानी हरियाणा में उपलब्ध है, उसका बराबर बंटवारा कर दिया जाये ताकि सभी जिलों को बराबर बराबर पानी मिल सके। हमें हिसार और सिरसा से कोई द्वेष नहीं है। उनको आप पानी दें लेकिन दूसरे जिलों का भी ध्यान रखें। वहां पर अगर महीने में 10—10 दिन या 15—15 दिन नहरें चलती हैं तो हमारे यहां भी इतने ही दिन नहरें चलनी चाहिएं। मैं जानना चाहता हूं कि जो 18 लाख

[प्रो० छत्तर सिंह चौहान]

एकड़ फुट एरिड भूमि के लिये पानी देने का फैसला हुआ है था, अब उस भूमि के लिये पानी कहां से आएगा ?

जहां तक एम० आई० टी० सी० का सवाल है, हमारे जिले में एम० आई० टी० सी० का काम स्टैंड स्टिल है और 1987 से आज तक वहां पर कोई काम नहीं हुआ । बहन करतार देवी जी और ए० सी० चौधरी जब भी वहां पर प्रिवैंसिज कमेटी की मीटिंग में जाते हैं तो हम उनका ध्यान इस तरफ दिलाते हैं लेकिन अब तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है । इसी प्रकार से भिवानी, गुजरानी चांप डिस्ट्रीब्यूटरी जो 1991 में बनी थी वह अगस्त 1992 में ही टूट गई यानी 8 महीने के बाद ही खराब हो गई । मेरी मांग है कि कसूरवार अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाये ।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं मांग संख्या 9 पर बोलना चाहता हूं । मन्त्री महोदय ने परीक्षाओं में नकल रोकने का प्रयत्न किया है । यह उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात की है । इसमें कितनी सफलता मिली है, यह सब अखबारों में छपता रहता है, अध्यक्ष महोदय, एजूकेशन से आपका बहुत लम्बा सम्बन्ध रहा है । हरियाणा एजूकेशन बोर्ड का आफिस भिवानी में है लेकिन उसका एकेडैमिक और पब्लिसिटी विंग पंचकूला में शिफ्ट कर दिया गया है । इससे एजुकेशन के मामले में काफी मुश्किल पेश आएगी । बोर्ड का चेयरमैन कहीं है और सैक्रेटरी कहीं बैठता है । इसी प्रकार से कर्मचारी भी दूर-दूर हो गए हैं । अध्यक्ष महोदय, इसमें एजुकेशन के भले की कोई बात नहीं है इसमें तो वैस्टिड इंटरैस्ट हावी लगता है । ऐसा लगता है कि किसी आदमी के मकान को किराये पर दिलाने के लिए इन विंग्ज को शिफ्ट किया गया है । अध्यक्ष महोदय, अगर सरकार यह समझती है कि एजुकेशन बोर्ड का काम भिवानी में ठीक नहीं है, तो जिस तरह से भिवानी का मिल्क प्लांट बन्द किया गया है, उसी प्रकार से इस एजुकेशन बोर्ड को भी भिवानी में बन्द कर दें, हमें कोई ऐतराज नहीं है । अध्यक्ष महोदय, सरकार का काम तो वैसे भी काफी बढ़ा हुआ है (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, नकल रोकने के लिये सरकार विशेष ध्यान दे । नकल रोकना हमारा नैतिक कार्य है । नकल एजुकेशन के लिए एक अभिशाप बन चुकी है । जो एजुकेशन आफिसर्ज हैं, उनको चाहिए कि साल में 2—3 बार स्कूल में जा कर चैक करें और जो अच्छे अध्यापक हैं, उनको पारितोषिक दें और जो अध्यापक अपने काम को ठीक ढंग से नहीं करते, कोताही करते हैं, उनको दण्डित किया जाना चाहिए । नकल कागजों में तो रुक जाएगी, परन्तु असल में नकल नहीं रुकेगी ।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं आपके माध्यम से पब्लिक हैल्थ के बारे में कहना चाहता हूं । हमारे नये पब्लिक हैल्थ मिनिस्टर साहब मानसिक रूप से जागरूक

हैं, परन्तु प्रैक्टिकली उन्होंने कुछ नहीं किया है । मैं अपने जिले की बात बताना चाहता हूं । पिछले साल भी मैंने कहा था कि अप्रैल, मई और जून तीन महीने रिवाड़ी व महेन्द्रगढ़ जिले में पीने का पानी नहीं होता, न ही नहरों में पानी होता है और ट्यूबवैलों पर बिजली नहीं होती । अध्यक्ष महोदय, 1992 में मैंने इस सदन का ध्यान दिलाया था कि पीने के पानी की बहुत दिक्कत है इसलिये मैं जन-स्वास्थ्य मन्त्री महोदय से आपके माध्यम से यह प्रार्थना करता हूं कि अभी अप्रैल, मई और जून के महीने आने वाले हैं । भिवानी, रिवाड़ी, महेन्द्रगढ़ और रोहतक के लोगों को कम से कम पीने का पानी उपलब्ध करवाने के लिए कोई इन्तजाम अभी से करवाएं । अध्यक्ष महोदय, लोगों की यह सबसे बड़ी समस्या है । इस काम में बिजली, नहर और पब्लिक हैल्थ तीन महकमें इन्वाल्वड हैं । जब हम पब्लिक हैल्थ वालों के पास मांग ले कर जाते हैं, तो वे कहते हैं कि बिजली नहीं है और नहर वालों के पास जाएं तो जवाब होता है कि नहर में पानी नहीं है । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना करूंगा हर डिस्ट्रिक्ट लैवल पर डी0सी0 की चेयरमैनशिप में एक कमेटी बना दें जिसकी मिटिंग हर हफ्ते 15 दिन या महीने में हो । यह कमेटी यह देखे कि किस जगह पर किस महकमें की कोताही है ताकि लोगों को पीने का पानी सुहैया हो सके (घंटों) जितने भी वाटर टैंक हैं, उनमें फिल्टर मीडिया "2—6" होना चाहिए लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि किसी भी वाटर टैंक में ढाई-तीन इंच से ज्यादा फिल्टर मीडिया नहीं है जिससे पानी साफ नहीं होता फिल्टर मीडिया सीमैंट की तरह जम गया है जिससे पानी साफ नहीं होता । इसलिए सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए ताकि लोगों को पीने का पानी उपलब्ध हो सके । लोगों में पीलिये की बीमारी फैल चुकी है और अगर पानी का उचित प्रबन्ध नहीं किया गया तो यह बीमारी और भी फैल जाएगी (विघ्न)

मैं जन-स्वास्थ्य मन्त्री महोदया से प्रार्थना करना चाहता हूं कि कुछ लोगों ने जो, सरकार के आदमी हैं, चाहे कोई भी सरकार हो, एक मुहिम बनाई हुई है कि जहां पर वाटर लाईन बनी हुई है, उसको पन्चर करके अपने घरों में ले गए हैं । तो इस सरकार के जिन लोगों ने इललीगली कनैक्शन ले रखे हैं, सिर्फ कनैक्शन ही नहीं, बिजली की मोटरें लगा रखी हैं, जिस वजह से आखरी छोर तक पानी नहीं जाता है । मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदया से प्रार्थना करूंगा कि वे एक ऐसी टीम बनाएं कि जो इललीगली कनैक्शन लाईनें पन्चर करके लिए हुए हैं, उनको पकड़ें । अध्यक्ष महोदय, खासतौर पर बापोड़े गांव से खरकड़ी गांव तक जो लाईन गई है उस पर इन्हीं के कुछ लोगों ने चार कनैक्शन लगा रखे हैं । जिस वजह से खरकड़ी गांव को पानी नहीं मिलता । इसी प्रकार से मुंडालकलां गांव है, वहां पर आज आप जाकर देखें या अपने एस0ई0 से पूछें कि उस गांव को पिछले छः महीने से पानी क्यों नहीं मिला है ।

[प्रो0 छत्तर सिंह चौहान]

इसी तरह से मेरी कांस्टीच्यूएंसी का गनीला एक गांव है, जिसकी आबादी 15 हजार है। उस गांव को सिर्फ ¼ भाग में पानी मिलता है और ¾ भाग में पानी नहीं मिलता। मैं जन-स्वास्थ्य मन्त्री से प्रार्थना करूंगा कि वे अपने महकमें को इस के लिये आदेश दें। (घंटी) अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा और बोलना चाहता हूं।

अब मैं डिमांड नं0 13 पर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, हम ग्रिवैन्सीज कमेटी में भी गए थे और यहां पर भी कहते हैं कि क्या कोई भी हिन्दुस्तान की नारी झूठ में कहेगी कि वह विधवा है। कोई भी भारतीय नारी ऐसा नहीं कह सकती। अध्यक्ष महोदय, यह बड़े ही दुख की बात है कि 1 अप्रैल 1992 से जिन नारियों ने विधवा पैन्शन के लिये प्रार्थना पत्र दिए थे, उनका आज तक कोई निपटारा नहीं हुआ है। अध्यक्ष महोदय, अगर किसी भी नारी का प्रार्थना पत्र आए कि मैं विधवा हूं और मुझे विधवा पैन्शन मिलनी चाहिए तो सरकार को एक समय निर्धारित करना चाहिए कि 3 या 6 महीने में पैन्शन मिल जाएगी। इसी तरह से मैं बुढ़ापा पैन्शन के बारे में कहना चाहता हूं। पिछली बार वित्त मन्त्री जी ने विचार दिया था कि बुढ़ापा पैन्शन सरकार के ऊपर बड़ा भारी बोझ है। अध्यक्ष महोदय, या तो ये इसको बन्द कर दें या इनके पास जो मैनुप्लेटिड ढंग से बहुमत है, इसी बहुमत के आधार पर एक कानून पास करें कि हम हर महीनें की सात तारीख तक बुढ़ापा पैन्शन देदेंगे वर्ना अध्यक्ष महोदय, ये यह कह दें कि हम नहीं दे सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा का जो बजट है, उसमें 5 करोड़ 54 लाख रुपए मिनिस्टर्ज पर खर्च होते हैं और ये बुढ़ापा पैन्शन के लिये कहते हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर है। मैं इन्हें कहता हूं कि अपनी टीम को कम करें। मिनिस्टर्ज को कम करें, अपने चेयरमैन को कम करें। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो बुढ़ापा पैन्शन पर आरा चलाया है, इसके बजाय मुख्यमन्त्री जी आप मिनिस्टर्ज को कम कीजिए। अध्यक्ष महोदय, 1 अगस्त 1993 से आज तक हरियाणा में कहीं पर बुढ़ापा पैन्शन नहीं मिली है। मैं आपके माध्यम से सरकार से फिर दरखवास्त करता हूं कि ये अपनी नीयत ठीक कर लें। अगर इन्हें बुढ़ापा पैन्शन रखनी है तो रखें नहीं तो वित्त मन्त्री जी यह कह दें कि हम बुढ़ापा पैन्शन नहीं दे सकते हैं। (विघ्न)

अध्यक्ष महोदय, जहां तक डिमांड नं0 2 का सवाल है आज हरियाणा में ला एंड आर्डर नाम की कोई चीज नहीं है। जंगल का राज है, भ्रष्टाचार से शासन और प्रशासन आकण्ठ डूबा हुआ है। यहां पर बाकायदा तबादले बिकते हैं, नौकरियां बिकती हैं। मुख्यमन्त्री जी, अगर आप भेष बदल कर जाएं तो आपको पता चलेगा कि कालका से नारनौल तक और डबवाली से लेकर

होडल तक लोग एक ही बात कहते हुए मिलेंगे कि हरियाणा सरकार का एक बहुत झूठा नारा है। वह नारा क्या है? "भ्रष्टाचार गुरू और तुम चेले मैं गुरू" लाओ कमा-कमा कर मुझे देते जाओ"। इस प्रकार से जहां पर नौकरियां बिकती हैं, तबादले बिकते हैं और जहां पर डिप्टी कमीश्नर और थानेदार के पदों की निलामी होती हो वहां क्या हाल होगा (विघ्न)

चौधरी जगदीश नेहरा : मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो कट-मोशन दिए हैं, वह यह है कि इसमें बजट को न बढ़ाया जाए, घटाया जाए। अब ये उसके बिल्कुल उल्ट बोल रहे हैं। छत्तर सिंह जी, आपको पता है कि आप क्या बोल रहे हैं ?

चौधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, यह कट मोशन का सवाल नहीं है, यह तो ऐप्रोप्रिएशन बिल है। आप इनको पढ़ा दें कि किस सब्जैक्ट पर क्या कहना चाहिए ?

चौधरी जगदीश नेहरा : स्पीकर सर, अभी तो ये कह रहे हैं कि हम कट मोशन पर बोल रहे हैं, तो फिर अब ऐप्रोप्रिएशन बिल कहां से आ गया ? जो ये सरकार ने बजट पेश किया है, ये उसको कम करना चाहते हैं और साथ ही ये मांग भी कर रहे हैं। इस तरह से तो ये उल्टी बात कर रहे हैं। (विघ्न)

प्रो0 छत्तर सिंह चौहान : स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि ला एंड आर्डर गरीब आदमियों की रक्षा के लिए होने चाहिए लेकिन हरियाणा में आज लोग महसूस कर रहे हैं कि यहां पर आज कोई सरकार नहीं है। अध्यक्ष महोदय, 6 मार्च 1993 को मुख्यमन्त्री जी दादरी में गए थे। वहां पर भिवानी को पुलिस की छावनी बना दिया गया। लगभग आठ हजार सिपाही वहां पर थे जिन्होंने लोगों को सभा तक जाने ही नहीं दिया। इस तरह से ये जितने भी जलसे करेंगे और अगर सब जलसों में यही करते रहे तो फिर यह एक भी जलसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि लोग इनसे दुखी हैं (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं आपके माध्यम से वित्त मन्त्री जी से कहना चाहूंगा। वैसे मैंने दिसम्बर 1992 में भी हाउस में यह बात कही थी कि 1983 से गवर्नमैंट एम्पलाईज के लिये प्रोविडैन्ट फंड के लिये ऐसी व्यवस्था की गयी थी कि ऐम्पलाई अगर अपना साढ़े बारह परसैन्ट पैसा कटवायेंगे तो ढाई परसैन्ट पैसा गवर्नमैंट देगी। इसके लिये बाकायदा फाईनैंशियल कमिश्नर के आर्डर भी जा चुके हैं कि इतना पैसा उनको दिया जाए लेकिन आज तक एक भी पैसा उनके फंड में जमा नहीं हुआ है। इसी तरह से जो कर्मचारी सेवा निवृत्त हो जाते हैं, उनके लिये कानून बनाया जाए कि उनकी पेंशन जी0पी0एफ0

[प्रो0 छत्तर सिंह चौहान]

आदि का पैसा 6 महीने के अन्दर ही मिल जाएगा । क्योंकि जब कोई कर्मचारी नौकरी से रिटायर हो जाता है तो यह उसी को पता होता है कि वह अपने बच्चों का पालन कैसे करता है। हो सकता है गुप्ता जी को यह बात न पता हो लेकिन इनको यह जरूर पता होना चाहिए कि एक दिन इनको भी रिटायर होना है । इसलिए मेरा कहना यह है कि जी0पी0एफ0 का जो पैसा 1983 से 31-3-90 तक का बकाया पड़ा हुआ है, उसका भुगतान तुरन्त किया जाए और पैन्शन आदि के लिये यह कानून बनाया जाए कि सेवानिवृत्त कर्मचारी की पेंशन इत्यादि का पैसा 6 महीने या एक साल में मिल जाया करेगा। स्पीकर सर, चार चार साल हो चुके हैं लेकिन लोगों को आज तक भी पैसा नहीं मिला है । इसी तरह से पिछले दिनों जब एम्पलाईज ने अपनी जायज मांगों को लेकर हड़ताल की थी तो इस बेहरमी सरकार ने उनके बच्चों, उनके बूढ़ों को गिरफ्तार किया और उनके ऊपर पानी के फुव्वारे छुड़वाए गये । भिवानी में ही मैंने देखा है कि वहां के एस0पी0 ने एम्पलाईज पर लाठियां चलवायी थीं। अगर यह सरकार इसी तरह से अपना प्रशासन चलाना चाहती है तो जो कर्मचारी प्रशासन का अभिन्न अंग होते हैं, वे कैसे काम कर पाएंगे ? यदि यह सरकार ऐसा ही करेगी, तो मैं समझता हूं कि यह सरकार अपना काम ठीक ढंग से नहीं चला सकती। इसको अपने आप को बदलना पड़ेगा।

इसके अलावा मैं आपके माध्यम से ऐक्साईज एंड टैक्सेशन मिनिस्टर से कहना चाहता हूं कि जैसा इन्होंने एक प्रोवीजन बना रखा है कि अगर कोई पंचायत एक अप्रैल से लेकर 30 सितम्बर तक, यह रैजोल्यूशन पास कर देती है कि उसके गांव में शराब का ठेका न खोला जाए तो वहां पर ठेका नहीं खुलेगा । लेकिन इससे बड़ी गल्त और क्या बात हो सकती है कि कई पंचायतों ने पिछले साल रैजोल्यूशन दिए कि उनके यहां पर ठेके न खोले जाएं लेकिन फिर भी वहां पर ठेके खोले गए । ऐक्साईज एंड टैक्सेशन कमिश्नर ने उनकी यहां पेशियां लगायीं उनका कितना पैसा खर्च हुआ। स्वयं बहन जी की अपनी कांस्टीच्यूएंसी में, जहां पर पहले ठेका बन्द हो गया था, वहां पर भी ठेका खुलवा दिया । इसी प्रकार से मेरे अपने गांव बोंद में भी ठेका खुलवा दिया और स्वयं इनके अपने ही गांव में ठेका है । मैं यह कहना चाहता हूं कि या तो आप अपनी पोलिसी के इस प्रोविजो को ही हटा दें कि अगर कोई पंचायत रैजोल्यूशन पास करती है कि उसके यहां पर ठेका नहीं खुलेगा तो ठेका नहीं खोला जाएगा। या फिर पंचायत की बात आपको माननी चाहिए । आपको अपने वायदों पर टिका रहना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहता हूं । जहां तक बिल्डिंग एक रोजगा का संबंध है, सरकार बड़ा दावा करती है । हमारे माननीय

लोक निर्माण मन्त्री कहते हैं कि 90 परसैन्ट सड़कों की मरम्मत करा दी गई है। हो सकता है कागजों पर मरम्मत करा दी हो लेकिन आप किसी कांस्टीच्यूएंसी में चले जाएं, सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं। मेरी अपनी कांस्टीच्यूएंसी में, धनाणा में मन्त्री जी गए, वहां एक बिल्डिंग तहस-नहस हो गई। वह बिल्डिंग अब तीन करोड़ में भी नहीं बन सकती। माननीय मन्त्री जी ने लोगों को विश्वास दिलाया कि सी0 एच0 सी0 बन जाएगी। मैं मुख्यमन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे अपने मन्त्रियों को कह दें कि या तो वायदा करके न आया करें। करके आया करें, तो पूरा किया करें। नहीं तो इस सरकार की रिलायबिलिटी खत्म हो जाएगी। (शोर एवं व्यवधान) अच्छा जी, धन्यवाद।

वित्त मंत्री (श्री मांगे राम गुप्ता): अध्यक्ष महोदय आज हाउस में एप्रोप्रिएशन बिल (नं0 2) चर्चा के लिये प्रस्तुत किया गया है इस पर बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे। (विघ्न)

चौधरी बंसी लाल: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये यह कहना चाहूंगा कि अब गर्मी सामने आ गई है। पिछले साल भी यह बात हाउस में आई थी कि भिवानी, महेन्द्रगढ़, रिवाड़ी, रोहतक, सोनीपत, फरीदाबाद और गुड़गांव में पीने का पानी नहीं मिलेगा तो मेरी सबमीशन यह है कि वित्त मन्त्री जी तो बोले लेकिन उससे पहले मुख्यमन्त्री जी इस विषय पर रोशनी डाल दें कि पीने के पानी का प्रबन्ध ये इस बार कैसे करेंगे। ताकि गर्मी में लोगों को पानी मिले? (शोर एवं व्यवधान)।

श्री मांगे राम गुप्ता: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने बहस में हिस्सा लेते हुए अपने-अपने हल्के की जो तकलीफें हैं, वे सरकार के नोटिस में लाने का प्रयास किया है। चाहे हल्के में सड़कों की मरम्मत का सवाल है या नयी बनाने की बात है स्कूलों को अपग्रेड करने का सवाल है या वाटर सप्लाई स्कीम्ज का सवाल है हमारे नोटिस में आ गई हैं। पानी की मांग ज्यादा आ गई तो पानी की दिक्कत आ जाएगी। किसान के खेत के पानी के लिये व अस्पताल के लिये तथा हर तरह की लोगों की जरुरत के मुताबिक सरकार का ध्यान दिलाने का प्रयास किया गया। कुछ सुझाव भी आए। हमने माननीय सदस्यों के सुझावों को नोट किया है और इनके इलाके की जो तकलीफें हैं, उनको भी नोट किया है। जैसा कि बजट के ऊपर हमने जवाब दिया। डिमांड के ऊपर सदन को जवाब दिया। माननीय सदस्यों की सारी बातों का विस्तार से सरकार की तरफ से जवाब आ चुका है। चौहान साहब एक नारे की बात कह रहे थे। पिछली सरकार का नारा यह था "कमा के खाना नहीं और लेकर के देना नहीं"। आर्थिक व्यवस्था का भट्ठा बैठा दिया। कितने क्रिमिनल आदमी पैदा हो गए जिसने कमा के नहीं खाना मकान फंस गया तो उस पर कब्जा, जमीन फंस गई तो उस पर कब्जा, दुकान फंस गई दुकान पर कब्जा। कमा के

[श्री मांगे राम गुप्ता]

खाना नहीं । जहां से जो ले लिया लेकर दिया नहीं । इस तरह से ला एंड आर्डर की बहुत बुरी हालत हो गई थी ।

श्री सतबीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, वित्त मन्त्री जी ने बोलते हुए कहा है कि पिछली सरकार ने कब्जे किए । वित्त मन्त्री जी पिछली सरकार को कोस रहे हैं । पिछली सरकार ने कोई भट्ठा नहीं बैठाया, कोई कब्जे नहीं करे । अगर किसी ने कब्जे करे हैं तो यह सरकार श्वेत पत्र जारी करे । (शोर एवं व्यवधान)

श्री मांगे राम गुप्ता : जब पिछली बार हरियाणा में चुनाव हुए तो हरियाणा की जनता ने पिछली सरकार के कारनामों की वजह से, वह इतनी दुखी थी कि उन कारनामों के कारण, उन्होंने पिछली सरकार को बदला और कांग्रेस की सरकार यहां पर बनायी, जिसके मुख्य मन्त्री चौधरी भजन लाल जी आज हमारे सामने प्रस्तुत हैं । उन्होंने सबसे पहले हरियाणा की जनता की जो ख्वाहिश थी कि विकास हो, उसको पूरा करने के लिये कुछ ठोस और अच्छे प्रोग्राम बनाये ताकि शान्ति के साथ हरियाणा के अन्दर विकास और तरक्की हो सके । अध्यक्ष महोदय, हमने उसको कागजों में ही नहीं रखा बल्कि उसको प्रैक्टीकल रूप देने के लिये प्रयत्न किये हैं । हरियाणा में जो 1991 तक गुंडागर्दी बढ़ गयी थी और कानून नाम की कोई चीज बाकी नहीं रह गयी थी, उसको समाप्त करने की दिशा में काम किया । साथ ही उग्रवाद को समाप्त करने की दिशा में भी कदम बढ़ाया । हमने हरियाणा में ला एंड आर्डर की सिचुएशन इतनी मजबूत की है ताकि हरियाणा के प्रत्येक नागरिक को पूरी सुविधा मिले और उसकी इज्जत महफूज हो और वह यहां पर इज्जत के साथ रह सके । हमने हरियाणा में उग्रवाद को समाप्त करने की दिशा में आगे कदम बढ़ाया है । हमने इसके लिये पुलिस को सहूलियतें देकर यह काम किया है । उसको हमने हथियार दिये हैं और गाड़ियां भी दी हैं ताकि उग्रवाद पर काबू पाया जा सके । हमने बौर्डर पर भी कन्ट्रोल किया है ताकि हरियाणा में उग्रवादी आकर, यहां पर गड़बड़ न कर सकें । अन्दरूनी तौर पर जो गड़बड़ होती थी, उसको तो हमने ठिकाने लगा ही दिया है। जो उग्रवादी कांड होते थे, उनको भी हमने कन्ट्रोल किया है । आज हरियाणा के नागरिक शान्ति के साथ रह रहे हैं । हरियाणा में किसी प्रकार की ला एंड आर्डर की स्थिति खराब नहीं है । इक्का दुक्का वारदातें कहीं न कहीं पर कभी जरूर हो जाती हैं । इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता । लेकिन जब भी किसी की तरफ से या विधायक की तरफ से सरकार के नोटिस में ला एंड आर्डर के बारे में कोई बात लायी जाती है, तो हमारी पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी खबर आते ही एक्शन लेते हैं । मुख्य मन्त्री महोदय का आदेश है कि किसी भी गलत काम करने वाले आदमी के साथ कोई रियायत नहीं होनी चाहिए चाहे वह आदमी कितना ही बड़े से बड़ा क्यों न हो । अतः ऐसे मामलों में पूरी कार्यवाही की जाती है । इसलिये

हरियाणा की जनता आज खुशहाल है और अमन और चैन से रह रही है। जब किसी प्रदेश में अमन और शान्ति होती है, तभी वहां की जनता तरक्की के लिये सड़कों के लिये, अस्पताल के लिये, बिजली के लिये या पानी के लिये मांग करती है। तभी उनको अपनी जरूरतें याद आती हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने यह प्रयास किया है कि हरियाणा में किसी भी मामले में कमी न रहे। चाहे वह शिक्षा का मामला हो उसमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिये। चाहे वह बिजली का मामला हो, उसमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिये। चाहे वह सड़कों का, अस्पतालों का या वाटर सप्लाई का मामला हो। कहीं पर कोई कमी नहीं रहनी चाहिये। यह सारी सुविधायें जुटाने के लिये हमने अपने बजट में पूरा पैसा देने की कोशिश की है ताकि हरक्षेत्र में हरेक वर्ग के लोगों को प्रोत्साहन मिल सके। मेवात के इलाके के लोग भी यहां पर बैठे हैं। मेवात के साथियों ने कुछ जिक्र भी किया था। जहां तक इस इलाके के कल्याण का सम्बन्ध है, हमने मेवात डिवेल्पमैंट बोर्ड के तहत भी कुछ सड़कें बनानी हैं। इसके अलावा, विभाग इस इलाके में भी कुछ न कुछ सड़कें बनायेगा। इस तरह से हमने मेवात के इलाके में तरक्की करने के लिये भी पैसा दिया है ताकि वहां पर भी सड़कें आदि बन सकें। इसी तरह से हमने शिवालिक डिवेल्पमैंट बोर्ड बनाया है। मुख्य मन्त्री जी की अध्यक्षता में यह बोर्ड उस पिछड़े हुए इलाके की तरक्की के लिये है, जो काफी पिछड़ा रहा है। पहाड़ी इलाका है। वहां पर आना जाना आसान नहीं है। हमने इसके लिये शिवालिक डिवेल्पमैंट बोर्ड को भी पैसा दिया है। इसके अलावा जो हमारे अनेक डिपार्टमैंट हैं, वह तो वहां पर सुविधा देंगे ही लेकिन इसके साथ ही शिवालिक डिवेल्पमैंट बोर्ड को पैसा दिया है ताकि वहां पर जो पिछले काफी दिनों से पिछड़ा रहा है, की तरक्की हो सके। हमने इसके लिये अपनी तरफ से गम्भीर प्रयास किया है। आज हरियाणा की सरकार के अन्दर एक आदत बन गयी है कि किसी भी प्रकार का किसी से भी भेदभाव न हो। हर गांव में पीने के पानी की व्यवस्था हो। बिजली की, पानी की सड़कों की सुविधा देने का प्रयास किया जाये। लेकिन हमारे एक माननीय सदस्य ने एम्पलाईज की चर्चा की। कईयों ने बिजली के बारे में चर्चा की और कई सदस्यों ने इरीगेशन के बारे में बात की है। इरीगेशन के बारे में जो बात सामने आयी है, उसको देखने से यह प्रतीत होता है कि इस सरकार ने किस ढंग से अपने बजट में प्रावधान करके इरीगेशन पर पैसा खर्च करने का प्रयास किया है। आज हरियाणा के किसान को पूरा पानी नहीं मिल रहा है। नहरों में रेत जमी हुई है, माईनर कच्चे हैं, नहरें कच्ची हैं। इस काम को करने के लिये हमने आठ सौ करोड़ रुपये का प्रोजैक्ट वर्ल्ड बैंक से मन्जूर करवाया है। यह सब हरियाणा के किसान के लिए है और यह इरीगेशन का प्रोजैक्ट है। इससे किसान को पूरा पानी मिलेगा। टेल पर पूरा पानी पहुंचेगा।

[श्री मांगे राम गुप्ता]

जनता की परवाह है और न ही अपने इलाके की परवाह है । इनको कभी पूछो कि इन्होंने इस बारे में सम्बन्धित मन्त्री महोदय को, मुख्यमन्त्री महोदय को कभी लिखा है कि फलां फलां जगह पर यह यह दिक्कत है ? मैं उनको बताना चाहता हूं कि सरकार इनकी सलाह से स्कीम्ज नहीं बनाती । सरकार के पास अपने इंजीनियर्ज हैं सरकार के मन्त्री हैं, वे सब आपस में बैठकर सलाह मशिवरा करके स्कीम्ज बनाते हैं । लेकिन मैं इनको यह कह देना चाहता हूं कि सरकार किसी भी इलाके के साथ किसी भी हल्के के साथ कोई भेदभाव की नीति नहीं बरत रही और न ही बरतेगी । सरकार के लिये सारे हरियाणा के लोग एक समान हैं ।

मैं हाउस में विश्वास दिलाता हूं कि हर गांव में पीने के पानी की सुविधा दी जाएगी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा । (तालियां) इन शब्दों के साथ मैं अध्यक्ष महोदय, सारे हाउस से अनुरोध करुंगा कि चूंकि हरियाणा की जनता समझती है कि यह बहुत अच्छा बजट है, इसलिये इस एप्रोप्रिएशन बिल को सर्वसम्मति से पास किया जाए । धन्यवाद ।

चौधरी बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, पीने के पानी के बारे में तो जरा स्थिति स्पष्ट कर दें क्योंकि मेरे सवाल का जवाब नहीं आया है ।

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल) : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने पूरी तरह से जवाब दे दिया है । शायद इन्होंने समझने की कोशिश नहीं की है । चाहे इन्सानों के पीने के लिये पानी हो, चाहे पशुओं के पीने के लिये पानी हो, सरकार इसके लिये पूरी तरह से सजग है कि पीने के पानी की दिक्कत न हो । गर्मियों के अन्दर ज्यादा दिक्कत पशुओं को पीने के पानी की होती है । इसलिये हम ने सभी जगहों पर आदेश दे दिये हैं कि जो गांव अपने तालाबों को भरवाने के लिए एप्लाई करेगा, वहां 48 घंटों के अन्दर अन्दर तालाब भरवा दिया जाएगा । जहां तक पीने के पानी का सवाल है, इसकी दिक्कत होगी तो हम इरीगेशन के पानी को बन्द करके, सर्वप्रथम पीने के पानी को हर जगह देने का इन्तजाम करेंगे ।

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana Appropriation (No. 2) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now the House will consider the Bill clause by clause.

Clauses 2 & 3

Mr. Speaker : Question is—

That Clauses 2 and 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Schedule

Mr. Speaker : Question is—

That the Schedule be the Schedule of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That the Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That the Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Finance Minister will move that the bill be passed.

Finance Minister (Shri Mange Ram Gupta) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(iii) दि मेडिकल कालेज रोहतक (कंडीशन्ज आफ सर्विस आफ टीचर्ज) अमैंडमेंट बिल, 1994

Mr. Speaker : Now, the Health and Ayurveda Minister will introduce the Medical College, Rohtak (Conditions of Service of Teachers) Amendment Bill, 1994 and also move the motion for its consideration.

स्वास्थ्य मन्त्री (श्रीमती शांती देवी राठी) : अध्यक्ष महोदय, मैं आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, रोहतक (अध्यापक सेवा शर्तें) संशोधन विधेयक, 1994 प्रस्तुत करती हूं ।

मैं यह भी प्रस्ताव करती हूं —

कि आयुर्विज्ञान महाविद्यालय रोहतक (अध्यापक सेवा शर्तें) संशोधन विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए ।

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Medical College, Rohtak (Conditions of Service of Teachers) Amendment Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

That the Medical College, Rohtak (Conditions of Service of Teachers) Amendment Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That the Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That the Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now the Health and Ayurveda Minister will move that the Bill be passed.

स्वास्थ्य मंत्री (श्रीमती शान्ति देवी राठी) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं—

कि विधेयक पारित किया जाए।

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

प्रो० राम बिलास शर्मा : (महेन्द्रगढ़) : स्पीकर साहब, बहिन शान्ति राठी जी बहुत अच्छा विधेयक यहां पर लाई है। हरियाणा के स्वतन्त्रता सेनानी और पहले मुख्य मन्त्री पंडित भगवत दयाल शर्मा, हरियाणा को उनके प्रति जो आदर है, उसको हरियाणा सरकार ने स्वीकार किया है और रोहतक मैडिकल कालेज का नाम उनके नाम से रखा है। यह सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है और मैं इसका समर्थन करता हूं। मैं चाहता हूं कि ऐसे अच्छे अच्छे काम सरकार और भी करे। हमारे और भी स्वतन्त्रता सेनानी है जैसे लाला लाजपत राय है, पंडित नेकी राम हैं, भिवानी के श्रीराम शर्मा हैं और सोनीपत के चौधरी छाजू राम हैं, जिनके नाम से यहां पर एक पौलिटैक्निक चल रहा है। इसी तरह से हिसार में चौधरी चरण सिंह के नाम से हमारी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है। उनका नाम उस यूनिवर्सिटी के साथ जोड़ कर हमने किसान को सम्मान दिया है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि इस तरह के जो और स्वतन्त्रता सेनानी हैं और जहां जहां से उनका संबंध रहा है, यदि वहां की संस्थाओं का नाम भी उनके नाम से रखा जाए तो और भी अच्छा होगा। मैं एक बार फिर कहता हूं कि पंडित भगवत दयाल जी का नाम जो मैडिकल कालेज रोहतक से जोड़ा गया है, मैं इसका समर्थन करता हूं।

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(iv) दि हरियाणा जनरल सेल्ज टैक्स (अमैंडमैंट) बिल, 1994

Mr. Speaker : Now, the Excise and Taxation Minister will introduce the Haryana General Sales Tax (Amendment) Bill, 1994 and also move the motion for its consideration.

Excise and Taxation Minister (Bahin Kartar Devi) : Sir, I introdue thce Haryana General Sales Tax (Amendment) Bill, 1994, I also move—

That the Haryana General Sales Tax (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana General Sales Tax (Amendment) Bill be taken into considertion at once.

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana General Sales Tax (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clauses 2 & 3

Mr. Speaker : Question is—

That Clauses 2 & 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Caluse 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That the Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That the Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Excise and Taxation Minister will move the motion that the Bill be passed.

Excise and Taxation Minister (Bahin Kartar Devi) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

प्रो० राम विलास शर्मा (महेन्द्रगढ़) : स्पीकर साहब, माननीय बहन जी जो अमैंडमैंट ले कर आई हैं, यह टैंट हाउस वाले लोगों पर जो लैवी लगाई थी उसके बारे में है। टैंट हाउस वाले बेचारे गरीब लोग हैं। वे अपना छोटा मोटा काम करते है इसलिये उन पर इस तरह से टैक्स नहीं लगाया जाना चाहिए। एक तरफ तो हमारे वित्त मन्त्री श्री मांगे राम गुप्ता जी ने कहा है कि यह टैक्स फ्री बजट है और दूसरी तरफ ये इस तरह से गरीब लोगों पर टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं। टैंट हाउस वाले उस बात के अगैंस्ट हाई कोर्ट में गए और हाई कोर्ट ने उनकी बात को मान लिया लेकिन हाई कोर्ट की बात को निरस्त करने के लिये बहन जी यह अमैंडमैंट लाई है लेकिन बहन जी को यह बिल लाने की आवश्यता नहीं थी। वे गरीब लोग है और अपना छोटा-मोटा धंधा करके गुजारा करते हैं, उन पर यह बोझ न डालें।

आबकारी एवं कराधान मंत्री (बहन करतार देवी) : स्पीकर साहब, यह कोई नया टैक्स नहीं लगाया जा रहा। यह टैक्स तो 1-4-1987 से लगा था। उसके बाद टैंट डीलर्ज की ओर से सरकार के पास कई दरखास्तें आईं। वे लोग कोर्ट में भी गए और पिछली सरकार ने भी इसमें थोड़ी सी अमैंडमैंट की थी। उस अमैंडमैंट के हिसाब से जिन कस्बों या गांवों की आबादी 25 हजार की होगी, उन कस्बों या गांवों के टैंट डीलर्ज से 1500 रुपए लिए जाएंगे और जिनकी आबादी 50 हजार की होगी उनके टैंट डीलर्ज से 2 हजार रुपए लिए जाएंगे। यह क्राइटेरिया था। फिर भी टैंट डीलर्ज बार-बार सरकार से मिलते रहे हैं। उसके बाद काफी विचार विमर्श करने के बाद उनके हाई कोर्ट में हार जाने के बाद सरकार ने यह फैसला लिया कि इस टैक्स स्ट्रक्चर को सिम्पलीफाई कर दिया जाए और वह सिम्पलीफाई कर दिया गया है। अब जो बड़े डीलर हैं, उनको 3 हजार रुपए सालाना लम्सम देने पड़ेंगे और जो छोटे डीलर हैं, उनको 1500 रुपए देने पड़ेंगे। अन्त में स्पीकर साहब, मैं प्रार्थना करती हूं कि बिल पास किया जाए।

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(v) दि पंजाब आयुर्वेदिक एंड यूनानी प्रैक्टिशनर्ज (हरियाणा अमैंडमैंट एंड वैलिडेशन, बिल, 1994

Mr. Speaker : Now, the Health and Ayurveda Minister will introduce the Punjab Ayurvedic And Unani Practitioners (Haryana Amendment And Validation) Bill, 1994 and also move for its consideration.

स्वास्थ्य मन्त्री (श्रीमती शान्ति देवी राठी) : स्पीकर साहब, मैं पंजाब आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा व्यवसायी (हरियाणा संशोधन विधिमान्यकरण) विधेयक प्रस्तुत करती हूं।

मैं यह भी प्रस्ताव करती हूं कि—

पंजाब आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा व्यवसायी (हरियाणा संशोधन विधिमान्यकरण) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Punjab Ayurvedic and Unani Practitioners (Haryana Amendment and Validation) Bill be taken into consideration at once.

श्री सतबीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, बहन जी ने दि पंजाब आयुर्वेदिक एंड यूनानी प्रैक्टिशनर्ज बिल 1994 पेश किया है, उसका मैं विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। अब इस बिल के जरिए ये समय मांग रहे हैं। पिछले 25 सालों में तो बोर्ड के मैम्बर्ज के इलेक्शन नहीं करवा सके, इसलिये इसके इलैक्शन करवाने के लिये दो साल की एक्सटैंशन दे दी जाये। सरकार, जो आयुर्वेदिक डाक्टर हैं, उनके खिलाफ छापे मारती है। मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूं कि जो लोग प्रदेश से बाहर से इलाहाबाद से हिन्दी साहित्य सम्मेलन, वैद्य रत्न आदि की डिग्रीयां लेकर आते हैं, उनको यहां पर रजिस्टर नहीं कर रहे। आज हमारे प्रदेश में डाक्टरों की भी कमी है और प्रदेश के हस्पतालों की हालत से भी बच्चा बच्चा परिचित है। आज बच्चों को प्राईमरी ट्रीटमेंट भी नहीं मिल पाता। एक बच्चा चार साल तक घर से बाहर रह कर ट्रेनिंग लेकर डिग्री लेकर आता है और पास करके आता है, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि हमारी सरकार उसको अपने यहां पर रजिस्टर नहीं करती जबकि जो बड़े बड़े डाक्टर्ज हैं, वे 50—50 रुपये और 100—100 रुपये लेकर मरीज को देखते हैं। ये जो छोटे छोटे डाक्टर हैं, ये 2—4 रुपये लेकर बुखार या छोटी मोटी तकलीफ की दवा दारु कर देते हैं। इस एक्ट की धारा 15 के तहत जो व्यक्ति डिग्री लेकर आता है, उसको रजिस्टर करने का अधिकार है लेकिन अब बहन जी इस एक्ट में तरमीम करके उनको कोर्ट में भी जाने से मना कर रही हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि पिछले दिनों राजस्थान हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया था कि जो ऐसी डिग्री लाता है वह डाक्टर है और उनको वहां पर रजिस्टर किया गया है। अध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय सरकार का जो सैन्ट्रल आयुर्वेदिक रजिस्ट्रेशन एक्ट है, उस पर राजस्थान ने पाबन्दी लगाई थी। उसको न मानते हुए हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया कि उस डाक्टर को रजिस्टर किया जाये। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से पिछले दिनों करनाल के एक फूल सिंह डाक्टर के खिलाफ भी इन्होंने

कार्यवाही की। वह डाक्टर जब हाई कोर्ट में गया तो आनरेबल हाई कोर्ट ने इनके डिसीजन को सैट असाईड करते हुए डाक्टर माना है। आज प्रदेश में ऐसे 50 हजार के करीब डाक्टर हैं, जो प्राइमरी ऐड देते हैं। पिछले सैशन में जब यह बात आई थी, तो उस समय यह कहा गया था कि हम इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे। अब ऐसा विचार किया है कि उनको कानूनी दायरे से भी बाहर कर रहे हैं, यानी उनके ह्यूमैन राईटस भी छीने जा रहे हैं। अब तक ये वहां पर इलैक्शन का प्रोसीजर भी लागू नहीं कर पाए हैं। दूसरे कान्फैड जैसी संस्था, जो घाटे में चल रही है, वहां पर भी चेयरमैनी का पद भरा हुआ है और एक तरह से सफेद हाथी इस संस्था में पाल रखे हैं। कई ऐसी संस्थाएं हैं, जहां पर काफी घाटा है लेकिन फिर भी वहां पर एम0डी0 और जी0एम0 वगैरा बैठे हुए हैं, जिन पर काफी पैसा खर्च हो रहा है। जबकि चिकित्सा की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। यह सरकार के लिए बड़ी अशोभनीय बात है। आज हम इस काले कानून को जिसे पास करने जा रहे हैं, मानने वाले नहीं है। (विघ्न) इसलिये मेरी सरकार से मांग है कि इस अमैंडमैंट को वापस लिया जाये और जो आर0एम0पी0 आदि डाक्टर्ज हैं, उनके अधिकारों को छीना न जावे। अन्त में मैं इस बिल का विरोध करते हुए अपना स्थान लेता हूं।

सहकारिता मंत्री (श्रीमती शकुंतला भगवाड़िया): अध्यक्ष महोदय, अभी इन्होंने कह दिया कि कांफैड के चेयरमैन के पद पर सफेद हाथी बिठा रखा है। उनकी क्या योग्यता है, क्या इनको पता है? उनकी योग्यता के आधार पर ही उनको वहां पर लगाया हुआ है। जब वे आपके साथ थे, तो आपने उनकी योग्यता के आधार पर ही अपने पास रखा हुआ था और उस समय उससे चिपके रहते थे। इसलिये हमने कोई सफेद हाथी नहीं बिठा रखा।

Mr. Speaker: Question is—

That the Punjab Ayurvedic and Unani Practitioners (Haryana Amendment and Validation) Bill, be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clauses 2 & 3

Mr. Speaker: Question is—

That Clauses 2 & 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That the Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That the Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Health and Ayurveda Minister will move that the Bill be passed.

स्वास्थ्य मंत्री (श्रीमती शान्ति देवी राठी) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि —

बिल पारित किया जाए ।

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

चौधरी बीरेन्द्र सिंह (उचाना कलां) : अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के द्वारा आयुर्वेदिक बोर्ड का दो साल का समय बढ़ाया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस हाउस का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि हरियाणा के अन्दर जो आर0एम0पी0 हैं, और जिन्हें हम डाक्टर्ज कहते हैं, उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। चाहे वे रजिस्टर्ड हैं या रजिस्टर्ड नहीं हैं, लेकिन किसी भी आधार पर, किसी भी पैमाने पर उनको डाक्टर्ज नहीं कहा जा सकता जो पैशेन्ट के एमरजैन्सी के टाईम में, किसी गम्भीर बीमारी के समय, किसी आदमी की रक्षा कर सकें। गांवों में अक्सर सुनने में आता है कि फलां लड़के ने हमारे गांव के अमुक आदमी को कोई गोली वोली दे दी और उसको आराम नहीं हुआ तथा एकदम मौत हो गई। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदया से कहना चाहता हूं कि जो वैल्फेयर स्टेट है, उसमें स्वास्थ्य और शिक्षा के बारे में सरकार की पूरी जिम्मेदारी होती है। एक ऐसा डाक्टर जो क्वालिफाईड न हो दवाईयों और स्वास्थ्य के बारे में जिसकी पूरी जानकारी न हो,

वह गांव में प्रैक्टिस करता है और बीमार आदमी, जब ऐसी हालत में आ जाता है कि उनसे ठीक न हो सके, वे कहते हैं कि मरीज को डिस्ट्रिक्ट होस्पीटल में ले जाईये इसको मैडिकल कालेज रोहतक ले जाईये या दिल्ली ले जाईये। अध्यक्ष महोदय हमारे सामने यह बहुत ही गम्भीर मसला है। मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि सारे देश के अन्दर लिब्रेलाईजेशन का नया माहौल बन रहा है आप मैडिकल एजुकेशन को लिब्रेलाईज कीजिए। साउथ की जो स्टेट्स हैं, जैसे कर्नाटक महाराष्ट्र और तमिलनाडू आदि हैं उनमें कई जगहों पर मैडिकल कालेजिज, आयुर्वेदिक कालेज डैण्टल कालेजिज निजी कालेजिज खुले हुए हैं। मैं यह कहना चाहूंगा कि ऐसी संस्थाएं सामने आएं, जो इस तरह की परपोजल पेश करें कि हम दो साल में इतने फार्मेसिस्ट्स लैबोरेटरी टैक्नीशियन्ज नर्सिज प्रपेयर कर के देंगे इतने डाक्टर्ज को ट्रेनिंग देंगे। गांवों में प्रौपर मैडिकल फेसिलिटीज न होने के कारण और अस्पतालों में दवाईयां न मिलने के कारण हम मरीजों को ऐसे क्वैक्स के रहमो-करम पर छोड़ देते हैं। (विघ्न)

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष : यदि हाउस की सहमति हो तो हाउस का समय 10 मिनट के लिये बढ़ा दिया जाए।

आवाजें : ठीक है जी।

श्री अध्यक्ष : हाउस का समय 10 मिनट के लिये और बढ़ाया जाता है।

बिल्ज–

दि पंजाब आयुर्वैदिक एंड यूनानी प्रैक्टिशनर्ज (हरियाणा अमैंडमैंट एंड वैलिडेशन) बिल, 1994 (पुनरारम्भ)

चौधरी बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूंगा कि इस मुद्दे 14.00 बजे पर विचार करके उन लोगों को, जो ऐसी संस्था के जरिए स्वास्थ्य की शिक्षा देना चाहते हैं–डाक्टर बनाने के लिए या कम्पाउन्डर बनाने के लिए या नर्सिज बनाने के लिए या फार्मेसिस्ट बनाने के लिए आगे आना चाहते हैं, उनको प्रोत्साहन देना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, ऐसा करने से जो नकली डाकटर्ज हैं, जिनके लिए आदमी की जिन्दगी की कोई कीमत नहीं है, उनका कारोबार बन्द हो जाएगा। आज गांवों में अगर इन आर0एम0पी0 की वजह से कोई मर जाता है, तो वे कह देते हैं, चलो मरना था,

[चौधरी बीरेन्द्र सिंह]

मर गया। आज अगर इस बात के लिए कोई जिम्मेवार है तो वह क्वैक्स हैं। ये डाक्टर्ज जिम्मेवार हैं जो गरीब आदमी की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मंत्री जी को चाहिए कि आज उदारीकरण शहरों तक ही नहीं रहना चाहिए। इस में ऐसा काम करना चाहिए जिससे लोगों को अच्छे डाक्टर्ज मिलें।

स्वास्थ्य मंत्री (श्रीमती शान्ति देवी राठी) : अध्यक्ष महोदय, माननीय भाई बीरेन्द्र सिंह जी ने जो सुझाव दिया है, वह बहुत ही बढ़िया है। इससे कादियान साहब को समझना चाहिए कि किसी की कीमती जान छीनने का किसी को अधिकार नहीं है और न ही दिया जाएगा। बीरेन्द्र सिंह जी ने कहा है कि दूसरी स्टेटों में स्वास्थ्य की शिक्षा के केन्द्र खुल रहे हैं, तो हमें भी उनको उदाहरण मानकर यह काम करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, हमें "नो आबजैक्शन" देना होता है। इसका भी कोई क्राईटेरिया होता है। अगर कोई ठीक बिल्डिंग और अच्छी चिकित्सा देगा, तो हमें उसे इसके लिए सहमति देने में कोई प्रोब्लम नहीं है। (थम्पिंग) अन्त में मैं आपके जरिए हाउस से यह प्रार्थना करती हूं कि इस बिल को पास कर दिया जाए।

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(vi) वि फरीदाबाद काम्प्लेक्स (रेंगुलेशन एण्ड डिवैल्पमैंट), अमेंडमैंट बिल 1994

Mr. Speaker : Now, the Minister of State for Local Government will introduce the Faridabad Complex (Regulation And Development) Amendment Bill, 1994 and also move the motion for its consideration.

Minister of State for Local Government (Ch. Dharambir Gauba) : Sir, I beg to introduce the Faridabad Complex (Regulation And Development) Amendment Bill, 1994.

I also beg to move—

That the Faridabad Complex (Regulation and Development) Amendment Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Faridabad Complex (Regulation and Development) Amendment Bill be taken into consideration at once.

श्री कर्ण सिंह दलाल (पलवल) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने "फरीदाबाद संयुक्त (विनियमन तथा विकास) संशोधन विधेयक, 1994" आज सदन में पेश किया है। इस के तहत फरीदाबाद कम्पलैक्स एडमिनिस्ट्रेशन की सीमा बहुत लम्बी चौड़ी है। यह हरियाणा में सबसे बड़ा एरिया है जिसमें कई गांव मेरे हल्के के भी आते हैं और पल्लभगढ़

भी इसमें आता है। अध्यक्ष महोदय, आज 22 साल के बाद वहां पर सरकार चुनावों के बारे में सोच रही है। पिछली दफा भी कई बार यह बात आई कि चुनाव करवाए जाएं। सरकार चुनावों के लिए समय मांगती है तथा तरह-तरह के बिल पेश किए जाते हैं। सरकार को चुनाव करवाने में कोई दिक्कत तो हो सकती है लेकिन ये एक बात तो निश्चित कर ही सकते हैं कि फरीदाबाद मिश्रित प्रशासन की जो आय है वह करोड़ों रुपए की हुआ करती है उसका कोई हिसाब किताब तो होना चाहिए। मैं पिछले दिनों प्रशासन के दफ्तर में गया था और मैंने देखा था कि वहां के जो ऐडमिनिस्ट्रेटर हुआ करते थे, वे अपने जाने से पहले पहले पता नहीं, उस 45 करोड़ रुपए की राशि को कहां-कहां खर्च कर गए। वे सारा खजाना खाली कर गए। अध्यक्ष महोदय, इस बिल में एक बात कही गई है ..... (विघ्न)

बिजली मंत्री (श्री ए0सी0 चौधरी): स्पीकर सर, मैं आपकी कॉलिंग चाहूंगा कि ये भाई फरीदाबाद कम्पलैक्स के बारे में बोल रहे थे जबकि ये उस एरिये से रहने वाले भी नहीं हैं। उस एरिये से मैं स्वयं, श्री महेन्द्र प्रताप सिंह और श्री राजेन्द्र सिंह बिसला आते हैं। वहां पर जितना भी काम हो रहा है, वह बिल्कुल ठीक ढंग से हो रहा है। मेरा ख्याल है कि प्रदेश में हर तरफ से उसकी प्रशंसा हुई है। इस भाई का वहां से न तो कोई लेना है, न कोई देना है तथा न ही इनका वहां से कोई वास्ता है। ये तो उस सड़क से कभी गुजरते भी नहीं है। इसके बावजूद किसी अवसर पर कोई कटाक्ष करना या लांछन लगाना वांछनीय ही नहीं है बल्कि अपनी पोजीशन का दुरुपयोग भी है। इसके लिए आप इनको हिदायत दें कि ये कोई गलत बात न कहा करें। (विघ्न)

श्री कर्ण सिंह दलाल: स्पीकर साहब, माननीय मंत्री जी ने यह बात कही है कि मेरा वहां से कोई संबंध नहीं है। इनका यह कहना गलत है। मैं भी उस जिले से ही संबंधित हूं। साथ ही मैं हरियाणा से विधायक भी हूं इसलिए मुझे अपनी बात कहने का पूरा हक है। यह ठीक है कि माननीय मंत्री जी का इलाका है। इनके घर के आसपास बड़े-बड़े उद्योगपति रहते हैं। बड़े-बड़े कई-कई मंजिले मकान हैं, इसलिए ही वहां पर सफाई का इंतजाम है। वहां पर जो देहात की कोलोनियां हैं, साथ ही जो गांव है, जहां गरीब लोग रहते हैं उनके यहां सफाई करने वाला कोई नहीं है। उनके यहां पर पीने के पानी की व्यवस्था का कोई इंतजाम नहीं है। इन कालोनियों में जो पीने के पानी के नाम पर पैसा खर्च किया जा रहा है, वह बेचारे गरीब लोगों की कालोनियों में नहीं खर्च किया जाता। उनके गांवों में न कोई सिवरेज की व्यवस्था की जाती है, न उन झुग्गी-झोंपड़ियों में कोई सड़कें वगैरह बनाने की व्यवस्था की जाती है तथा न ही कोई सफाई की व्यवस्था की जाती है। मैं आपके माध्यम से सरकार से आश्वासन चाहूंगा, जैसे कि इन्होंने यह बात कही है कि वहां पर चुनाव 14 मई तक कराये जायेंगे, तो क्या ये सदन को इस बात का आश्वासन देंगे कि 14 मई तक चुनाव करा ही दिये जायेंगे। अध्यक्ष महोदय, अगर कोई सदस्य सदन में अपनी सच्ची बात कहता है तो इन रूलिंग पार्टी वालों ने यह रिवाज बना लिया है कि सच्ची बात कहने वालों को ये दबाते हैं।

श्री अध्यक्ष : आप और बात न छेड़ें। इसी बिल पर बोलें।

श्री कर्ण सिंह बलाल : स्पीकर सर, मैं इस बिल पर बोलते हुए यह मांग करता हूं कि * * * * * * * * *

Mr. Speaker : This has nothing to do with this. This may not be recorded.

श्री कर्ण सिंह बलाल : स्पीकर सर, मैं बिल पर ही बोल रहा हूं। .....
(विघ्न व शोर) * * * * * * *

श्री अध्यक्ष : यह रिकार्ड पर न लाया जाये।

Mr. Speaker : Question is—

That the Faridabad Complex (Regulation and Development) Amendment Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clauses 2 & 3

Mr. Speaker : Question is—

That Clauses 2 and 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That the Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That the Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

Mr. Speaker : Now, the Minister of State for Local Government will move that the Bill be passed.

Minister of State for Local Government (Ch. Dharambir Gauba) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr.Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

बैठक का समय बढ़ाना

Mr. Speaker : Is it the sense of the House that the sitting of the House be extended for another ten minutes ?

Voices : Yes, yes.

Mr. Speaker : Hon'ble members, the sitting of the House is extended for another 10 minutes.

बिल्ज—

(vii) दि हरियाणा मकैनिकल व्हीकल्ज (ब्रिज टौल्ज) अमैंडमैंट बिल, 1994

Mr. Speaker : Now the Minister for Public Works will introduce the Haryana Mechanical Vehicles (Bridge Tolls) Amendment Bill, 1994 and also move the motion for its consideration.

लोक निर्माण (भवन तथा सड़कें) मन्त्री (चौधरी आनंद सिंह डांगी) : अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा यांत्रिक यान (पुल पथ-कर) संशोधन विधेयक, 1994 प्रस्तुत करता हूं।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं—

कि हरियाणा यांत्रिक यान (पुल पथ-कर) संशोधन विधेयक पर तुरंत विचार किया जाये।

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana Mechanical Vehicles (Bridge Tolls) Amendment Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana Mechanical Vehicles (Bridge Tolls) Amendment Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clauses 2 & 3

Mr. Speaker : Question is—

That Clauses 2 & 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That the Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Public Works Minister will move that the Bill be passed.

लोक निर्माण (भवन तथा सड़कें) मंत्री (चौधरी आनंद सिंह डांगी) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं—

कि विधेयक पारित किया जाए।

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(viii) **दि हरियाणा टैक्स ऑन लक्सरीज बिल, 1994**

Mr. Speaker : Now, the Excise & Taxation Minister will introduce the Haryana Tax on Luxuries Bill, 1994 and will also move the motion for its consideration.

Excise & Taxation Minister (Bahin Kartar Devi) : Sir, I beg to introduce the Haryana Tax on Luxuries Bill, 1994.

I also move—

That the Haryana Tax on Luxuries Bill, be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana Tax on Luxuries Bill be taken into consideration at once.

प्रो० सम्पत सिंह (भट्टू कलां) : स्पीकर सर, बिल के बारे में कहना कुछ नहीं है लेकिन जो रास्ता सरकार ने एडॉप्ट किया है, उसके बारे में हमारा ऐतराज है। 18 फरवरी, 1994 को गवर्नर महोदय को तकलीफ देकर उनसे अध्यादेश जारी करवाया। 28 तारीख को दस दिन बाद अधिवेशन बैठ रहा था। दस दिन में इतनी क्या जरूरत पड़ गई थी ? एक अनहैल्दी ट्रैडीशन न डालते तो बेहतर था। महामहिम को इतनी तकलीफ न देते। सरकार विलासिता की वस्तुओं पर टैक्स लगाती है तो उसे विधान सभा में लाती और पास करवा लेती। अध्यादेश के जरिए केवल 10 दिन पहले यह एक छोटी-सी बात महामहिम के पास ले जाई गई, इससे महामहिम को जरूर तकलीफ हुई होगी। इस तरह से छोटी-सी बात जो हो उस में होनी चाहिए, उसके लिए उनको तकलीफ दी, इसकी हमें तकलीफ है। इसलिए विधान सभा में ही आप ऐसा कानून पास करें। मैं सरकार से अपील करता हूं कि आइन्दा उसको बाकायदा विधान सभा में लाया जाना चाहिए था।

प्रो० राम विलास शर्मा (महेन्द्रगढ़) : स्पीकर सर, यह अमैंडिंग बिल मांगे राम जी की इसी सैशन में की गयी अनाउंसमैंट की कंट्रोडिक्शन है। मांगे राम जी गुप्ता ने यह कहा था कि हम कोई टैक्स नहीं लगा रहे हैं या कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं लेकिन 18 फरवरी को इन्होंने आर्डीनैन्स जारी कर दिया ताकि बजट को टैक्स फ्री प्रस्तुत कर सकें। कम से कम इस सैशन को तो निकल जाने देते। अभी तक तो गुप्ता जी ने बजट पास होने का खाना भी नहीं दिया है लेकिन इन्होंने उससे पहले ही कैंची चला दी है। स्पीकर सर, यह कैंची किससे चलवायी है, हमारी सूफी बहिन करतार देवी से ? किस पर चलवायी है ? तम्बाकू के धन्धे पर ? स्पीकर साहब, तम्बाकू पीना अच्छी बात नहीं है। इसके ऊपर जरूर टैक्स लगेगा, लेकिन यह जो टैक्स लगेगा यह सिगरेट पर ही नहीं बल्कि इससे गरीब किसान भी मरेगा। वह किसान जो दो क्यारी-चार क्यारी या आधा एकड़ अपने हुक्के के लिए तम्बाकू पैदा करता है, वह मरेगा। स्पीकर सर, मैं आपकी सेवा में इस बारे में जो क्लाज हैं, वह पढ़ना चाहता हूं। उसमें यह लिखा है :

"business" means the activity of supplying tobacco."

जो तम्बाकू इधर-उधर ले जायेगा, स्पीकर सर, उसके ऊपर भी यह टैक्स लगेगा। स्पीकर सर, आप तो गांव के आदमी हैं। मैं भी एक किसान हूं। हमारे यहां पर चने होते

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष : यदि सहमति हो तो हाउस का समय 10 मिनट के लिए बढ़ा दिया जाए।

आवाजें : जी हां।

श्री अध्यक्ष : हाउस का टाईम 10 मिनट और बढ़ाया जाता है।

बिल्ज—

दि हरियाणा टैक्स ऑन लक्जरीज बिल 1994 (पुनरारम्भ)

चौधरी बीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, मैं यह कह रहा था कि लेजिस्लेटिव बिजनैस फेग एंड पर जाता है। This is not for the first time. For the last 17 years, I am observing it, this has been the trend. मेरी सबमिशन यह है कि इस बार यह तय किया गया था कि लेजिस्लेटिव बिजनैस 16 तारीख और 17 तारीख को आएगा। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि मिनिस्टर जो बिल पेश करते हैं, उसमें स्टेटमैंट आफ आबजैक्टस एंड रीजन्ज दिया होता है। स्टेटमैंट आफ आबजैक्टस एंड रीजन्ज ब्यूरोक्रैटिक ढांचे द्वारा बनाया जाता है। चार लाइनें लिख दी जाती हैं और मिनिस्टर उस पर दस्तखत कर देते हैं, जैसे कि इस बिल पर बहन करतार देवी ने दस्तखत किए हैं। मैंने पार्लियामैंट में प्रैक्टिस देखी है कि जब भी कोई मिनिस्टर बिल इन्ट्रोड्यूस करता है तो वह हाउस के सामने स्टेटमैंट आफ आबजैक्टस एंड रीजन्ज के बारे में विस्तार से ऐक्सप्लेन करता है। इस बिल के बारे में भी इलेबोरेट करके छापने में अगर कोई दिक्कत थी तो मिनिस्टर साहिबा महकमे से पूरा ज्ञान हासिल करके हाउस को बतातीं कि इसमें क्या बात है।

आबकारी एवं कराधान मंत्री (बहिन करतार देवी) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने कई शंकायें उठाई हैं। आपने जो आब्जरवेशन दी है, उसका हम भविष्य में पूरा ध्यान रखेंगे। असल बात यह थी कि अगर अब असैम्बली में लाते तो उसके बाद यह प्रकाशन में जाता और गवर्नर की सहमति के लिए जाता और इस तरह से एक महीना और गुजर जाता और टैक्स कलैक्शन में घाटा होता। भविष्य में हम ध्यान रखेंगे। राम बिलास जी ने किसान को मारने की बात कही। अध्यक्ष महोदय, यह टैक्स उन सिगरेट के पैकिटों पर है, जिनकी कीमत पांच रुपए से ज्यादा है। सिगार पर टैक्स है, बीड़ी पर नहीं है और किसान के तम्बाकू पर नहीं है। जो अनप्रोसैस्ड तम्बाकू है, जिसको लोग बेचने के लिए लाते हैं, उस पर यह टैक्स नहीं है। इसलिए उनकी यह शंका कि यह टैक्स किसान को मारने के लिए है, निराधार है।

प्रो0 राम बिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदया ने बताया है कि अनप्रोसैस्ड तम्बाकू पर टैक्स नहीं है। यह अच्छी बात है। लेकिन जो चैक बैरियर्ज हैं, जहां से

तम्बाकू लाते और ले जाते हैं, इस बारे में बिल के अन्दर यह बात भी जोड़ दी जाती कि उत्पादन पर यानि जो तम्बाकू पैदा करता है, अगर वह उसको इधर-उधर ले जाता है तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा तो अच्छा रहता। मतलब यह कि उत्पादक के ऊपर नहीं है।

बहिन करतार देवी : इस के साथ साथ नलवा जी ने एक बात कह दी कि बैरियर्ज हटाये जा रहे हैं। बिल में, शब्दों में अगर कोई हमसे गल्ती हुई है, तो हम उसका सुधार करेंगे। वैसे वित्त मन्त्री जी ने अपने जवाब में बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था कि इन बैरियर्ज को तीन-महीने के अन्दर अन्दर उठवा देंगे। यह समय भी इसलिये रखा गया है कि वहां पर जो मशीनरी काम कर रही है, उसकी री-एम्पलायमैन्ट का सवाल है और साथ साथ यह भी देखना है कि इस के उठवाने के बाद टैक्स की कितनी चोरी होती है। फिर भी हम जल्दी से जल्दी इस को लागू करने की कोशिश करेंगे।

श्रीमती चन्द्रावती : अध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव है कि अगर इस बिल में कुछ अमैन्डमन्ट्स लाने की आवश्यकता है, तो इसको फिलहाल पोस्टपोन कर दें।

चौधरी भजन लाल : नहीं जी।

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana Tax on Luxuries Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Sub clauses (2) and (3) of clause 1 to clause 26

Mr. Speaker : Question is—

That clauses (2) & (3) of clause 1 to clause 26 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Sub-clause (1) of clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That sub clause (1) of clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That the Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That the Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Excise and Taxation Minister to move that the Bill be passed.

Excise and Taxation Minister (Bahin Kartar Devi) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House stands adjourned till 9.30 a.m. tomorrow.

(The Sabha then *adjourned till 9.30 a.m. on Thursday, the 17th March, 1994.)

*14.28 hrs.

25819—H.V.S.—H.G.P., Chd.